लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 3, बुधवार, 15 नवम्बर, 1967/24 कार्तिक, 1889 (शक)

No. 3—Wednesday, November 15, 1967/Kartika 24, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
61	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	279
65	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	279-283
62	काश्मीर और राजस्थान में विदेशों में निर्मित हथियारों का पकड़ा जाना	Recovery of Foreign made arms in Kashmir and Rajasthan	284-287
63	भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों की समाप्ति	Abolition of Privy Purses of Ex-Rulers	288-295
64	चीनियों द्वारा नेफा के नव-युवकों का विचार परिवर्तन किया जाना	Chinese Indoctrination of **NEFA** Youngmen	295-296

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
66	जैसलमेर के सामरिक महत्व के कुओं तथा चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा	Strategic Wells and Posts in Jaisalmer occupied by Pakistan	297
67	काश्मीर में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Kashmir	297
68	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का दो भागों में विभाजन	Bifurcation of Intelligence Bureau	297
69	उद्घाटन उड़ानों में विदेश जाने वाले संसद सदस्य	M. Ps. going abroad on Inaugural Flights	297-298
70	लोकपाल और लोक आयुक्त	Lokpal and Lok Ayukt	298
71	शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी	Detention of Sheikh Abdullah	298-299

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
72	जासूसी के मामले	Espionage Case	299
73	नक्सलबाड़ी के उपद्रव की रिपोर्ट	Report on Naxalbari Disturbances	299
74	शिव सेना	Shiva Sena	300
75	नौवहन उद्योग का विकास	Development of Shipping Industry	300-301
76	नेफा के लिए संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा	Union Territory Status for **NEFA**	301
77	विद्यार्थियों में असंतोष	Students Unrest	301
78	महाजन आयोग की रिपोर्ट	Mahajan Commission Report	301-302
79	राँची में हुए दंगे	Ranchi Riots	302
80	काश्मीर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार	Ill-treatment of Tourists visiting Kashmir	303
81	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों को सहायता	Assistance to Non-Recognised Schools	303
82	साम्प्रदायिक एकता	Communal Harmony	303-304
83	लद्दाख का राजनैतिक ढांचा	Political Set up of Ladakh	304-305
84	प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना	Change over to Regional Languages	305
86	बड़े पत्तनों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Major Ports	305-306
87	छात्रवृत्तियाँ मंजूर करने में विलम्ब	Delay in Sanctioning of Scholarships	306
88	स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की योजना	Retirement Option Scheme	306-307
89	आसाम में पृथक होने की माँग	Demands for Separation in Assam	307
90	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की बटालियनों का पश्चिम बंगाल में भेजा जाना	Despatch of C.R.P. Battalions to West Bengal	307

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
407	मनीपुर के उत्तर में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के शिविर पर नागा विद्रोहियों का हमला	Naga Rebels attack on CRP Camp North of Manipur	307-308
408	नेशनल राइफल एसोसियेशन	National Rifle Association	308
409	भ्रष्टाचार	Corruption	309-310

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
410	स्कूलों के अध्यापकों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार	Presidential Award for School Teachers	310
411	चौथी योजना पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres during the Fourth Plan	310-311
412	अगस्त, 1967 में मनीपुर के केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के शिविर पर कुकी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला।	Attack by Kukis and Mizos in C.R.F. camp in Manipur in August, 1967	311
413	15 वर्षीय पाठ्यक्रम	15 Year study course	311-312
414	सिरमूर गद्दी का उत्तराधिकार	Sirmur Succession	312
415	मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियाँ	Airports and Air strips in Madhya Pradesh	313
416	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh	313
417	सालारजंग संग्राहलय हैदराबाद से चित्रों की चोरी	Theft of Paintings from Salar Jung	313
418	एयर इण्डिया द्वारा किराये तथा माल भाड़े की दरों में कमी	Reduction in Fare/Freight Rates by Air India	314
419	नेफा का मुख्यालय	Headquarters of **NEFA**	314
420	पारादीप के लिये पत्तन न्यास	Port Trust for Paradeep	314
421	सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी की निधियाँ	C. I. A. Funds	315
422	भारत में बसे हुए विदेशी लोग	Foreigners settled in India	315
423	भारत में बसे हुए पाकिस्तानी	Pakistanis settled in India	315-316
424	गारो पहाड़ियों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak. Intrusion in Garo Hills	316-317
425	पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों द्वारा छापे	Raids by the East Pakistan Riflemen	317
426	आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Infiltration of Pakistanis into Assam	317-318
427	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति देना	Permission for second marriage to Central Government Employees	318

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
428	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	Indian students abroad	318
429	भारतीय कृषि सेवा	Indian Agricultural Service	318-319
430	अक्तूबर, 1967 में पश्चिम बंगाल में सेना की सेवायें लेना	Requisitioning of the Services of Army in West Bengal in October, 1967	319
431	अमरीका से दुग्ध चूर्ण का उपहार	Milk Powder Gifts from U.S.A.	319
433	न्यायपालिका का कार्य-पालिका से अलग किया जाना	Separation of Judiciary from the Executive	319-320
434	उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Arrears of cases in High Courts	320
435	विधान परिषदों की समाप्ति	Abolition of Legislative Councils	321
436	एयर इण्डिया तथा इण्डयन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Air India and Indian Air Lines Corporation Employees	321
437	अगस्त, 1967 में दिल्ली ट्रक मालिकों की हड़ताल	Strike by Delhi Truck Operators in August, 1967	321-322
438	इण्डियन एयर लाइन्स कार-पोरेशन के एक विमान का विवश होकर नीचे उतरना	Force-landing of I.A.C. Aeroplane	322
439	कार चोरों के बारे में जाँच	Investigations of Car Thieves	322
440	पालामऊ (बिहार) में ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करना	Conversions to Christianity in Palamau (Bihar)	322-323
441	एशियाई राजपथ का विकास	Development of Asian Highway	323-324
442	आजाद हिन्द फौज के लिये स्मारक	Memorial for Indian National Army	324
443	केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा बिड़ला उद्योगों की तलाशी	CBI Search of Birla Concerns	324

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
444	केन्द्रीय जाँच विभाग को सौंपे गए मामले	Cases referred to CBI	324-325
445	उच्च शिक्षा पाने के लिये विदेशों में जाने वाले विद्यार्थी	Students going abroad for Higher Education	325
446	दिल्ली विश्वविद्यालय की कर्मचारी बस्ती	Staff Colony of Delhi University	325-326
447	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिये आय वर्ग	Income Slabs for National Scholarship	326
449	कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना	Cochin Shipyard	326-327
450	केरल द्वारा वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना	Request for Fnancial Assistance from Kerala	327
451	नेफा में विमानों से सामान गिराया जाना	Air dropping in NEFA	327-328
452	अन्तर्देशीय परिवहन निदेशालय का पटना स्थित कार्यालय का बन्द होना	Closure of Patna office of Inland Transport Directorate	328
454	अन्तर्देशीय जल परिवहन का पटना स्थित कार्यालय	Patna Office of Inland Water Transport	328-329
455	निकोबार द्वीप में भारतीय का प्रवेश	Entry of Indians into Nicobar	329
456	एयर इंडिया के इंजीनियर	Air India Engineers	329-330
457	शिक्षा निदेशक	Directorate of Public Instruction	330-331
458	निजाम द्वारा प्रतिकर के लिये दावा	Claim of compensation by Nizam	331
459	श्रीनगर में विस्फोट	Explosions in Srinagar	331
460	दिल्ली का विकास	Development of Delhi	331-332
461	देश में भव्य होटलों की स्थापना	Setting up of Posh Hotels in the country	332
463	दिल्ली के निकटवर्ती स्कूल	Neighbourhood Schools in Delhi	332
464	दिल्ली में होटलों में स्थान	Hotel Accommodation in Delhi	332-333
465	विदेशी सहायता	Foreign Assistance	333

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
467	बरौनी बेगुसराय औद्योगिक समूह में सी० आई० ए० के एजेन्ट	CIA agents in Barauni Beguserai Industrial Complex	333-334
468	काश्मीर की घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ	Pak. Hand in Kashmir Incidents	334
469	दिल्ली महानगर परिषद् की उपयोगिता	Utility of Delhi Metropolitan Council	334
470	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	335
471	दिल्ली के लिए अलग उच्चतर माध्यमिक बोर्ड	Separate Higher Secondary Board for Delhi	335
472	कच्छ से पाकिस्तान को प्रव्रजन	Migration from Kutch to Pakistan	335
473	गैर-सरकारी शस्त्र विक्रेताओं को लाइसेंसों का दिया जाना	Licences to Private Arms Dealers	336
474	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में कार्य कर रहे चौकीदार	Chowkidars in Scientific and Technical Terminology Commission	336
475	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of the Office of the Commission for Scientific and Technical Terminology	336
476	पर्यटक केन्द्र के रूप में कुरुक्षेत्र	Kurukshetra as Tourist Centre	337
477	नालन्दा बिहार	Nalanda Monastery	337
478	कोणार्क मन्दिर	Konark Temple	338
479	विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन	Pay Scales of University Teachers	338-339
480	काश्मीर में पण्डितों का आन्दोलन	Pandits Agitation in Kashmir	339-340
481	एयर इण्डिया द्वारा अर्जित लाभ	Profit earned by Air India	340
482	सरकारी विभागों में काम के घंटे	Working Hours of Government Departments	340

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
483	पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालयों के छात्रों को राजसहायता	Subsidy to University Students for purchase of Text Books	340
485	मंगलौर पत्तन	Mangalore Port	341
486	दक्षिण भारत में सड़कों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण	IDA Loan for Development of Roads in South India	341
487	राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करना	Revival of National Integration Council	341-342
488	केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती	Recruitment to Central Services	342
489	नौवहन टन भार	Shipping Tonnage	342-343
490	तेलगू की पाठ्य पुस्तकों के लिए ऋण	Loan for Telugu Text Books	343
491	भाषा सम्बन्धी नीति	Language Policy	343-344
492	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सम्बन्धी वृहद योजना	Master Plan for International Airports	344-345
493	आसाम के पहाड़ी नेताओं के साथ बातचीत	Talks with Hill Leaders	344
494	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Languages	344-345
495	राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की घुसपैठ	Infiltration by Pakistani Nationals in Rajasthan	345
496	गाँधी हत्या षड्यंत्र जाँच आयोग	Gandhi Murder Conspiracy Enquiry Commission	345
497	दिल्ली पुलिस	Delhi Police	345-346
498	उर्दू	Urdu	346
499	भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना	Setting up of Indo-US Education Foundation	346
500	शिक्षा के लिए अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता	US Aid Assistance for Adult Literacy	346-347
501	शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy on Education	347-348

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
502	धार्मिक शिक्षा	Religious Education	348
504	विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Change over to Regional Languages by Universities	348
505	तिहाड़ जेल में हुआ दंगा	Tehar Jail riot	348
506	आसाम के पुनर्गठन के बारे में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Ashoka Mehta Committee Report on Assam Reorganisation	348-349
507	पुरी कोणार्क सड़क	Puri Konark Road	349
508	विद्रोही मिजो लोग	Mizo Rebels	349
509	सहकारी नीतियों पर अनुसंधान का प्रभाव	Influence of Research on Government Policies	350
510	सालारजंग संग्राहालय, हैदराबाद	Salar Jung Museum, Hyderabad	350
511	राष्ट्रीय अनुसंधान संवर्धन निगम	National Research Development Corporation	350-351
512	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी	Section Officers in the C.S.S.	351
513	अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची	Select List of Section Officers	351-352
514	1930 के लाहौर षड्यंत्र के मामले से सम्बन्धित दस्तावेज	Documents relating to Lahore Conspiracy case of 1930	352
515	शहीद ऊधम सिंह के मामले से सम्बन्धित दस्तावेज	Documents relating to Udham Singh Case	352
516	सोहनलाल पाठक के मुकदमे सम्बन्धी अभिलेख	Records regarding Sohan Lal Pathak Case	352-353
517	आझीकल पत्तन	Azhikal Port	353
518	विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction for Higher Education in Science	353
519	आपात की स्थिति समाप्त करना	Revocation of Emergency	354
520	हल्दिया बन्दरगाह	Haldia Port	354
521	इण्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों का बेड़ा	I. A. C. Fleet	354-355

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
522	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों के संवर्ग में पदोन्नति का सर्वथा अभाव	Stagnation in the Cadre of Assistants in the Central Government Offices	355
523	पहाड़ी क्षेत्र आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Hill Areas Commission	355-356
524	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	356
525	खोसला आयोग	Khosla Commission	356
526	दिल्ली में मकान दुर्घटना	House Collapse in Delhi	357
527	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषायें	Regional Languages in UPSC Examinations	357
528	सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी	Retired Government Servants	358
530	बिहार में कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of College Teachers in Bihar	358-359
531	बिहार में कालेजों के अध्यापकों की माँगें	Demands of College Teachers in Bihar	359
532	जम्मू तथा काश्मीर का विशेष दर्जा	Special Status to Jammu and Kashmir	359
533	प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि	Devnagari Script for Regional Languages	359-360
534	विद्रोही मिजो लोग	Mizos	360
535	मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood to Manipur	360-361
536	मालभाड़ा की दरें	Freight Rates	361
537	उड़ीसा में तेलगू विरोधी आन्दोलन	Anti Telugu Agitation in Orissa	361-362
538	चण्डीगढ़ का भविष्य	Future of Chandigarh	362
539	राजभाषा	Official Language	362
540	मिजो पहाड़ियाँ	Mizo Hills	362-363
541	फारमोसा के रास्ते एयर इण्डिया के विमानों को उड़ानें	Air India's Flight through Formosa	363
542	स्कूलों के अध्यापकों की माँगें	School Teachers' Demands	363-364
543	भारतीय पर्यटन विकास निगम की कारें	Cars Belonging to India Tourism Development Corporation	364

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
544	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Staff Members of Hindustan Shipyard	361-365
545	कालिंगा एयरवेज	Kalinga Airways	365-366
546	राज्यपाल के सैनिक सचिव	Military Secretaries of Governor	366
547	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रतिनियुक्ति कोटा	Deputation Quota of IAS	366
548	एपीजे शिपिंग लाइन्स को नौवहन विकास निधि से ऋण	Loan to Apejay Shipping Lines from Shipping Development Fund	366-368
549	विदेशी बागान मालिकों तथा धर्म प्रचारकों को देश से चले जाने के आदेश	Quit Orders to Foreign Planters and Missionaries	368
550	पूर्वोत्तर भारत में विदेशियों द्वारा हस्तक्षेप	Foreign Interference in the North East of India	368
551	पश्चिम तट सड़क	West Coast Road	369
552	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	369-370
553	कोठारी आयोग की शिफारिशें	Kothari Commission Recommendations	370
554	क्षेत्रीय संग्रहालयों के लिए धन	Funds for Regional Museums	370
555	कालीकट में हवाई अड्डा	Aerodrome at Calicut	370-371
556	एवरो 748	Avro 748	371
557	दिल्ली में मानकपुरा में साम्प्रदायिकता का फैलना	Spread of Communalism in Manakpura Delhi	371
558	दिल्ली में स्कूलों को साफ पानी की सप्लाई	Supply of Filtered Water to Schools in Delhi	371
559	चीन की सहायता से पश्चिमी बंगाल में क्रान्ति	Revolution in West Bengal with Chinese Aid	372
560	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष	International Tourist Year	372
561	जम्मू तथा काश्मीर में राष्ट्रपति शासन की माँग	Demand for President's Rule in Jammu and Kashmir	373
562	बम्बई में होटल	Hotel in Bombay	373
563	आसाम का पुर्नगठन	Reorganisation of Assam	373

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
564	अध्यापकों के वेतनक्रमों के बारे में केन्द्रीय प्रस्ताव	Central Offer Re. Salary Scales of Teachers	374
565	कलिंग एयरवेज	Kalinga Airways	374-375
566	मौसम का अनुमान	Weather Forecasts	375
567	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31	National Highway No. 31	375-376
568	अनुवाद कार्य	Translation Work	376
569	विद्रोही मिजो की गिरफ्तारी	Arrest of Mizo Rebels	376
570	बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पेलियो, बोटेनी, लखनऊ	Birbal Sahni Institute of Palaeobotany in Lucknow	377
571	राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की सिफारिश	Recommendation of the National Book Development Board	377
572	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	377-378
573	अवर सचिव के ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of S. C. & S. T. Employees to the Grade of Under Secretary	378
574	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अनुभाग अधिकारी	Section Officers belonging to S. C. & S. T.	379
575	केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of SC & ST in Grade I of the Central Secretariat Service	379-380
576	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में तदर्थ नियुक्तियाँ	Ad-hoc Appointment in National Council of Educational Research	380
577	हैदराबाद के निजाम	Nizam of Hyderabad	380
579	मिजो लोगों की गिरफ्तारी	Arrest of Mizos	380-381
580	दिल्ली में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani National in Delhi	381

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
581	उर्दू आन्दोलन में पाकिस्तान का हाथ	Pak Hand in Pro Urdu Agitation	381
582	उत्तर प्रदेश में चीनी जासूसों का प्रवेश	Infiltration of Chinese Spies into UP	381-382
583	दिल्ली में हत्या के मामले जिनमें अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका	Untraced Murder cases in Delhi	382
584	पहाड़ी स्थानों का विकास	Development of Hill Stations	382
585	विद्रोही मिजो लोग	Mizo Rebels	383
586	शेख अब्दुल्ला की रिहाई	Release of Sheikh Abdullah	383
587	विदेशों में पर्यटकों को भारत यात्रा के लिए प्रोत्साहन	Promotion of Tourist Interest Abroad	383-384
588	दिल्ली में हत्याएँ	Murders in Delhi	384
589	क्रिश्चियन मिशनों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल/कालेज	Schools/Colleges run by Christian Missions	384
590	दिल्ली में एक पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Pakistani Spy in Delhi	384
592	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विशेषज्ञों द्वारा एरियाना अफगान एयरलाइन्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना	IAC Experts to train Ariana Afghan Airlines Personnel	385
593	उड़न तश्तरी	Flying Saucer	385
594	भारत थाईलैंड के बीच विमान सेवा सम्बन्धी समझौता	India Thailand Air Agreement	385-386
595	निकोबार द्वीप समूह में मेसर्ज अकूजी को एकस्व अधिकार	Monopoly Right to Messers Akooji in Nicobar Islands	386
596	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्य क्रम के लिये उम्मीदवार	Candidates for Technical Teachers Programme	386
597	उपकुलपतियों का सम्मेलन	Vice Chancellor's Conference	386-387
598	मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	Mithila University, Darbhanga	387
599	भाषा संबंधी नीति	Language Policy	387

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
601	केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी पदाली के लिए सीधी नियुक्तियाँ	Direct Recruits to Section Officers Grade of C.S. S.	388
602	इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षण	Indian School Certificate Examination	388-389
603	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचार नियम	Conduct Rules of Central Government Employees	389
604	सरकारी कार्यालयों में कैन्टीन	Canteens in Government Offices	390
605	नौका चालकों की कठिनाइयाँ	Difficulties of Operators of Ferries	390
606	इलैक्ट्रानिक इंजीनियरों की नियुक्तियाँ	Requirements of Electronic Engineers	390
607	मैरीन इंजीनियरी कालेज, बम्बई	Marine Engineering College, Bombay	390-391
608	राँची में राष्ट्र विरोधी नारे	Anti National Slogans in Ranchi	391
609	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	391
610	भारत में निरक्षरता	Illiteracy in India	392
611	सड़क परिवहन जाँच समिति	Road Transport Enquiry Committee	392
612	विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार का उन्मूलन	Eradication of Corruption from Universities	393
613	हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक विश्वविद्यालय	Separate University for Himachal Pradesh	393
614	दिल्ली विश्वविद्यालय में नये पर्वतारोहण क्लब	New Mountaineering Club at Delhi University	393
615	उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा	Free Education at Higher Secondary Level	393
616	हरियाणा में कालेजों के प्राध्यापकों के नए वेतनमान	New Salary Scale for College Teachers in Haryana	394
617	इंडिया आफिस लाइब्रेरी-लन्दन	India Office Library, London	394
618	विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में चरस पीने की आदत	Charas Addiction among University Students	394

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
619	शिक्षा के माध्यम में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Change over to Regional Languages	395
620	दिल्ली में स्कूलों के लिए इमारतें	Accommodation for Schools in Delhi	395
621	दिल्ली में जस्टिसेस आफ पीस	Justices of Peace in Delhi	395-396
622	मिजो लोग	Mizos	396
623	राँची में दंगे	Ranchi Disturbances	396
624	भारत सरकार के मंत्रालयों में हिन्दी आफिसर	Hindi Officers in the Ministries of the Govt. of India	397
625	हिन्दी असिस्टेंटों की पदोन्नति	Promotion to Hindi Assistants	397
626	हिन्दी अध्यापन योजना	Hindi Teaching Scheme	397-398
627	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee	398
628	पर्यटन को प्रोत्साहन	Promotion of Tourism	398
629	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की दिल्ली—श्रीनगर केरेवल विमान सेवायें	Delhi—Srinagar I.A.C. Caravelle Services	398-399
630	भ्रष्टाचार में अन्ग्रस्त अधिकारी	Officials Involved in Corruption	399
631	विद्रोही नागा	Hostile Nagas	399-400
632	दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा मोटर-गाड़ियों के पंजीयन के लिए प्रमाणपत्रों का दिया जाना	Certificates for Registration of Vehicles issued by Delhi State Transport Authority	400-401
633	महाराष्ट्र में पर्यटक यातायात	Tourist Traffic in Maharashtra	401
634	पर्यटन व्यवसाय से आमदनी	Earnings from Tourist Trade	401-402
635	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्टेनोग्राफरों का कोटा	Stenographers' quota for S. C. & S. T.	402
636	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफरों की परीक्षा	Examination for Hindi Stenographers by UPSC	402
637	दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी में पुस्तकों की माँग	Books in Demand in Delhi Public Library	402-403

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
638	राजस्थान में पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies in Rajasthan	403
639	अगस्त, 1967 में राँची में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Disturbances in Ranchi in August, 1967	404
640	दिल्ली में हिप्पीस	Hippies in Delhi	404
641	अलवर में छात्र आन्दोलन के कारण केन्द्रीय सरकार को सम्पत्ति की क्षति	Loss to Central Govt. Property as a Result of Students Agitation at Alwar	404-405
642	जामिया मिलिया इसलामिया में राष्ट्रगान	National Anthem at Jamia Millia Islamia	405
643	नई दिल्ली नगरपालिका	New Delhi Municipal Committee	405
644	निवारक निरोध अधिनियम	Preventive Detention Act	405-406
645	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries	406
646	भारत में प्राचीन मूर्तियों की चोरी	Theft of Ancient Image in India	406-407
647	नाविकों में बेरोजगारी	Unemployment among Seamen	407
648	मद्रास बन्दरगाह से अदन को जहाज द्वारा हथकरघा माल का भेजा जाना	Shipment of Handloom goods to Aden from Madras Port	407-408
649	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को समाप्त करने के लिए अनुरोध	Request for Closure of Dakshina Bharat Hindi Prachara Sabha	408
650	सामान्य निर्वाचन में उम्मीदवारों को रूस की ओर से धन दिया जाना	Soviet Money for Candidates in General Elections	408
651	अक्तूबर, 1967 में पालम हवाई अड्डे से उड़ानों में विलम्ब	Delay in Flights from Palam Airport in October, 1967	409
652	मनीपुर का प्रशासन	Administrtion of Manipur	409
653	दिल्ली में पालीटेक्निकों का बन्द होना	Closure of Polytechnics in Delhi	409-410
654	प्रशासनिक सुधार आयोग का सीतलवाड अध्ययन दल	Setalvad Study Team of the A.R.C.	410

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
655	इंदौर और ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व शासक	Ex-Rulers of Indore and Gwalior States	410
656	एयर इण्डिया विमान सेवा की उद्घाटन उड़ानें	Inaugural Flights by Air India Services	410-411
657	विदेशी विमान कम्पनियों के साथ एयर इंडिया के करार	Air India's Contracts with Foreign Airlines	411
658	दक्षिण आसाम में जलमार्गों का विकास	Development of Waterways in Southern Assam	411
659	दिल्ली में पोलीटेक्निकों में सुविधायें	Facilities in Polytechnics at Delhi	412
660	चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक से कम पढ़े कर्मचारी	Non-Matriculate Class IV Employees	412
661	बेसिक प्राथमिक स्कूलों में दाखिला	Enrolment in Basic Primary Schools	413
662	इंजीनियरों में बेरोजगारी	Unemployment among Engineers	413-414
663	विद्यार्थियों का शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही स्कूल छोड़ देना	Drop outs in Schools	414
664	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे	International Airports	414-415
665	दिल्ली में गौरक्षा सत्याग्रह	Cow Protection Satyagraha in Delhi	415
666	बेलीकारी पत्तन का विकास	Development of Belikari Port	415-416
667	सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work	416
668	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	416
669	बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education to Children	416
670	मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं	Writ Petition in the Mysore High Court	416
671	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education	417
672	बक्सर में गंगा पर पुल	Bridge over Ganga at Buxar	417
673	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 6 पर पुलों का निर्माण	Bridges on National Highways No. 5 & 6	417-418
674	पूंजीकरण	Registrations	418

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
675	उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट	Compartments in Higher Secondary Examinations	418-419
676	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Government Employees	419
677	भूतपूर्व पंजाब राज्य के सरकारी कर्मचारी	Government Employees of Former Punjab	419
678	मनीपुर के स्कूलों में मुख्य अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Headmasters in Manipur Schools	419-420
679	अंदमान के समुद्री जल प्रांगण में चीन के अनधिकृत जहाज	Chinese Poachers in Andaman Waters	420
680	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	Andaman and Nicobar Islands	420
681	अंडमान श्रमिक दल	Andaman Labour Force	420-421
682	प्रशिक्षार्थियों की छात्रवृत्ति	Stipends to Trainees	421
683	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी	Indian Sportsmen excelling in World Contests	421-422
685	महाराष्ट्र के छोटे बन्दरगाह	Minor Ports in Maharashtra	422-423
686	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जनरल मैनेजर के मेडिकल बिल	Medical Bills of General Manager, I.A.C.	423-424
687	एन्यूरिन बेवन छात्रवृत्तियाँ	Aneurin Bevan Scholarships	424-425
688	भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियाँ	Privy Purses	425
689	कुरला की गुफायें	Kurla Caves	425-426
691	विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियाँ	Mizo Rebels Activities	426
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	**Re. Calling Attention Notices**	426
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Importance**	427
	मांगला बांध के बारे में प्रधान मंत्री का राष्ट्रपति अयूब को संदेश	Prime Minister's message to President Ayub re : Mangla Dam	427-429

अता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	427
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	427
सभा पटल पर रखे गये	**Papers Laid on the Table**	429-433
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	**Committee on Private Members' Bills and Resolution**	433
तेरहवाँ प्रतिवेदन	Thireteenth Report	
विशेषाधिकार संबंधी समिति	**Committee of Privileges**	434
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	
प्राक्कलन समिति	**Estimate Committee**	434
चौदहवाँ प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
दो चीन के बारे में उप प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में वक्तव्य	**Statement Re. Reported Statement made by the Deputy Prime Minister about 'Two Chinas'**	434-435
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
तारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर में शुद्धि	**Correction of Answer to Starred Question No. 1649**	436
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan	
समिति के लिये निर्वाचन	**Election to Commitee**	436
राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	National Shipping Board	
कार्य मंत्रणा समिति	**Business Advisory Committee**	436
आठवाँ प्रतिवेदन	Eighth Report	
शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा संबंधी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	**Motions Re. Report of Education Commission and Report of Committee of Members of Parliament on Education**	437
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	437
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	438
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	439
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	440
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	442
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Visvanatham	443

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव	**Motion Re. Governors of States**	443
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	443
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	446
श्री नारायण दाँडेकर	Shri N. Dandeker	447
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	449
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumathaiya	449
श्री अंबाजागन	Shri Anbazhagan	450
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	451
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	452
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	453
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	454
श्री च० क० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	455

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 15 नवम्बर, 1967/24 कार्तिक, 1889 (शक)
Wednesday, November 15, 1967/Kartika 24, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lvk Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रशासनिक सुधार आयोग

*61. **श्री विश्वम्भरन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी; और

(ख) आयोग द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया था; और अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 5 जनवरी 1966।

(ख) आयोग के निर्देश पदों में समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इनमें आयोग से केवल यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपना प्रतिवेदन जितना भी जल्दी हो सके सरकार को दे दें। आयोग को आशा है कि उसके द्वारा नियुक्त अध्ययन दलों तथा कार्यकारी दलों द्वारा अपने प्रतिवेदन लगभग तीन महीने में दे दिये जायेंगे। उसके बाद आयोग को इन प्रतिवेदनों पर विचार करने और अध्ययन के सभी विषयों पर अन्तिम रूप से सरकार को प्रतिवेदन देने में कुछ समय लग सकता है।

Administrative Reforms Commission

*65. **Shri Ram Avtar Sharma** : **Shri Manibhai J. Patel** :
Shri N. K. Somani : **Shri Dhireshwar Kalita** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the complete report of the Administrative Reforms Commission has been received ;

(b) whether some suggestions of the Commission have been given practical shape ; and

(c) when the final decision would be taken on the recommendations made by the Commission so far ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (b) No, Sir.

(c) : The Commission has so far submitted three reports to the Government, one on the problem of redress of citizens' grievances, another on the machinery for planning, and a third on public sector undertakings.

Its recommendations about the redress of citizens' grievances are under the consideration of the Government. Decisions on them will be taken as early as possible.

As regards the Commission's recommendations on the machinery for planning, attention is invited to the statement made by the Prime Minister in the Lok Sabha on the 17th July, 1967. In accordance with the decisions then announced, the Planning Commission has been reconstituted. Action has been initiated to transfer certain executive functions hitherto performed by the Planning Commission to the concerned ministries. The National Development Council too has been reconstituted.

The report on public sector undertakings was received only on the 20th October, 1967 and is at the early stages of examination.

श्री विश्म्भरन : यह आयोग सरकार को कितने अन्तरिम प्रतिवेदन दे चुका है, सरकार अन्तरिम प्रतिवेदनों की कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है और कितनी को अस्वीकार किया है और उनको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि सभा को ज्ञात है आयोग ने सरकार को अब तक तीन अन्तरिम प्रतिवेदन दिये हैं। एक सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में है। इस प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा हुई थी। दूसरा प्रतिवेदन योजना की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। इस प्रतिवेदन के बारे में प्रधान मंत्री ने प्रतिवेदन दिया है। स्वीकृत सिफारिशों में से कुछ के बारे में प्रधान मंत्री ने बताया था। कुछ सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण भी प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में दिये थे। तीसरा प्रतिवेतन जो कि लगभग डेढ़ मास हुए प्राप्त हुआ था, सरकार के विचाराधीन है।

श्री नाथपाई : क्या लोकपाल का पद बनाने सम्बन्धी आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार आवश्यक विधान लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या विधान इसी सत्र में उस विधान को लायेगी। आयोग ने कितनी अध्ययन समितियां बनाई हैं, उनमें से कितनी की बैठकें चलती रही हैं और इन विभिन्न अध्ययन दलों या समितियों के अधिकार और सुविधाएं क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक लोकपाल और लोक आयुक्त सम्बन्धी सिफारिश का सम्बन्ध है, सभा में यह बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया है। सरकार की ओर से भी यह बताया गया था कि उसने सिद्धान्त रूप में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है क्योंकि इससे राज्य सरकारों का भी सम्बन्ध है। परामर्श समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल निर्णय करने की स्थिति में होगा और

केवल तब ही हम यह बता सकेंगे कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये हम विधान ला सकेंगे या नहीं।

प्रशासनिक आयोग द्वारा 20 अध्ययन दल और 12 कार्यकारी दल भी नियुक्त किये गये है। उनमें से बहुत सों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग के विचाराधीन हैं। हम प्रशासनिक सुधार आयोग को याद दिलाते रहे हैं कि वह अपना काम यथासभव शीघ्र पूरा करे और उसने हमें आश्वासन दिया है कि वह इसके लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रहा है।

श्री लोबो प्रभु : जब कि इतने सारे अध्ययन दल हैं, फिर सभी स्तरों पर सरकार की नीतियों की क्रियान्विति का अध्ययन करने के लिये एक भी अध्ययन दल क्यों नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री विद्याचरणशुक्ल : अपनी नीतियों की क्रियान्विति के लिये हमारे पास जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कार्य की जाँच करने के लिये यह आयोग नियुक्त किया गया है। इस आयोग से यह अपेक्षित नहीं है कि यह नीति सम्बन्धी उन मामलों की जाँच करे जिसका संसद् या सरकार फैसला करे। सरकार की व्यवस्था की यह आयोग जाँच करता है और देखता है कि क्रियान्विति किस तरह होती है और क्रियान्विति में सुधार के ढंग क्या हैं।

श्री रा० बरुआ : क्या अध्ययन दल और कार्यकारी दल भविष्य में की बनायें जायेंगे ?

श्री विद्या चरणशुक्ल : यह आवश्यकता पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग को समय समय पर कितनी आवश्यकता पड़ती है। परन्तु ज्योंकि उसको इन मामलों का ज्ञान रखने वाले कर्मचारी और व्यक्ति मिल जाते हैं, वह अध्ययन दलों को नियुक्त कर देता है।

Shri Madhu Limaye : May I know the number of States in which allegations made against the former Ministers have been enquired into or are being required into after the fourth general election and the number of States where the institutions of Lokayukt and Lok Pal are decided to be introduced? Is it a fact that Bihar has taken such a decision ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हमें लगभग 10 सरकारों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशें और विचार प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के मतों में काफी अन्तर है। परन्तु बिहार सरकार ने सिद्धान्त रूप में योजना को स्वीकार कर लिया है। कुछ और सरकारें हैं, जिन्होंने "नहीं" भी कहा है।

श्री पे० वेंकटा सुब्बया : क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के पास कोई व्यापक कार्यक्रम है कि उसे किन किन विषयों पर जाँच करनी है, क्या विशिष्ट सिफारिशें देनीं हैं और उसने किन किन समितियों का गठन किया है ? क्या आयोग ने सरकार और संसद को अपना प्रतिवेदन देने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने सामने निश्चित कार्यक्रम रखे हुए हैं और वह उन कार्यक्रमों के अनुसार काम कर रहा है।

जहाँ तक समय सीमा का सम्बन्ध है, उसका निश्चय आयोग को करना है कि किस समय तक वह अपना कार्य समाप्त कर सकेगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि वह इस महत्वपूर्ण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहता है और विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा दी गई सिफारिशों पर वह काफी परिश्रम कर रहा है। हमें आशा है कि वह शीघ्र अपना कार्य पूरा कर लेगा।

श्री बलराज मधोक : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को अब तक जो अन्तरिम प्रतिवेदन दिये हैं उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

दूसरे, माननीय मंत्री ने अभी कहा कि 20 अध्ययन दल और 12 कार्यकारी दल नियुक्त किये गये हैं। अध्ययन दलों में नियुक्ति के लिये क्या कसौटी रखी गई है ? क्या व्यक्तियों को उन विषयों का विशेष ज्ञान होता है जो उनको दिये जाते हैं, या केवल नियुक्ति की खातिर ही कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने की खातिर इन महत्वपूर्ण अध्ययन दलों में लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है। उनके पास आवश्यक ज्ञान और अनुभव होता है और उसको सुनिश्चित करने के बाद ही प्रशासनिक सुधार आयोग उनसे कहता है और यदि वे इस कार्य के लिये अपना समय दे सकते हैं तब ही उनको इन अध्ययन दलों में नियुक्त किया जाता है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : जो तीन प्रतिवेदन दिये गये हैं वे तीन भिन्न विषयों पर एक अन्तरिम प्रतिवेदन के रूप में हैं। क्या कार्यवाहियों के पूरा होने पर कोई व्यापक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा, और दूसरे, क्या 20 के लगभग जो अध्ययन दल हैं, वे निकट भविष्य में अपने अन्तरिम प्रतिवेदन दे देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बताया जा चुका है कि विभिन्न अध्ययन दलों के प्रतिवेदन सुधार आयोग को लगभग 3 मास के अन्दर प्राप्त हो जायेंगे।

हमें आयोग से पता लगा है कि वह अध्ययन पूरा करने के पश्चात् सरकार को एक व्यापक प्रतिवेदन देगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : किन किन राज्यों ने लोकायुक्तों की नियुक्ति का विरोध किया है और उन्होंने उसके क्या कारण दिये हैं ? क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कुछ प्रकार के लोकायुक्त पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं यद्यपि वे इस रूप में नहीं हैं जिस रूप में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है ? क्या ऐसा कोई राज्य है जहाँ ऐसा कोई ढांचा बनाया गया है ? हाल ही में, मैं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों में एक प्रकार का आयोग नियुक्त किया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मैंने सुना था, परन्तु यह किस रूप में किया गया है मेरे पास इसकी निश्चित जानकारी नहीं है। सिफारिश का सिद्धान्त यह है कि कोई ऐसा स्थाई संस्थान होना चाहिये कि जहाँ पर शिकायतों की अपने आप ही जाँच की जा सके। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर विभिन्न रायें प्रकट की गई थीं। इसलिये मैंने यह ठीक समझा कि उनकी रायें पूछी जायें। विभिन्न राज्यों के बारे में मेरे पास संक्षिप्त जानकारी है, परन्तु मैं उसको यहाँ सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि सारे मामले पर अभी बातचीत चल रही है। यदि किसी राज्य ने 'नहीं' भी कहा है तो वह भी परामर्श के परिणाम स्वरूप अपनी राय को 'हाँ' में बदल सकता है। इसको इस समय प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

Shri Sheo Narain : To what extent has the Government implemented the reports received so far and what is the total number of members of the Commission and what are their qualifications ?

Shri Vidya Charan Shukla : Regarding the reports in conection with Lokayukt and Lok Pal, the State Governments are being consulted. The Prime Minister had already told this House about the decision taken by Government on the report relating to Planning Commission. The Report relating to Public Sector Undertakings received one and a half months back is still under consultation.

Shri Sheo Narain : I have also asked about the composition of the Commission and the qualifications of the members. Are they I.C.S. or P.C.S. ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभा जानती है कि आयोग के अधिकांश सदस्य इस सभा के ही सदस्य हैं। इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्य इस आयोग के सभापति हैं। केवल एक ही आई० सी० एस० सदस्य हैं और वह हैं श्री वी० शंकर।

Shri Surjoo Pandey : Has the Commission given any suggestion to reduce the army of Government employees which is reeking with corruption ?

Shri Vidya Charan Shukla : Administrative reforms include all these things. All these things will be considered after the recommendations of the Commission have been received.

श्री रा० की० अमीन : प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाये गये तरीके पर योजना एकक स्थापित करने के लिये कितने राज्यों ने सिफारिश को स्वीकार किया है और कितने राज्यों ने पहले ही ऐसा कर रखा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय गृह मंत्री ने पहले ही बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों से अभी विचार विमर्श चल रहा है और अभी कुछ भी कहना उचित न होगा।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या किसी अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र तथा राज्यों में छोटे मंत्रालय होने चाहिये और यदि हाँ, तो क्या इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्ययन दल अपनी सिफारिशें आयोग के सामने रखेंगे और आयोग उनपर अपनी राय बनाने के पश्चात् उन्हें हमारे पास भेजेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्रिमण्डल में हाल ही में जो विस्तार किया गया है वह आयोग की सिफारिश पर किया गया है ?

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : क्या प्रशासनिक सुधार आयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वतन्त्रता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि कार्य में सुधार हो सके और वह स्वतन्त्र रूप से वे निर्णय कर सकें जो कि वाणिज्यिक उपक्रमों को लाभप्रद ढंग से चलाने के लिये आवश्यक हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें यह प्रतिवेदन मिल गया है और हम इसपर विचार कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासनिक सुधार आयोग भिन्न परिस्थितियों में नियुक्त किया गया था और अब एक नये विचार की आवश्यकता है और मामले से निपटने के लिये भी नये ढंग की आवश्यकता है, क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि एक नये विचार की आवश्यकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : स्वयं आयोग को इसी लिये नियुक्त किया गया है कि वह इस बात की जाँच करें कि प्रशासन में नये ढंग कैसे अपनाये जा सकते हैं और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात हम यह अनुमान कर सकेंगे कि वे सिफारिशें कितनी उपयोगी हैं और उन्हें किस तरह क्रियान्वित किया जा सकता है।

Recovery of Foreign-Made Arms in Kashmir and Rajasthan

*62. **Shri Hukum Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether foreign-made arms were recovered from the border areas of Kashmir and Rajasthan during the last two years ;

(b) if so, the number and other details thereof ; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) and (b) : A statement is laid on the table of the House.

(c) According to information received, the Government of Jammu and Kashmir had arrested 20 persons in this connection, 7 of whom have been convicted, 4 are standing trial and the other cases are under investigation.

Government of Rajasthan have reported that they have prosecuted ten persons from whom the recoveries were made ; in one case two Pakistanis who were involved were killed in an encounter.

Statement

According to information available, the following foreign-made arms and ammunitions were recovered from Jammu and Kashmir and Rajasthan during the last two years :

(1) **From Jammu and Kashmir** :

Handgrenades	290
·303 ammunition	30,129
Sten-gun ammunition	7,794
Sten-gun magazine	1
Cartridges	278
9 MM sten-gun rounds	6,004
·45 bore Enfield revolver (with 12 cartridges)	1
81 MM mortar bombs	8
.12 bore short guns/rifles	3
.12 bore ammunition	34
Rifle	1
Pistol	1
Light Machine gun	1
Browning gun ammunition	240
Anti-tank grenades	5

Some detonators, fuses, etc. were also recovered.

(2) **From border area of Rajasthan** :

.32 bore revolvers	15
.38 bore revolvers	2
Rifles (with 19 cartridges)	3
.32 bore pistols	2
Pistol	1

Shri Hukam Chand Kachwai : In the Statement given by the Hon. Minister regarding the recovery of arms, the details about their make had not been given. The infiltrators are bringing arms into Kashmir in huge quantity. It appears that Intelligence Agency of the Government is very weak. I want to know the steps taken by the Government to make this agency, more effective.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): जैसा कि मैं पहले भी कई अवसरों पर बता चुका हूँ कि जब ये शस्त्रास्त्र पकड़े गये थे तब इन पर से निशान मिटे हुए थे, लेकिन यह तो परिस्थिति से स्पष्ट है और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे सब कहाँ से आये। स्वभावतः जो शस्त्रास्त्र हमे मिले हैं, उनमें से बहुत से युद्ध विराम रेखा के दूसरी ओर से आये हैं। कुछ मामलों में जिन व्यक्तियों के पास से ये शस्त्रास्त्र पकड़े गये थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जम्मू और काश्मीर में अधिकतर शस्त्रास्त्र छिपे हुए मिले हैं। ये हथियार शायद 1965 में आये घुस- पैठिये छोड़ गये थे।

जहाँ तक मशीनरी का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य द्वार व्यक्त किये गये इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि हमारी मशीनरी कमजोर है। वह क्रियाशील है। उसके द्वारा गत कुछ वर्षों में किये गये कार्यों से पता चलता है कि वह काफी क्रियाशील है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether the attention of the Minister has been drawn to the fact that when the former speaker of Lok Sabha and the present Governor of Rajasthan, Sardar Hukam Singh visited the border areas, his route was changed and a bomb was exploded from a truck numbering 330. There were Pakistani marking on them. Similarly, bombs were thrown on our Army Chief, Shri Kumarmanglam in that area. I want to know whether that matter has been kept secret by the Government and if so, whether it will bring it to light and whether it will take any action taking into consideration the weapons found there ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मेरे विचार से कोई बात भी गुप्त नहीं रखी गई है क्योंकि मैंने जो जानकारी सभा पटल पर रखी है वह राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह पूरी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: इस विशेष घटना के सम्बन्ध में जिसमें कहा गया था कि राजस्थान के राज्यपाल के दौरे के समय बम विस्फोट किया गया थ। .... ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इस सम्बन्ध में जाँच करनी होगी। मेरी राज्यपाल से दो दिन पूर्व भेंट हुई थी तब उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया थ। । इसका यहाँ उल्लेख किया गया है मैं इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करूँगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : I want to raise a point of order in this connection. I am of the view that the statement of the Home Minister regarding Rajasthan is not complete. Either he is not aware of the fact or he is trying to canceal them from the House. This news has already been published in the newspapers that bombs weighing ten pounds were found at route where the Governor of Rajasthan had to visit. The Home Minister has not clarified it so far.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इस सम्बन्ध में जाँच करेंगे, उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

Shri Atal Behari Vajpayee : I want to say that formerly the Rajasthan Government concealed it and now the Home Minister is also trying to conceal it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह बहुत घटिया किस्म का आरोप लगाया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करूँगा। ऐसा कहना कि इस घटना के बारे में छिपाया जा रहा है, ठीक नहीं है।

Shri Atal Behari Vajpaee : I have never made such allegations. I never put forward the false charge.

Shri Y. B. Chawan : I have stated that I would enquire about it. I do not mean that the information is not available with the Home Minister. I mean to say that the information is not here with me at the moment. I have got the right to say like that.

श्री वेदव्रत वरुआ : यह सर्वविदित है कि आसाम में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से शस्त्रास्त्र आ रहे है। जानकारी के अलावा.....

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विशेषकर काश्मीर और राजस्थान से सम्बन्धित हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ: मैं बाहर से आने वाले शस्त्रास्त्र के सम्बन्ध में कह रहा था क्योंकि आसाम में विदेशों से शस्त्रास्त्र आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय:—सम्बद्ध प्रश्न कश्मीर और राजस्थान का है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Whether the Government are aware that some Pakistani arms were recovered in Kashmir, also some documents have been found along with that. They indicate that some important people of Kashmir are also indulging in this conspiracy. When some small people do like that they are immediately caught but big people go scot free. I want to know the real position.

श्री यशवन्त राव चव्हाण: ऐसा बेकार में कुछ लोगों के विरुद्ध शक पैदा करने के लिये किया जा रहा है। यह सच नहीं है। कुछ मामलों में जाँच चल रही है और कुछ तथ्यों की जाँच की जा रही है। जब तक इस सम्बन्ध में जाँच पूरी नहीं हो जाती मेरे लिये इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना बहुत कठिन है।

Shri Atal Behari Vajpaee : On the one hand the Home Minister says that it is under investigation, on the other hand he states that it is not true. If this is not true, why the investigations are going on ?

Shri Raghuvir Singh Shastri : Hon. Minister has accused me of creating suspicion. I want to say that infact it is not I, but the honourable Minister who is creating the suspicions.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या काश्मीर में पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रों के आने के परिणाम स्वरूप क्या हाल ही में काश्मीर के भाग में हुई घटनाओं में मदद मिली है और क्या हाल ही के कुछ महीनों में इन शस्त्रास्त्रों के आने में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को अब तक हिरासत में लिया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: हाल ही में कश्मीर में घटित घटनाओं का शस्त्रास्त्रों के आगमन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक शस्त्रास्त्रो के बरामद किये जाने का प्रश्न है, इसकी जानकारी यहाँ दे दी गई है। उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई हैं।

Shri Onkar Lal Berva : I want to know whether during the last few years some such ammunition factories have been seized in Rajasthan and Kashmir where Pakistani spies are more active and they are training the people there ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास जो भी जानकारी थी, वह मैंने दे दी है।

Shri Jagan Nath Rao Joshi : The Hon. Minister has just told that out of the arms recovered some might have left by the infiltrators in 1965. I think the Government must have made the investigation in this regard at that time. Being a Home Minister, if he replies like that, it is not proper. We expect facts from him. It has come to our knowledge from the Intelligence Department that these arms had been left by the infiltrators who came in 1965. Therefore, unless, the Hon. Minister clarify the situation, there will be suspicion in our minds.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने यह कहा था कि ये शस्त्रास्त्र छिपे हुए पाये गये थे तो हमने इससे यही अनुमान लगाया कि 1965 में घुसपैठियों द्वारा ही छोड़े गये होंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि इसके बाद और शस्त्रास्त्र नहीं आये क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। मैंने कहा है कि कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ व्यक्तियों को अपराधी पाया गया है।

श्री इन्द्रजीत महलोत्रा: अभी कुछ समय पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौनसी ऐजन्सिया हैं जो इस सम्बन्ध में जाँच कर रही हैं। क्या इस सम्बन्ध में केवल राज्य की ऐजंसियाँ ही जाँच कर रही हैं या केन्द्रीय सरकार को भी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस सम्बन्ध में राज्य की ऐजंसियाँ जाँच कर रही हैं।

श्री गणेश घोष : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सामान्यतः किस प्रकार के शस्त्रास्त्र हैं। बन्दूक के अलावा वे क्या थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस सम्बन्ध में मैं यहाँ एक वक्तव्य दे चुका हूँ यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ परन्तु, मैं समझता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं।

Shri Yajna Dutt Sharma : In the statement it has been mentioned that some machine guns have been found near Jammu and Kashmir. The Home Minister may please state the place where they were found.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में मुझे विस्तार से बताना होगा। मेरे पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है और मैं इसे माननीय सदस्य को दिखाने के लिये तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उसे सभा पाटल पर रख सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय वसु: हम वह विवरण चाहते हैं। वह केवल उनके लिये नहीं है। मैं विशेषकर इसमें रुचि रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: वह सब सदस्य के पास हो जायेगा।

Sri Gulam Mohammad Bakshi : I only want to know the types of arms and ammunition found dump in Bandipur and other places and how they were disposed off.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने, ब्यौरा माँगा है, यदि वह विशेष प्रश्न पूछते, तो मैं उन्हें पूर्ण ब्यौरा दे देता।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय पर अगले सप्ताह किसी समय चर्चा करने की अनुमति दे दी है। प्रश्नकाल में इससे अधिक जानकारी नहीं, दी जा सकती।

Abolition of Privy Purses of Ex-Rulers

Shri Y. S. Kushwah :
Shri N. K. P. Salve :
Shri K. R. Ganesh :
Dr. Ranen Sen.
Shri Satya Narain Singh :
Shri P. Gopalan :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri E. K. Nayanar :
Shri Deorao Patil :
Shri K. Ramani :
Shri P. N. Solanki :
Shri Mohan Swarup :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri K. Haldar :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Valmiki Choudhury :
Shri K. K. Nayar :
Shrimati Sushila Rohatgi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Sradhakar Supakar :
Shrimati Savitri Shyam :
Shri S. Kundu :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri Baswant :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government have taken a final decision in regard to the abolition of the Privy purses of the ex-Rulers ;

(b) if not, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ;

(c) whether Government have also received the resolution, passed by the ex-Rulers at their recent Conference ; and

(d) if so, the extent to which Government have agreed to these resolutions ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No Sir.

(b) It is not possible to indicate the exact time but a decision will be taken as early as possible

(c) Government have received an abstract from the proceedings dated 2nd August, 1967 of the All-Gujarat Rulers Joint conference and a copy of the statement issued after the conclusion of the conference.

(d) As stated in reply to part (a) of the question, Government have not yet taken the final decision.

Shri Y. S. Kushwah : Whether the Government will consider on the question of withdrawing the previleges given on the basis of caste, religion, creed and sex ?

Shri S. M. Banerjee : It will do nothing.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस सम्बन्ध में सभा में पहले ही बता चुका हूँ। इस सम्बन्ध में समस्त मामले की जाँच की जायेगी। इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय किया जायेगा।

Shri Y. S. Kushwah : Whether the Government have considered that by not fulfilling the Commitments at the time of migration given by it to the State Rajpramukhs, its credit will fall and its promises will have no value :

श्री यशवन्त राव चव्हाण: यह अपने अपने विचार हैं। इन सब पहलूओं की जाँच की जायेगी।

श्री न० कु० साल्वे: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनके और राजप्रमुखों के बीच निजी थैलियों सम्बन्धी चल रही वर्तमान बातचीत के कोई परिणाम निकले हैं ? क्या उनके पास

ऐसा भी कोई आदेश है कि निकट भविष्य में निजी थैलियो को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बात चीत आरम्भ हो गई है और प्रथम बार हमने इससे सम्बद्ध प्रारम्भिक मामलों पर विचार-विमर्श किया।

डा० रानेन सेन: गृह मंत्री की भूतपूर्व राजप्रमुखों से हुई बातचीत के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि महाराजा गायकवाड ने एक प्रेस सम्मेलन किया था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि निजी थैलियों के प्रश्न पर बातचीत नहीं की जा सकती। यही यह सच है, तो इस बातचीत के पीछे क्या प्रयोजन है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने भी वे प्रेस रिपोर्ट देखी है, परन्तु वह राजप्रमुखों की ओर से अन्तिम निर्णय नहीं है। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है की राजप्रमुखों से बातचीत करना चाहते हैं, परन्तु यदिवे विचार विमर्श नहीं करना चाहते तो उसके लिये हम क्या कर सकते हैं।

डा० रानेन सेन: ऐसी रिपोर्ट देखकर क्या गृह मंत्री ने इसकी सत्यता जानने का प्रयत्न किया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: जी, मैंने इस सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की।

श्री प० गोपालन: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या राजप्रमुखों को कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था कि उनसे विचार किए बिना उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि हाँ, तो निजी थैलियों को समाप्त करने के प्रश्न पर अपने दिए गए वचनों से सरकार परे हट गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: वास्तव में सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले कोई निर्णय नहीं लिया है। हम उनसे इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना चाहते हैं। हमने उनको यह स्पष्ट कर दिया है कि हम उनसे इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श करना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कुछ मंत्रीगण जिनमें श्री चव्हाण भी शामिल हैं, ने सार्वजनिक वक्तव्य दिया था जिसमें निजी थैलियों को समाप्त करने का विरोध किया गया था। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दिया था।

श्री ज्योतिमर्य बसु: मेरा अभिप्राय सार्वजनिक वक्तव्य से है सभा में दिए गए वक्तव्य से नहीं।

अध्यक्ष महोदय: सभा में दिया गया वक्तव्य अधिक महत्वपूर्ण और अधिकारपूर्ण होता है।

श्री नायनार: जब राजप्रमुखों से बातचीत की जा रही थी तो एक प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि निजी थैलियों को समाप्त करने के सम्बन्धें श्री चव्हाण उसके कानूनी पहलुओ के सम्बन्ध में जाँच कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस सरकार का वैसे ही पतन हो जायेगा जैसे ही भूतपूर्व राजप्रमुख, जो इस समय विधान सभा में काँग्रेस के सदस्य हैं, इसे छोड़ देंगे। उसमें यह भी कहा गया था कि इसलिए दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि निजी थैलियों को समाप्त करने से पूर्व इसके समस्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में धीमी कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। भूतपूर्व राजप्रमुख सत्तारूढ़ दल के साथ

हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय अपनी पहली घोषणा पर दृढ़ रहेंगे या निजी थैलियों को समाप्त करने के प्रश्न पर वह अपने वचनों से फिर जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा हमेशा आगे बढ़ने का ही ध्येय रहता है लेकिन इस मामले में उनसे बात चीत करना ही उचित तरीका है।

Shri Deorao Patil : The Hon. Minister has just told that the final decision regarding abolition of privy purses has not been taken so far. I want to know categorically whether the Government have admitted the principle of abolition of privy purses or not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसा कि मैंने कहा ये दो विभिन्न प्रस्ताव हैं। कांग्रेस दल ने एक निर्णय लिया है। सरकार को सामान्यतः किसी भी विषय पर निर्णय लेते समय उन प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहेगी।

श्री रमानी : पदारूढ़ कांग्रेस दल ने भी अपन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में निजी थैलियों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निजी थैलियों को समाप्त करने के हेतु गृह कार्य मंत्री कोई विधेयक शीघ्र ही लाने का प्रयत्न करेंगे। वह राजप्रमुखों से बातचीत करने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? क्या वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ राजप्रमुख मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और वह इसकी आलोचना रहे हैं। अतः इसमें विलम्ब करने के उद्देश्य से वह उनसे बातचीत कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ऐसा कहना मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रति अन्याय होगा। किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य ने इसकी आलोचना नहीं की है। इस सम्बन्ध में सरकार की सुनियोजित नीति है और इसीलिये वह यह चाहती है कि राजप्रमुखों से विचार–विमर्श कर वे समस्या के ऐसे हल पर पहुँच जायें जो सबको स्वीकार्य हो।

श्री मनोहरन: यदि किसी हल पर नहीं पहुँचा गया तो क्या स्थिति होगी?

Shri Sarjoo Pandey : Whether it is a fact that delay is being caused in this matter so that the ex-rulers, who are in Congress may not quit and thereby Central Government may fall ?

श्री यशवन्तरावा चव्हाण: यह बहुत अनुचित धारणा है कि और दुर्भाग्य से माननीय सदस्य ने स्थिति का बहुत गलत अनुमान लगाया है। यह सच नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : क्या भूतपूर्व राजप्रमुखों की निजी थैलियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में संवैधानिक पहलुओं और उनके विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में विचार किया गया है, यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ये सब मामले विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया है।

श्रीमती सावित्री श्याम : जैसी कि सरकार को जानकारी है कि 10 तारीख को हुए राजप्रमुखों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि वे जिन भी प्रसंविदों के अन्तर्गत उन्हें निजी थैलियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उन्हें समाप्त नहीं होने देना चाहते। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार अब ऐसी स्थिति पैदा करेगी कि वे अपने अधिकारों या विशेषा-धिकारों को छोड़ देंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम इन सब पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री कुण्डू : जब इस विषय पर सभा में चर्चा की गई थी तो माननीय मंत्री ने इसे नैतिक प्रश्न की संज्ञा दे दी थी। मेरे विचार से उन्हें यह स्मरण होगा। उन्होंने उस समय ऐसा आश्वासन दिया था कि वह निजी थैलियों और राजप्रमुखों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करने वाले हैं।

अब कई महीनों बाद भी वह यही कह रहे हैं कि मामला अभी भी विचाराधीन है। इस बीच क्या हुआ ? क्या माननीय मंत्री का यह विचार है कि कांग्रेस दल में गम्भीर मतभेद हैं ? दूसरे, मंत्रिमंडल में इसके प्रति गम्भीर मतभेद हैं। तीसरे क्या माननीय मंत्री समझौते का एक ऐसा तरीका निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके अनुसार राजप्रमुखों को दिए जाने वाले कुछ विशेषाधिकारों को वापिस ले लिया जायेगा जबकि उन्हें दिए गए दूसरे अधिकारों को रहने दिया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य स्थिति का गलत अनुमान लगा रहे हैं। इसका कांग्रेस या कांग्रेस के बाहर फैले मतभेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न को हल करने के विभिन्न अपने-अपने तरीके हैं। मैं इसको पूर्णतया स्पष्ट करना चाहूँगा। हम इस मामले को उनसे बातचीत द्वारा हल करना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : Last time he told that he had admitted that principle.

Shri Y. B. Chavan : Yes we have accepted that principle .

Shri Shiv Chandra Jha : Whether there is or there is not increase in the inflationary trends in the economy of the country by paying privy purses. If it is so and there are certain constitutoinal hurdles in abolishing privy purses, can we not abolish the privy purses by making necessary amendments in the Constitution and thereby stop the inflationary trends ? If the Government can do that why do not it do that ?

What are the difficulties before it ? Whether the Government fears with the ex-rulers or with the class they have formulated or with their gherao or dharna ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: घेराव का डर राजप्रमुखों से नहीं परन्तु अन्य दिशा से है। वास्तव में इस सम्बन्ध में घेराव विचार का विषय नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी से भी डर का प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में समस्या को हल करने के लिये एक विशेष तरीका अपनाने का प्रश्न है और वह मैंने स्पष्ट कर दिया है।

Shri Shiv Chandra Jha : It has not been replied whether there is an increase in the inflationary trends in the country by paying privy purses to the ex-rulers, and if so can't we stop it by making certain amendments in the Constitution and if so why not the Government take an action like that ?

श्री नाथ पाई: अखिलभारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में प्रधान मंत्री ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि सरकार इसको क्रियान्वित कर रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान उनके भूतपूर्व सहयोगी महाराजा बड़ौदा, श्री फतेहसिंह जी के बम्बई में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि "जब मेरी भेंट श्री चव्हाण से हुई तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह उन्हें महाराजाओं से सहानुभूति है। श्री चव्हाण ने आगे कहा था कि वे उनके भाषणों पर न जायें।" अब मैं यह जानना चाहता

हूँ कि हम किस वक्तव्य को सच समझें। उनके द्वारा सभा में दिए गए आश्वासनों को, उनके द्वारा अखिल भारतीय काँग्रेस समिति में दिए गए वक्तव्यों को या राजप्रमुख को गुप्त रूप से दिए गए आश्वासनों को। सरकार भी वास्तविक नीति क्या है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: सभा में दिए गए वकतव्य ही सरकारी नीति के बोधक हैं। ऐसा वक्तव्य देना कि सभा में दिए गए मेरे वक्ततव्य की ओर ध्यान न दिया जाय, बिल्कुल असत्य है।

श्री नाथ पाई: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं निश्चय ही इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। हम इस देश में राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित करने वाले सभी लोगों को जानते हैं। यह ठीक है कि हमारे दल ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किए हैं। अब उसे क्रियान्वित करना बाकी है। क्रियान्विति की यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। जब सरकार ने कोई निर्णय करना है तो अच्छी प्रकार से सोचसमझ कर करना है। इसलिये हमने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष विशेष पर पहुँचने से पूर्व हमारा प्रयत्न ऐसा समाधान ढूंढ़ने का होना चाहिए जो सब को स्वीकृत हो। इसलिये हमने इस मामले पर पूर्व शासकों के साथ वार्ता करने का निर्णय किया है।

श्री नाथ पाई: यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं उनके उत्तर का गुण-दोष विवेचन नहीं कर रहा। यह वक्तव्य रिकार्ड में है, "गुजरात हेरल्ड" में महाराज गायकवाड़ के वक्तव्य का ब्यौरा प्रकाशित हुआ है। सभा में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनों का इस वक्तव्य द्वारा उपहास किया जा रहा था और जब कि उनके पास केन्द्रीय जाँच ब्यूरो जैसा सूचना देनेवाला विभाग भी है ऐसी परिस्थिति में क्या मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह इस प्रकार के वक्तव्य का विरोध करते जो सभा में दिए गए उनके आश्वासनों के विरुद्ध जाता है? हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: उनके साथ मेरी बातचीत के बाद हम एक विज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमत हो गए थे और जहाँ तक उस विज्ञप्ति का सम्बन्ध है, हम ने कहा, "हमने इस सम्बन्ध में प्रायमिक मामलों पर चर्चा की है।"

Shri Madhu Limaye : That Communique should be laid on the Table of the House.

Shri Y. B. Chawan : I shall place it. What does it matter ? However I have not come across that statement.

Shri Madhu Limaye : It has been published in all the newspapers.

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: वह कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देखा है। इसलिए बात समाप्त हो जाती है।

Shri Madhu Limaye : I may tell him for his information that Shri Fateh Singh Rao Gaikwad had said that both of us are politicians and such statements are issued. These statements do not carry any meaning. This is sheer tactics.

श्री बी० शंकरानन्द: सरकार के सामने निजी थैलियों को समाप्त करने की समस्या है और वे इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या

निजी थैलियों को समाप्त करके स्थायी समाधान ढूंढ़ लिया गया है या यह प्रक्रिया मात्र है और इसका समाधान कोई कार्यकारी आदेश जारी करके या संविधान में संशोधन करके निकाला जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): हम अभी कोई समाधान नहीं कर सके। अभी यहाँ पर इस मामले पर चर्चा हो रही है और हम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने और हम उनका दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद ही हम कोई समाधन निकाल सकते हैं।

श्री हेम बरुआ: मेरा एक व्यस्था का प्रश्न है। कुछ मिनट पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्होंने निजी थैलियों को समाप्त करने को सिद्धान्त रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। परन्तु इससे पहले उन्होंने सभा में बतलाया था कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और जबलपुर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि.....

अध्यक्ष महोदय: जबलपुर में क्या हुआ इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री कृष्ण मूर्ति: माननीय प्रधान मंत्री ने तथा गृह-कार्य मंत्री ने पिछले सत्र के दौरान बताया था कि सरकार ने निजी थैलियां समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि विरोधी दल और शासक दल के बीच मतभेद.....

अध्यक्ष महोदय: यह सब असम्बद्ध बातें हैं। आप प्रश्न पूछिये। हम इस मामले में समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री कृष्ण मूर्ति: क्या यह सच है कि शासक दल के 35 सदस्यों ने धमकी दी है कि यदि सरकार ने इस नीति को क्रियान्वित किया, तो वे सरकार को समर्थन नहीं देंगे? क्या यह सच नहीं है कि सरकार उनके दबाव के आगे झुक गई है और वे अपने आश्वासनों से पीछे हट गई है।

श्री हनुमन्तय्या: मंत्री महोदय ने पूर्व शासकों के साथ परामर्श करने तथा उनके साथ सम्मेलन में भाग लेने की शिष्टता प्रदर्शित की है। क्या वह सभा में औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को रख कर सभा के प्रति भी शिष्टता प्रदर्शित करेंगे और इस सम्बन्ध में मतदान द्वारा उनकी राय की जानकारी प्राप्त करेंगे?

श्री यशवन्तराव चाव्हाण: हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुँचे। यह स्वाभाविक है कि अन्त में जो कुछ किया जायेगा, वह अन्ततोगत्वा सभा द्वारा ही किया जायेगा।

Shri Kunwar Lal Gupta: The Hon'ble Minister has just said that he is negotiating about the settlement of privy purses of princes. But the Government has taken definite decision about withdrawal of special privileges and want to know whether Government has taken any steps to withdraw these special privileges at an early date? Secondly whether the privy purses would ultimately be abolished irrespective of the fate of the negotiations or it is possible that they may not be abolished ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के विचारों को जानता हूँ परन्तु मैं इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी या सरकार की नीति के बारे में कोई गलतफहमी रहे। जब मुझसे किसी ने पूछा कि क्या इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है, तो मैंने कहा कि, सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया

है। मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है या नहीं किया है। मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे दल ने एक निर्णय लिया है और स्वभावतः जब सरकार उसी दल का प्रतिनिधित्व करती है तो हम उस निर्णय को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा दृष्टिकोण यही है। उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये हमें कोई न कोई स्थिति बनानी है और एक स्थिति यह है कि जो हमने अपनाई है कि अन्त में हम जो कुछ निर्णय करें, कोई भी निर्णय करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हमें पूर्व शासकों के साथ विशेषाधिकारों तथा निजी थैलियों के बारे में बातचीत करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य: क्या आप विशेषाधिकारों के बारे में वार्ता कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हम उनके साथ कुछ बतचीत कर रहे हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि हम उनको अभी से कुछ बता दें कि हम उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे और उस सम्बन्ध में नहीं करेंगे। लोगों के साथ बातचीत करने का यह ढंग ठीक नहीं है। वे हमारे शत्रु नहीं हैं। वे भी भारतीय हैं (व्यवधान) हमें उनसे ठीक ढंग से बातचीत करनी चाहिये। इसलिये जब हम उनसे निजी थैलियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यह भी आवश्यक है कि विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में भी उनसे वार्ता करें।

श्री शिवाजी राव शं०देशमुख: देश में उन लोगों के भय कम करने के लिये जो अब भी वर्तमान गृह-मंत्री को प्रगतिवादियों में प्रमुख समझते हैं, क्या गृह मंत्री हमें इस बात का आश्वासन देंगे कि वह कम से कम निजी थैलियों को लाभ-प्रद के रूप में घोषित करने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे?

श्री यशवन्तराव चाव्हाण: इस सम्बन्ध में कोई एक मंत्री निर्णय नहीं कर सकता। अन्त में यह निर्णय सरकार को करना है।

श्री क० लकप्पा: काफी चर्चा के बाद उन्होंने एक संघ बनाने का निर्णय किया है और कुछ पूर्व शासकों ने आन्दोलन करने और इस मामले को न्यायालय में ले जाने की धमकी भी दी है जिससे सरकार के निर्णय में और भी देरी हो। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि गृह-कार्य मंत्री पूर्व शासकों को इस मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए और निजी थैलियों के सम्बन्ध में निर्णय में देर करवाने के लिये प्रोत्साहन देते हैं। क्या गृह-कार्य मंत्री पूर्व शासकों द्वारा न्यायालय में जाने की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं? अथवा क्या वह सरकार का प्रस्ताव सभा में शीघ्र चर्चा करने के लिए पेश करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री क० लकप्पा: नहीं। क्या वह कुछ पूर्व शासकों का समर्थन कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: नहीं। यह बात ठीक नहीं है।

Shri A. S. Saigal : In case we take a decision about the abolition of privy purses then whether Government would be prepared to abolish the special privileges given to the princes under Section 363 ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: अन्त में हम जो भी निर्णय करेंगे, वह निर्णय हम सभा के सम्मुख रखेंगे। मैं उससे पहले कुछ नहीं कह सकता।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether attention of the Government has been drawn to the news item published in the newspapers, in which former Governor General of India

Lord Mountbatten has expressed his views with regards to the question of privy purses. He has said that as he was present when this decision was taken and agreement signed, therefore he is upset by these new developments and Lord Mountbatten has also written a letter to the Government. If he has written such a letter, what is the reaction of the Government in regard thereto ? Whether it is also a fact that there is difference of opinion in this matter in the Council of Ministers. ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कम से कम मैंने लार्ड माउन्टबैटन का यह पत्र नहीं देखा, परन्तु मैंने इस सम्बन्ध में समाचार पढ़ा है। मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। लार्ड माउन्टबैटेन को अपने विचार बनाये रखने का अधिकार है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it is a fact that there is difference of opinion over this issue in the Council of Ministers ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मंत्रिमंडल में इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है।

चीनियों द्वारा नेफा के नवयुवकों का विचार परिवर्तन किया जाना

*64. **श्री रवि राय** **श्री विश्वम्भरन:**
श्री मधु लिमये: **श्री कामेश्वर सिंह:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय नेफा के कुछ नवयुवक सीमा पार करके चीन चले गए थे तथा चीनी साम्यवादियों द्वारा वहाँ पर उनका विचार परिवर्तन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि वे नवयुवक नेफा वापिस आ गये हैं, तथा उन्होंने नेफा के युवकों का विचार परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) इस प्रकार विचार-परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Rabi Roy : Two or three days back, a news item was published in all the newspapers that about 150 youngmen of NEFA had crossed over to China and they have come after receiving training in China and they are propagating the views of Communist China on their return. I want to ask that when such things are happening there, then how can Government deny the knowledge of these things ? I would also like to know whether Government would enquire into this matter and inform the House if any such thing is happening there ?

Shir Vidya Charan Shukla : We have not said that we do not know about it. We have said that we know that this information is not correct.

Shri Rabi Roy : May I know the number of persons who have come back after prolonged training ?

Shri Vidya Charan Shukla : When they have not gone there, the question of their coming back does not arise.

Shri Madhu Limaye : Sir, whether they agree or they may not agree but the fact remains that in 1962 some people crossed over to China and some people were arrested by

Chinese Government and they are now coming back in batches. In order to giving a befitting reply to China for its carrying anti-India propaganda whether Government is contemplating to enforce democratic system in NEFA and to fill in the gap which has been created between NEFA and rest of the country due to the enforcement of permit system so that the people of NEFA are integrated with rest of the country, because after all it is an Indian Territory. Whether Government is considering its democratisation and to bring an end to its separation.

Shri Vidya Charan Shukla : So far we are aware, no such person had been arrested by China. So far the question of propaganda is concerned, we have taken counter measures and we have been benefited by the same. So far the question of visiting NEFA is concerned, some border areas have been restricted for the purposes of security, and the persons who do not violate the security rules, are at liberty to go there.

Shri Madhu Limaye : He is talking about security but I was asking about the permit system. I want to know whether this permit system is in force in Manipur or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : This discussion relates to NEFA.

Shri Madhu Limaye : Why has he mentioned border areas, there are several border areas of the country ?

Shri Vidya Charan Shukla : This is a border area and I have said in that connection that we have made this arrangement for the purposes of security. The persons who do not violate the security rules, are at full liberty to go there.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: क्या नेफा के सम्बन्ध में भी ऐसी कोई सीमा है।

श्री विशम्भरम: उपरोक्त वक्तव्य के कारण क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या वह इस मामले की और आगे जाँच करेंगे कि जो लोग चीन में अतिक्रमण कर गए थे, वे अब नेफा में वापिस आ गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: इस बात का उन्होंने पहले ही इन्कार कर दिया है।

श्री विश्म्भरम: मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सूचना इस समय सरकार के पास है उसके अनुसार तो यह बात ठीक नहीं है परन्तु बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह घटना वहाँ हो रही है। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले की और जाँच करे।

श्री विद्याचरण शुक्ल: हमने पहले ही इस मामले की अच्छी प्रकार से जाँच कर ली है और हमें पता चला है कि यह बात सत्य नहीं है।

Shri Kameshwar Singh : The Hon'ble Minister has just now denied that some persons have come back from China duly indoctrinated. But it remains a fact. Therefore will the hon'ble Minister state whether these persons belonging to NEFA who have come back duly indoctrinated have brought some Chinese also with them and whether they have got any transmitter with them and by means of which they pass on the information pertaining to the movements of our troops to China regularly, and whether he is aware that they have also brought the books of Mao with them which are being distributed there ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already replied to this query. When no one has gone from here, the question of his coming back does not arise.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जैसलमेर के सामरिक महत्व के कुओं तथा चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा

*66. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पुरानी जैसलमेर रियासत में स्थित सामरिक महत्व के बहुत से कुओं और चौकियों पर कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें वापिस लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Law and Order Situation in Kashmir

*67. **Shri Bibhuti Mishra** :

Shri C. K. Bhattacharyya : **Shri Sarjoo Pandey** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Army had to be sent to assist the civil authorities in Srinagar (Kashmir) on the 24th August, 1967 ;

(b) if so, the details of the situation which necessitated assistance from the Army ; and

(c) the extent to which the Army extended assistance and was successful in controlling the situation ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The State Government have reported that the civil authorities in Srinagar did not call for the Army's assistance on the 24th August, 1967.

(b) and (c) : Do not arise.

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का दो भागों में विभाजन

*68. **श्री गाडिगिन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन कारणों से ऐसा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) **और (ख)** विदेशी गुप्त वार्ता को देश की अन्दरूनी गुप्तवार्ता विभाग से अलग करने के एक सुझाव पर विचार किया जा रहा है। अभी यह सुझाव जाँच की प्रारम्भिक स्थिति में है। इस सुझाव का कारण यह है कि दोनों के काम की प्रकृति में अन्तर है और विदेशी गुप्तवार्ता से देश के अन्दरूनी गुप्तवार्ता विभाग को अलग करने से गुप्तवार्ता सेवा की दक्षता में वृद्धि हो सकती है।

उद्घाटन उड़ानों में विदेश जाने वाले संसद-सदस्य

*69. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : **श्री अब्दुलगनी दार** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1967 से ऐसी कितनी उद्घाटन उड़ानें हुई हैं, जिनमें संसद् सदस्य विदेश गये हैं;

(ख) इन संसद् सदस्यों का नाम क्या है तथा वे कितने समय तक विदेशों में ठहरे हैं; और

(ग) इन उड़ानों पर कितना व्यय हुआ ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 15 मार्च, 1967 से एयर इंडिया की आठ उद्घाटकीय उड़ानें हो चुकी है जिनमें संसद् सदस्य विदेशों में गये।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1568/67)

(ग) कुल व्यय अभी तक ज्ञात नहीं है लेकिन प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति पर अनुमानित व्यय प्रतिदिन लगभग 315 रुपये हुआ है।

लोकपाल और लोक आयुक्त

*70. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : **श्री मणीभाई जे० पटेल** :
श्री दामानी **श्री कं० हल्दर** :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लोक आयुक्तों के पद बनाने के लिये राज्यों की सहमति की प्रतीक्षा किये बिना केन्द्र में लोकपालों के पद बनाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो लोकपालों के पद बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उनके द्वारा कब से काम आरम्भ कर दिये जाने की आशा है; और

(ग) लोक आयुक्तों के पद बनाने के लिये विभिन्न राज्यों की सहमति प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या केन्द्र को अकेले अपनी आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त संस्थायें स्थापित करने के बारे में कार्यवाही जारी रखनी चाहिए।

(ग) लोकपालों और लोकायुक्तों के पदों की स्थापना के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के सुझावों को राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उनके पास भेजा गया था और बाद में 9 अप्रैल, 1967 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन पर प्रारम्भिक रूप से बातचीत हुई थी। तब से 10 राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

शेख अब्दुल्ला की नजरबंदी

*71. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
श्री शारदानन्द : **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला को ठहराने के लिये नई दिल्ली में कोटला लेन में एक बड़े बंगले का जीर्णोद्धार सरकार ने कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस बंगले का जीर्णोद्धार कराने पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) शेख अब्दुल्ला की नज़रबंदी के प्रबन्ध करने पर सरकार कितना धन प्रति मास खर्च करती है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) कोटला लैन का बंगला नम्बर ३, जून 1966 से कब्जे में नहीं था, अब इसे रहने योग्य बनाया गया है।

(ख) बंगले को रहने के योग्य बनाने के लिये लगभग 1300 रुपये की राशि व्यय की गई इसमें बिजली की वायरिंग आदि भी शामिल है। इस व्यय में सुरक्षा के लिये किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं है।

(ग) शेख अब्दुल्ला को 1 अक्तूबर, 1967 से 1500 रुपये प्रतिमास का निर्वाह अनुदान दिया जाता है। उन्हें अपने सभी निजी खर्चे इस राशि में से करने होते हैं। इसके अलावा उनके लिए सरकारी खर्च पर एक रसोइये और बैरे की भी व्यवस्था है। सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था पहले से नियुक्त पुलिस कर्मचारियों में से नियुक्ति द्वारा की गई है। अस्तु ऊपर बताये गये 1500 रुपये प्रतिमास के अलावा और बंगले के रख रखाव के अलावा जिसमें पानी तथा बिजली आदि के बिल भी शामिल हैं, शेख अब्दुल्ला को 3 नम्बर कोटला लैन में नजरबन्द रखने पर अनुमानतः लगभग सोलह हजार रुपया प्रतिमास व्यय होता है।

जासूसी के मामले

*72. **श्री मणिभाई जे० पटेल** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जासूसी के उस मामले के बारे में, जिसमें सर्वश्री मोहित चौधरी और सुनील दास अन्तर्गस्त हैं, की जा रही जाँच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) **और** (ख) जाँच पूरी हो गई है और न्यायालय में चार अभियुक्तों के खिलाफ, जिनमें मोहित चौधरी और सुनील दास भी शामिल हैं, एक शिकायत सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 5 और 9 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई। मामला अब न्यायाधीन है।

नक्सलबाड़ी के उपद्रव की रिपोर्ट

*73. **श्रीयशपाल सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नक्सलवाड़ी में हुए उपद्रव के बारे में एक रिपोर्ट भेजने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) राज्य सरकार से जुलाई के अन्त में नक्सलबाड़ी की स्थिति के बारे में अपना मत देने के लिये कहा गया था और उनका उत्तर अगस्त के आरम्भ में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार अपने पाक्षिक प्रतिवेदनों के जरिए हमें बाद के घटना क्रमों के बारे में भी सूचना देती रही थी। राज्य सरकार के साथ होने वाले पत्र-व्यवहार को सदन के सभा-पटल पर रखने का विचार नहीं है।

शिव सेना

*74. **श्री अदिचन :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री नायनार : **श्री हेमराज :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री देवेन सेन :**
श्री प्र० के० देव : **श्री बसवंत :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री न० कु० साल्वे :**
श्री क० लकप्पा : **श्री कृष्णमूर्ति :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में शिव सेना की विध्वंसक गतिविधियों का सरकार को पता है;

(ख) क्या सरकार को बम्बई में रहने वाले दक्षिण भारतीयों पर शिव सेना द्वारा हिंसात्मक आक्रमण किये जाने के समाचार मिले हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो शिव सेना की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ।

(ख) ऐसे आक्रमणों के आरोपों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जाँच करने पर पता चला कि शिव सेना का ऐसे आक्रमणों में कोई हाथ नहीं था।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से घनिष्ट सम्पर्क स्थापित कर रखा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा पूरी-पूरी सतर्कता बरती जा रही है और प्रत्येक ऐसे मामले में कार्यवाही की गई, जहाँ किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता था। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया है कि बम्बई नगर के सार्वभौम रूप की रक्षा के लिये और इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिये सभी जरूरी कदम उठाये जायँगे कि विभिन्न राज्यों के व्यक्ति वहाँ शांतिपूर्वक रहें।

नौवहन उद्योग का विकास

*75. **श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री रमानी : **श्री अब्राहम :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में नौवहन उद्योग का विकास करनें के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ. तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या योजना बनाते समय विदेशी हितधारियों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) चूँकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और योजनायें प्रति वर्ष के आधार पर बनाई जा रही हैं अतः नौवहन के लिए 10 वर्षीय योजना बनानें का प्रश्न नहीं उठता है। फिर

भी धन उपलब्ध हुआ तो चौथी योजना की रूपरेखा के मसौदे में नियत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये जाएँगें अर्थात् 31-3-1971 तक 30 लाख जी० आर० टी० चालू और 5 लाख जी० आर० टी० आदेशाधीन। बड़े खुले माल वाहकों और टैंकरों की प्राप्ति पर बल दिया जाएगा। परन्तु अन्य किस्म के पोतों की प्राप्ति पर कोई रोक नहीं होगी।

(ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं उठते ?

नेफा के लिये संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा

*76. **श्री भगवान दास**
श्री विश्वनाथ मेनन
श्री प्र० न० सोलंकी
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्यार्थियों में असंतोष

*77. **श्री मयावन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों में फैले असंतोष को रोकने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में गत वर्ष नियुक्त की गई पुलिस के इंस्पैक्टर जनरलों की उप-समिति ने एक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये परिचालित कर दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्रीयशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ) मुख्य सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास उनका मत जानने के लिये भेजा गया है। राज्य सरकारों के मत प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

महाजन आयोग की रिपोर्ट

*78. **श्री क० लकप्पा :**
श्री अगाड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वम्भरन :
श्री बलराज मधोक :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री नाथ पाई :
श्री देवराव पाटिल :
श्री नायनार :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की मैसूर, महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों के बीच के सीमा-विवादों के सम्बन्ध में महाजन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) इस मामले में बाद की कार्यवाही कब की जाएगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने का है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(घ) प्रतिवेदन की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं और सदस्यों को भी दी गई हैं।

रांची में हुए दंगे

*79. **श्री उमा नाथ :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सीताराम केसरी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री नितिराज सिंह चौधरी :
श्री सरजू पाण्डे :
ड० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह राँची में हुए हाल के साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् वहाँ गये थे;

(ख) क्या उन्होंने पदाधिकारियों से इन दंगों के कारणों की जाँच करने को कहा है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) बिहार के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह तय पाया कि उन अपराधिक मामलों की जाँच पड़ताल जोर-शोर से की जायेगी जो बिहार की पुलिस द्वारा उपद्रवों के सम्बन्ध में चलाये गये थे और उसे यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 443 प्राथमिक सूचनाओं के बारे में पुलिस द्वारा जाँच-कार्य हाथ में लिया गया। इनमें से चार सौ के बारे में जाँच पूरी हो गई है और 43 मामलों की जाँच अभी तक जारी है। इन जाँचों के परिणामस्वरूप 32 मामले न्यायालयों को सौंपे गये और 368 के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन दे दिये गये हैं। जो 32 मामले न्यायालयों के सामने उपस्थित हैं उनके साथ 165 अभियुक्तों का सम्बन्ध है जिनमें से 21 फरार हैं।

दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार ने पिछले कुछ मास के बड़े-बड़े सांप्रदायिक उपद्रवों की जाँच के लिये एक आयोग नियुक्त किया है। इन उपद्रवों में राँची और हाटिया के उपद्रव भी शामिल हैं।

Ill Treatment of Tourists Visiting Kashmir

*80. **Shri Ram Gopal Shalwale** :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that some tourists visiting Kashmir valley were ill-treated and robbed of their belongings recently ;

(b) whether it is a fact that the Pakistani elements are involved in these incidents ;

(c) whether Government have made any enquiry about these incidents ; and

(d) if so, the result of the enquiries made and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d): From the information obtained from the State Government it is understood that following demonstrations in Srinagar on the 3rd October, 1967, which led to police firing resulting in a few casulaties, there was considerable tension and the next day a couple of buses carrying tourists and others were subjected to pelting of stones at Pampore and Bijbihara, two towns on the highway. One of the tourists received some injuries and the buses returned to Srinagar. About a dozen persons, all of them local people, were arrested in connection with these incidents and have been detained or prosecuted.

Unfortunate as these incidents were, confidence was soon restored. The State Government are very anxious to ensure that tourists are given protection, assistance and encouragement, and the Government of India will render all cooperation to the State Government in this respect. It is a matter for satisfaction that Kashmir has had a record tourist season this year.

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता

*81. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों और कालेजों को वित्तीय सहायता देने के मामले में समान नीति अपनाई है, ताकि गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा के प्रसार को नुकसान न पहुँचे;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी सभी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली राज्य को वित्तीय सहायता देने के ढांचे के समान ढांचा लागू करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हाँ' हो तो किस वर्ष से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : सहायता अनुदान नियमों के प्रश्न पर विशेष रूप से राज्य सरकारों को ही निश्चय करना होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

साम्प्रदायिक एकता

*82. **श्री न० क० साल्वे** : **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्रेमचन्द वर्मा : **श्री मुहम्मद इमाम** :
श्री वासुदेवन नायर : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों में साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने तथा साम्प्रदायिक मत-भेद एवं वैमनस्य से उत्पन्न होनवाली घटनाओं को सक्रिय रूप से दबाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

साम्प्रदायिक तनाव को रोकने और साम्प्रदायिक दंगों को पूरी दृढ़ता से दबाने के लिये पर्याप्त कदम उठाने के लिये मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था। अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों की ओर भी मैंने उनका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट किया है:

(एक) विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ते हुए तनाव के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध होने चाहिये;

(दो) जिन क्षेत्रों में तनाव हुआ है या आगे होने की संभावना है वहाँ नागरिकों की समितियाँ बनाई जानी चाहिये;

(तीन) कानून के निवारक उपबन्धों का पर्याप्त प्रयोग होना चाहिये;

(चार) 1964 में जमशेदपुर और रुरकेला में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए औद्योगिक साम्प्रदायों में सतर्कता बनाये रखना विशेष रूप से आवश्यक है; और

(पाँच) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले लेखों की जाँच पड़ताल करने के लिये व्यवस्थित प्रबन्ध होने चाहिये। ऐसे लेखों और भाषणों को रोकने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क के उपबन्धों का पर्याप्त प्रयोग होना चाहिये।

2. साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिये राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता दी गई है।

3. 1 अगस्त, 1967 के बाद विभिन्न राज्यों में हुए कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक दगों की जाँच करने के लिये 1 नवम्बर, 1967 को एक जाँच आयोग नियुक्त किया गया था।

4. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को पुनः स्थापित करने का भी निर्णय किया गया है ताकि देश में साम्प्रदायिक तथा अन्य विभाज्यकारी शक्तियों को बढ़ने से रोका जा सके।

लद्दाख का राजनैतिक ढाँचा

*83. **श्री यशदत्त शर्मा :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख के सामरिक महत्व का ध्यान रखते हुए सरकार का विचार वहाँ का राजनैतिक ढाँचा बदलने का है;

(ख) क्या लद्दाख की जनता ने लद्दाख को काश्मीर से अलग करने और वहाँ पर नेफा की तरह का प्रशासनिक ढांचा लागू करने की माँग को दोहराया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में और इस सामरिक महत्व के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) कुछ व्यक्तियों से इस प्रकार का एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार का काश्मीर से लद्दाख को अलग करने का सुझाव नहीं है।

इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए भारत सरकार उनकेअनुमोदन से राज्य योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है।

प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना

*84. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाहियों का कार्यक्रम तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या निश्चित अवधि के अन्दर पुस्तकें, विशेषकर वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें तैयार कराने के लिये कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के आयोजन तथा उसके अवस्थान के ब्यौरे राज्य सरकारों द्वारा, और विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के लिए खर्च की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

(घ) वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग ने भारतीय भाषाओं को स्वीकार करने अथवा अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त शब्दावली के प्रसार में पर्याप्त कार्य किया है। आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की कुछ पुस्तकें भी तैयार की हैं। यह भी विचार है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकें तैयार करने और विकास के लिए एक करोड़ रुपये तक की सहायता प्रत्येक राज्य को दी जाए।

बड़े पत्तनों का आधुनिकीकरण

*86. **श्री पार्थसारथी :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दस बड़े भारतीय पत्तनों का व्यापक सर्वेक्षण करने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिये सिफारिशें करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा उसके विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में सरकार ने न्यूयार्क, लन्दन तथा हैम्बर्ग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संस्था के अधिकारियों की सलाह माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री(डा० वी० के०आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मेरी प्रार्थना पर इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एन्ड हारबर ने सिद्धांतरूप से न्यूयार्क, लन्दन और राटरडेम के पत्तनों से तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञ दल को भेजने के लिये प्रायोजित कर लिया है जो हमारे बड़े पत्तनों का तुरन्त सर्वेक्षण कर सकें और गहराई में और कौन से विशेष अध्ययन किये जा सकें इस पर सिफारिश करें। ये ब्यौरे विचाराधीन हैं।

छात्रवृत्तियां मंजूर करने में विलम्ब

*87. **चेंगलराया नायडू** : **श्री म० ला० सौंधी** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी और विद्यार्थी सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का चिरकाल से विरोध कर रहे हैं क्योंकि विद्यार्थियों को धन की मंजूरी देने में तथाकथित असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) क्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के सम्बन्ध में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) विद्यार्थियों को अपनी छात्रवृत्तियों की राशि देने में साधारणतः कितना समय लगता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं, छात्रवृत्ति पाने वालों की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत देरी के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं।

(ख) छात्रवृत्तियों के जल्द ही वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अदायगी की एक नई क्रियाविधि लागू की है जिसका राज्य सरकारें अनुसरण करें।

(ग) चूंकि ये योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, अतः ठीक समय बताना सम्भव नहीं है कि विद्यार्थी को अपनी छात्रवृत्ति लेने में कितना समय लगता है। फिर भी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि जैसे ही विद्यार्थी के कागजात पूरे हो जाएं, उसे छात्रवृत्ति की राशि मिल जानी चाहिए।

स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की योजना

*88. **श्री अर्जुन सिंह भादौरिया** : **श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की योजना की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति की कोई योजना सरकार के पास विचराधीन नहीं थी। हाँ, 17.5.66 को वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय-ज्ञापन जारी किया गया था जिसके अनुसार फालतू घोषित किये जाने वाले उन कर्मचारियों की अर्हतादायी सेवा में, विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत 5 वर्ष जोड़ दिये जाते जो सेवा निवृत्त होना चाहते हों।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार के पास स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति की कोई योजना विचाराधीन नहीं थी।

आसाम में पृथक होने की मांग

*89. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथक होने की माँगों वाले इश्तिहार अगस्त, 1967 के आरम्भ में आसाम के विभिन्न भागों में लगे हुए देखे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात की जाँच की गई है कि ये इश्तिहार किन लोगों द्वारा लगाये गये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) अब तक की गई जाँच से पता चलता है कि बहुत से गिरोह पर्चे और इश्तहार बाँट रहे हैं। इन वर्गों में से कुछ ठीक प्रकार से संगठित नहीं हैं। इन इश्ताहारों में से कुछ अशिष्ट हस्तलिखित पर्चे हैं। राज्य सरकार इस बारे में और आगे जाँच कर रही है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों का पश्चिम बंगाल में भेजा जाना

*90. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कई बटालियनों को सितम्बर, 1967 के अन्त में और उसके बाद पश्चिम बंगाल भेजा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार के विचार में विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति के बिगड़ने की सम्भावना थी। अत : राज्य सरकार चाहती थी कि उनकी सशस्त्र पुलिस की सहायता के लिये कुछ और पुलिस भेजी जाय। उनके अनुरोध पर सशस्त्र पुलिस के कुछ दस्ते पश्चिम बंगाल में भेजे गये थे।

मनीपुर के उत्तर में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के शिविर पर नागा विद्रोहियों का हमला

407 **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** **श्री क० कृ० नायर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 300 सशस्त्र नागा विद्रोही अगस्त 1967 के आरम्भ में मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में दाखिल हो गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागा विद्रोहियों ने मनीपुर के उत्तर में पलवाई स्थित केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के शिविर पर आक्रमण किया था; और

(ग) उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। हाँ उखरूल सब-डिवीजन में पाओयी स्थित केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की एक चौकी पर नागा विद्रोहियों ने 16 अगस्त, 1967 को आक्रमण किया था।

(ग) नागा विद्रोहियों के आक्रमण को हमारी सेनाओं ने विफल कर दिया। एक विद्रोही मारा गया और एक अन्य पकड़ा गया। सुरक्षा चौकियों को मजबूत किया गया है और गश्त को बढ़ाया गया है।

नेशनल राइफल एसोसिएशन

408. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया की स्थापना कब की गई थी, उसकी शाखाओं अथवा कार्यालयों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उसका वार्षिक प्रशासनिक व्यय कितना है, उसके पास कितनी राइफलें हैं और उसके सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है;

(ख) नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया के 12 उच्च अधिकारियों के नाम, पद तथा मासिक वेतन और उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) नेशनल राइफल एसोसिएशन के आरम्भ से लेकर अब तक उसके द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(घ) धोखे के और अधिक मामलों को रोकने के लिये सरकार द्वारा तत्काल क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) (i) स्थापना की तारीख	8 जून, 1954
(ii) राज्य की एसोसिएशनों की संख्या और इनसे सीधे सम्बन्धित क्लब	273
(iii) मुख्य कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या	13
(iv) नेशनल राइफल एसोसिएशन के वार्षिक रख रखाव के खर्चे	65,000 रुपये (अनुमानतः)
(v) नेशनल राइफल एसोसिएशन के सुपुर्द की गयी राइफलों और पिस्तौलों की संख्या	24
(vi) एसोसिएशन के जीवनसदस्यों की संख्या	1628
(ख) (i) मेजर इकबाल सिंह रंधावा, सहायक सचिव	470 रुपये प्रतिमास
(ii) श्री० पी० गर्ग, सम्पादक मासिक पत्रिका, "इंडियन राइफल मैन"	590 रुपये प्रतिमास

अन्य वैतनिक उच्च अधिकारी नहीं हैं।

(ग) नेशनल राइफल एसोसिएशन हथियारों का प्रशिक्षण देता रहा है तथा नेशनल चाँदमारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है और लोगों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देता रहा है।

(घ) सरकार द्वारा दिये गए सभी अनुदानों के लिये सरकार परीक्षा लेखे रखने पर जोर देती है।

भ्रष्टाचार

409. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966-67 में कितने राजपत्रित पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये थे; और प्रत्येक ने किस-किस प्रकार का भष्टाचार किया था और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय जाँच विभाग ने कितने मामलों की जाँच की और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) जाँच पूरी होने में और अपराधियों को दण्ड दिलाने में विलम्ब होने के क्या कारण थे; और

(घ) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये कर्मचारियों के नाम, उनकी संख्या और पद क्या थे; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 1966-67 के दौरान रिश्वत माँगने और स्वीकार करने तथा अवैध रूप से उपहार ग्रहण करने के आरोपों, अपनी आय की तुलना में अधिक परिसम्मत्त रखने, किन्हीं व्यक्तियों को अवैध रूप से आर्थिक लाभ पहुँचाने और सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने आदि से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामलों में 313 राजपत्रित अधिकारी और 391 अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल थे।

(ख) 1966-67 के दौरान केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा ऐसे कुल 830 मामले पंजीकृत किये गये जिनमें से 81 को न्यायालयिक जाँच के लिये भेजा गया, 472 को विभागीय कार्यवाही के लिये भेजा गया, 105 को उचित कार्यवाही के लिये मंत्रालयों/विभागों को भेजे गये, 58 मामले बन्द कर दिये गये या अन्यथा समाप्त किये गये और 114 में जाँच/पड़ताल शेष है।

(ग) विलम्ब के सामान्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) मामलों की जटिल प्रकृति।

(2) बहुत से रिकार्डों की जाँच।

(3) लेखा-परीक्षा सम्बन्धी मूल दस्तावेजों के प्राप्त होने में देर।

(4) अभिलेखों तथा साक्ष्य की अविलम्ब अनुपलब्धि।

(5) तकनीकी तथा विशेषज्ञ सम्मति प्राप्त होने में देर।

(6) विभिन्न स्थानों पर जाँच करने की आवश्यकता।

(7) अपराधियों के वेतन सम्बन्धी हवाले प्राप्त करने तथा उनकी सम्पत्ति आदि के मूल्यांकन में देर।

(8) अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा देर लगाने के तरीकों का प्रयोग।

(9) अन्तर्वादीय स्थिति पर अभियुक्तों द्वारा याचिकाएँ आदि देकर जाँच की प्रगति को रोका जाना।

(10) अभियुक्तों/साक्षियों का निश्चित तारीखों पर न्यायालयों में उपस्थित न होना।

(घ) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले अधिकारियों के नाम व पद जाहिर करना जन-हित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। हाँ जहाँ तक उनकी संख्या का प्रश्न है, 50 सरकारी कर्म-

चारी जिनमें 10 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं रिश्वत लेते हुये पकड़े गये थे। इन 50 में से 24 को जाँच के लिये भेजा गया, 17 को नियमित कार्यवाही के लिये भेजा गया, 6 को उचित कार्यवाही किये जाने के लिये सम्बन्धित विभागों के पास भेजा गया। दो के खिलाफ मामले उठा लिये गये और एक के विरुद्ध मामले की अभी जाँच शेष है।

स्कूलों के अध्यापकों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार

410. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूलों के अध्यापकों को राष्ट्रपति पुरस्कार किन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर दिया जाता है,

(ख) बिहार के स्कूलों के कितने अध्यापकों को अब तक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और

(ग) भारत में बहरे और गूंगों को शिक्षा देने वाले कितने अध्यापकों को अब तक यह पुरस्कार मिला है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) (1) अध्यापकों को कम से कम 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए और वह किसी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/मिडिल/हाई/उच्च माध्यमिक स्कूल में अथवा शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में या किसी संस्कृत पाठशाला या टोल में वास्तव में अध्यापक/प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हो, किन्तु वह निरीक्षणालय अथवा किसी प्रशिक्षण कालेज का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।

(2) अध्यापक निम्नांकित बातें पूरी करता हो:—

(i) स्थानीय समाज में अच्छी ख्याति हो,

(ii) अच्छी शैक्षिक योग्यता तथा उसमें सुधार की इच्छा हो,

(iii) बच्चों के लिए वास्तविक रुचि और प्रेम हो, और

(iv) समुदाय के सामाजिक जीवन में घुला-मिला हो।

(3) अध्यापक का पूर्ववृत्त दोषारहित और उनकी सेवा शुद्ध होनी चाहिए तथा उनके विरुद्ध किसी किस्म की—विभागीय अथवा और किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही संबंधी जाँच नहीं चल रही हो।

(ख) 80.

(ग) ऐसा विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता है क्योंकि गूंगे अथवा बहरे अध्यापकों के लिए पुरस्कारों की अलग से कोई संख्या निश्चित नहीं है।

चौथी योजना में पर्यटक केन्द्र

411. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चतुर्थ योजनावधि के दौरान भारत में राज्यवार कितने पर्यटन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) इस अवधि के दौरान पर्यटकों को क्या विशिष्ट सुविधाएं दी जायेंगी। और

(ग) इस अवधि के दौरान अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें उन केन्द्रों की सूची दी गयी है जहाँ चौथी योजना की अवधि में पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। (**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1542/67)

(ख) केन्द्रीय योजना में सम्मिलित की गयी पर्यटन विकास स्कीमें इस प्रकार के चुने हुए केन्द्रों/विहार-स्थलों के समेकित विकास के बारे में हैं जैसे शीतकालीन क्रीड़ाओं अथवा समुद्रतट के विहार-स्थल। स्कीमों का उद्देश्य मास्टर प्लानों के आधार पर उन क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना है तथा उनमें आवास, परिवहन सुविधाओं, प्राकृतिक दृश्य योजना (लैंडस्केपिंग), मनोरंजन सुविधाओं, बाजार, और विनोद की व्यवस्था भी सम्मिलित है। नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

(ग) 1962 में किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर चौथी योजना में पर्यटन के कारण उपार्जित की जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा का प्रयोग के तौर पर अन्दाजा 140 करोड़ रुपये लगाया गया था। परन्तु अब इस आय को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अगस्त 1967 में मनीपुर के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के शिविर पर कुकी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला

412. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 में चूरा-चांदपुर, मनीपुर, में स्वचालित हथियारों से लैस कुकी और मिजो विद्रोहियों के एक बड़े गिरोह ने केन्द्रीय रक्षित दल पर हमला कर दिया, दो सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को मार डाला और अन्य कर्मचारियों को घायल कर दिया; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) अगस्त, 1967 में केन्द्रीय रक्षित पुलिस के किसी कैम्प पर कोई हमला नहीं हुआ किन्तु मनीपुर के चूराचान्दपुर सबडिविजन में 14 अगस्त, 1967 को केन्द्रीय रक्षित पुलिस के एक गश्ती दस्ते मिजो / कुकी विद्रोहियों के एक गिरोह के बीच एक मुठभेड़ हुई थी इस मुठभेड़ में दो कान्स-टेबल मारे गये और एक घायल हुआ।

(ख) मनीपुर के इस क्षेत्र को सशस्त्र सेनायें (आसाम तथा मनीपुर) विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के अधीन अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और सेना इस क्षेत्र की जाँच कर रही है। सुरक्षा सेनाओं की चौकियों को मजबूत किया गया है और गश्त को बढ़ाया गया है।

15 वर्षीय पाठ्यक्रम

413. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य**: क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रथम डिग्री के लिये 15 वर्ष का पाठ्यक्रम स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित 15 वर्षीय पाठ्यक्रम के चरणों तथा उप-चरणों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी हाँ।

(ख) स्कूल शिक्षा का प्रथम चरण दस वर्ष का होगा और उसे हाई स्कूल स्तर का दर्जा दिया जाएगा। इस चरण का विभाजन विभिन्न उप चरणों में स्थानीय परिस्थिति तथा परम्पराओं के अनुकूल किया जा सकता है।

यह स्तर सामान्य शिक्षा का दो वर्षों का उच्चतर माध्यमिक चरण होगा। इस चरण का व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक से तीन वर्ष तक की अवधि में बदला जायेगा। फिर अवर-स्नातक स्तर होगा जिसमें प्रथम उपाधि के लिए साहित्य, वाणिज्य तथा विज्ञान में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम शामिल होगा।

सिरमूर गद्दी का उत्तराधिकार

414. **श्री चं० चु० देसाई**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिरमूर की महारानी द्वारा गोद लिये गये पुत्र को मान्यता नहीं देने का यह कारण है कि इस पुत्र को सिरमूर के स्वर्गीय शासक ने गोद नहीं लिया था, जैसा कि गोद लेने के बारे में केनिंग सनद के अन्तर्गत होना आवश्यक है;

(ख) क्या इस मामले में विधि मंत्रालय अथवा महान्यायवादी की राय ली गई थी;

(ग) (एक) भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के द्वारा सनद के व्यपगत होने, (दो) विलय करार, जिसके अन्तर्गत उत्तराधिकार की गारन्टी है और (तीन) अंग्रेजी शासन काल में शासकों की विधवाओं द्वारा पुत्र गोद लेने के पूर्व उदाहरणों की पृष्ठभूमि में उत्तराधिकार के लिये सिरमूर की महारानी के दत्तक पुत्र को मान्यता न देने का वर्तमान निर्णय किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है;

(घ) क्या सिरमूर और अकलकोट की गद्दियों के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा दिया गया ज्ञापन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) से (ग): राष्ट्रपति ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के अधीन किसी भी व्यक्ति को सिरमूर का शासक स्वीकार न करने का निश्चय किया है।

विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया था। गद्दी के बारे में सभी दावों के मामले के तथ्यों, संविलयन समझौते की व्यवस्थाओं और अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों के संदर्भ में जाँच की गई थी। संविधान की व्यवस्थाओं के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति को शासकों की मृत्यु के प्रत्येक मामले में उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी ही चाहिये। प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। 5 अप्रैल 1967 को दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 595 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

(घ) और (ङ): 26 संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक स्मरण पत्र दिया गया था। इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और निर्णय यह रहा कि उत्तराधिकारी को मान्यता न देने का निर्णय ही रखा जाय।

Airports and Air-Strips in Madhya Pradesh

415. **Shri G. C. Dixit.**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of airports and air-strips in Madhya Pradesh ;

(b) whether there is any scheme for the construction of new airports and airstrips and for the expansion of the existing air-ports and air-strips in Madhya Pradesh ?

(c) if so, whether the air-strip at Khadwa has been included in this scheme ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh).

(a) There are nine aerodromes under the control of Civil Aviation Department in Madhya Pradesh.

(b) There is no scheme at present for the construction of new aerodromes or airstrips in Madhya Pradesh. An all weather runway is being constructed over the existing fair weather runway at Khajuraho.

(c) No, Sir.

(d) There is no proposal to run an air service to Khandwa.

National Highways in Madhya Pradesh

416. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the total mileage of National Highways in Madhya Pradesh as on the 30th September, 1967 ; and

(b) the names thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) The total mileage of National Highways in Madhya Pradesh, as on the 30th September, 1967, was 1669 miles.

(b) A statement giving the required information, is laid on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT—1543/67.**]

सालारजंग संग्राहालय, हैदराबाद से चित्रों की चोरी

417. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय से कुछ मूल्यवान चित्रों को चुरा लिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या तथा मूल्य कितना है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद से 49 चित्रों के गुम होने का सरकार को पता लगा है विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इन चित्रों का मूल्य 14,050 रुपये आँका गया है।

(ग) पुलिस को मामले की रिपोर्ट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त संग्राहलय अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिये कहा गया है।

एयर इंडिया द्वारा किराये तथा माल-भाड़े की दरों में कमी

418. **श्री दामानी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया किरायें/माल-भाड़े में कमी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं। एयर इंडिया के पास फिलहाल ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेफा का मुख्यालय

419. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफा सरकार के मुख्यालय को शिलाँग से नेफा में स्थानान्तरित करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिये किसी स्थान का चयन कर लिया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कुछ समय बाद नेफा के मुख्यालय को शिलाँग से नेफा के अन्दरूनी क्षेत्र में किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है। अब तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति उपयुक्त स्थान चुनने के प्रश्न की जाँच कर रही है।

पारादीप के लिये पत्तन न्यास

420. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप बन्दरगाह के लिये पत्तन न्यास स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका गठन तथा कृत्य क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) :

(क) 1 नवम्बर, 1967 से पारादीप में प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत एक पत्तनन्यास स्थापित किया गया है।

(ख) न्यास धारियों के प्रथम बोर्ड की रचना परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय की दिनाँक 31-10-1967 की अधिसूचन संख्या जी० एस० आर० 1675 में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई है। देखिये संख्या एल० टी०–1544/67**]

पत्तन न्यास बोर्ड के कृत्य प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की संख्या 38) में दिये गये हैं, जिसके उपबन्ध परादीप पत्तन पर लागू किये गये हैं।

सेंट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी की निधियां

421. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री निहाल सिंह :
श्री चरणजीत राय :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री कृष्णमूर्ति :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या ।। के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस आरोप के सम्बन्ध में की जा रही जाँच इस बीच पूरी हो गई है कि भारत के कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों को सेंट्रल इंटैलीजेंस एजेंसी से धन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) गुप्तवार्ता विभाग को अभी हाल के चुनावों के दौरान चुनावों तथा अन्य कार्यों के लिये विदेशी धन के उपयोग के बारे में जाँच करने को कहा गया था। उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और इसकी जाँच की जा रही है।

Foreigners settled in India

422. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreigners who have settled in Chamoli district and other border areas of U. P. during the last one year ; and

(b) the number of foreigners in the country, State-wise, and the countries to which hey belong ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No foreigner has settled in Chamoli district and other border areas of U. P. during the last one year.

(b) A statement showing state-wise the number of registered foreigners resident in India as on Ist January, 1967, is laid on the Table of the House. [**Placed in Library, See, No. LT—1545/67.**] These foreigners belong to almost all the countries of the world.

Pakistanis settled in India

423. **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Home Affairs be** pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who have settled in Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P. during the last three years ;

(b) the number of persons out of them who have extended their period of stay ;

(c) the number out of them who have returned to Pakistan ; and

(d) the number out of them to whom notices have been served ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : The information in respect of Madhya Pradesh is :

(a) 1873.

(b) 552.

(c) 1279.

(d) 42.

Information in respect of Rajasthan and U. P. is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

गारो पहाड़ियों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

424. **श्री मरंडी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 16 अगस्त, 1967 को कवाटपुर सीमा चौकी का पूर्व पाकिस्तान राइफल का एक दस्ता असम के गारो पहाड़ी जिले में नन्दीचार के निकट भारतीय प्रदेश में घुस आया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने भारतीयों का अपहरण किया था और उनकी सम्पत्ति लूट ली थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसी दिन 12 पाकिस्तानियों के एक दस्ते ने गारो पहाड़ियों के महेन्द्र गंज थाने के क्षेत्र में भारतीय प्रदेश में घुसपैठ की थी ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सम्पत्ति लूट ली थी, बहुत से भारतीयों की हत्या की थी और वे बहुत सी भैंसें भगा ले गये थे; और

(ङ) पाकिस्तान की इन गतिविधियों को रोकने के लिये तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ श्रीमान्। 16 अगस्त, 1967 को लगभग आठ बजे कमालपुर (न कि कवाटपुर) के पूर्वी पाकिस्तान सीमा चौकी पर नियुक्त पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के दो सदस्य भेष बदल कर गारो पहाड़ी जिले के महेन्दुगंज थाने के अन्तर्गत नंदीवार गाँव पर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रविष्ट हो गये थे, और उन्होंने एक भारतीय मुसलमान को नंदीवार ग्राम में स्थित उसके मकान से अपहृत करने का प्रयत्न किया था। ग्रामवासियों ने उनका विरोध किया और उसके बाद एक झगड़ा हुआ जिसमें पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के एक सदस्य को चोट आई। यह देखकर पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के दो और सदस्य राइफलें लेकर भारतीय क्षेत्र में घुस आये, एक भारतीय की बूढ़ी माँ पर आक्रमण किया और स्वयं उस नागरिक को अपहृत कर पाकिस्तान ले जाने में सफल हो गये।

(ख) कोई सम्पत्ति नहीं लूटी गई।

(ग) और (घ) उसी दिन अर्थात् 16 अगस्त, 1967 को लगभग 9 बजे 10/12 पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जो पूर्वी पाकिस्तान के जिला मेमनसिंह में श्रीबादी थाने के गाँव धनुआ के रहने वाले थे, महेन्दुगंज में घेगापाड़ा थाने पर भारतीय क्षेत्र में घुस आये, और एक भैंस पूर्वी पाकिस्तान को ले गये। कोई भारतीय नागरिक मारा नहीं गया। लूटमार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र दिया गया है, जिसमें भारतीय नागरिक और मवेशी को लौटाने के लिये कहा गया है। सीमा सुरक्षा दल के दस्तों को भी सावधान कर दिया गया है ताकि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये और सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा के लिये सतर्क रहें।

पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों द्वारा छापे

425. **श्री मरंडी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों ने आसाम की सीमा के साथ साथ लूट-खसूट की अपनी कार्यवाहियाँ तेज कर दी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 26 अगस्त, 1967 को अपराधी प्रवृत्ति वाले 50 पाकिस्तानी लोगों, ने खासी तथा जैंतिया के पहाड़ी जिला में बमन टिल्ला गाँव पर हमला कर के घरों को लूटा और बहुत से भारतीय राष्ट्रिकों को जान से मार डाला; और

(ग) यदि हाँ, तो पाकिस्तानी लोगों की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण: (क) से (ग) सरकार को सीमा के साथ होने वाले कुछ अपराधों में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के व्यक्तियों के शामिल रहने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। 1967 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों के आसाम की सीमा पर होने वाले 6 मामलों में शामिल होने का सन्देह है।

26 अगस्त को लगभग 1 बजे पूर्वी पाकिस्तान के थाना चाटक के अधीन पड़ने वाले कोंमितला गाँव और कलोरा गाँवों के लगभग 40–50 पाकिस्तानी नागरिकों ने पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के घातक हथियारों से लैस कर्मचारियों की सहायता से एक भारतीय राष्ट्रिक के मकान में डकैती डाली और 1500 रुपये की नकदी तथा 1000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति ले गये। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली।

सेक्टर कमान्डर और राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों को विरोध पत्र दिये हैं। 12 सितम्बर, 1967 को दो पाकिस्तानी राष्ट्र जन गिरफ्तार किये गये हैं और 26 अगस्त की घटना की जाँच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

Infiltration of Pakistanis into Assam

426. **Shri Arjun Singh Bhadoria** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a considerable number of Pakistanis had infiltrated into a place called Sonarhat in District Goalpara situated on the Assam-East Pakistan border ;

(b) if so, their number ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): **(a) to (c)**: According to the reports received, 24 Pak nationals were deported to East Pakistan at the Sonahat border (not Sonarhat) on 21.9.1967. But these deportees were pushed back to the Indian side through the same route on 22.9.1967. They were, however, sent back to East Pakistan on the night of 23.9.1967.

In another incident on 24.9.1967, 70 deportees, who had been deported long ago from Assam, were pushed back into India through Bishkhowa village, Police Station Golakganj, District Goalpara. They were intercepted by a patrol party and sent back to East Pakistan.

The border post personnel are alert to prevent any attempts at infiltration.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति देना

427. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों ने, अपनी पहली पत्नियों के जीवित रहते हुए भी, पिछले पाँच वर्षों में दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति माँगी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) उनमें से कितने प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Indian Students Abroad

428. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of Indian Students, Statewise and country-wise, in foreign countries and the subjects in which they are receiving education ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

A statement giving the available information regarding Indian students studying abroad as on 1-1-1966 is placed on the Table of the House. [**Placed in Library. See. No. LT-1546/67.**]

भारतीय कृषि सेवा

429. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा के नमूने पर भारतीय कृषि सेवा बनाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सेवा के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि-क्षेत्र में एक अखिल भारतीय सेवा बनाने के बारे में सिद्धांत रूप से सहमत हो जाने के कारण राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अधीन 30 मार्च 1965को एक संकल्प पारित किया गया जिसके द्वारा भारत सरकार को अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाने का अधिकार दिया गया। इस सेवा के निर्माण को अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के क्षेत्र में लाने की दृष्टि से एक विधेयक नवम्बर 1965 में लोक सभा में पेश किया गया। यह विधेयक तीसरी लोक सभा के कार्य-काल में पारित नहीं किया जा सका। अतः अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधान-निर्माण की दिशा में अब नये सिरे से कदम उठाये जा रहे हैं। साथ-ही-साथ भरती नियमों के प्रारूप, प्रारम्भिक भरती विनियमों

तथा संवर्ग नियमों के साथ प्रस्तावित सेवा की प्रमुख-प्रमुख बातों को बताने वाला एक ज्ञापन सभी राज्य सरकारों के पास उनका मत जानने के लिये भेजा गया है। कई राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। समय-समय पर उन्हें जल्दी करने के लिये कहा जा रहा है।

(ख) नई सेवा कब बन जायेगी इसके बारे में अभी कोई निश्चित तारीख बताना तो सम्भव नहीं है।

अक्तूबर, 1967 में पश्चिम बंगाल में सेना की सेवायें लेना

430. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री क० हल्दर :**
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्तूबर, 1967 को पश्चिम बंगाल में सम्भावित नागरिक उपद्रव का मुकाबला करने के लिये सेना से तैयार रहने के लिये कहा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो किन वास्तविक परिस्थितियों के कारण यह कार्यवाही करनी पड़ी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) राज्य सरकार ने 2 अक्तूबर, 1967 को सावधानी के तौर पर सेना को सतर्क कर दिया था।

अमरीका से दुग्ध चूर्ण उपहार

431. **श्री प० गोपालन :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्कूल के बच्चों में मुफ्त बाँटने के लिये अमरीका द्वारा उपहार के रूप में भेजा गया 30,000 टन दुग्ध चूर्ण निगम बोध घाट स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी भवन में खराब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में जाँच का कोई आदेश दे दिया गया है;

(ग) जाँच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस बरबादी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (घ): दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और है यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

433. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने तथा किन-किन राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्य-

पालिका से अलग किया गया है तथा प्रत्येक को किस किस तारीख को राज्यवार तथा क्षेत्रवार अलग किया गया है ;

(ख) कितने तथा किन किन राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में संविधान की धारा 50 में दिये गये निर्देश के बावजूद भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अब तक अलग-अलग नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में न्यायपालिका को कार्यपालिका से लगभग किस तारीख से अलग करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) आठ राज्यों तथा एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। इसे गुजरात और महाराष्ट्र में 1953 में, मद्रास में 1955 में, केरल और मैसूर में 1959 में और बिहार, पंजाब और हरियाणा में तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 1964 में अलग किया गया।

(ख) और कहीं भी इन्हें पूरी तरह अलग नहीं किया गया है, यद्यपि चार राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में बहुत काफी हद तक और दो राज्यों अर्थात् आसाम और राजस्थान में और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कुछ हद तक न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। इस कार्य में प्रगति स्थानीय परिस्थितियों तथा कर्मचारियों, वित्तीय साधनों और स्थान के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

(ग) इस बारे में मुख्य रूप से राज्य सरकारों को विचार करना है। अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें आशा है कि वह इस मास की तेरह तारीख तक अपने राज्य में इन्हें अलग करने का काम पूरा कर लेंगी। जहाँ तक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सभी क्षेत्रों में न्यापालिका को कार्यपालिका से अलग करने की दृष्टि से विधि-निर्माण के लिये कदम उठाने का विचार है।

उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

434. **श्री अदिचन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्ययालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों पर शीघ्रता से निर्णय करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि न्यायालयों में कार्य निपटाने के लिये न्या-धीशों की संख्या अपर्याप्त है।

(ग) मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

Abolition of Legislative Councils

435. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Ramji Ram :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Ministers of Madhya Pradesh, Bihar and Punjab have announced their intention to abolish the Legislative Councils in their States ;

(b) if so, whether such demand has been made by the people of some other States also; and

(c) the reaction of the Government of India in regard to the abolition of the Legislative Councils ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) and (b) : No communication has been received from the Chief Minister of Bihar or Punjab or of any other Sate on the, subject of abolition of Legislative Councils. There is no Legislative Council in Madhya Pradesh, but a proposal to establish one has been given up by the present Government.

(c) Does not arise, as Government have not received any resolution under article 169 of the Constitution recommending abolition of the Council in any State.

Strike by Air India and Indian Air Lines Corporation Employees

436. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shrimati Jyotsna Chanda :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Air-India and the Indian Air Lines Corporation had gone on strike in the month of July, 1967 ;

(b) if so, the amount of loss sustained as a result thereof ; and

(c) the action taken by Government in this connection :

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) The Flight Engineers of Air-India went on strike from 5.30 A.M. on the 29th July, 1967. It was called off at 4.10 p.m. the same day. There was no strike in I.A.C. in July, 1967.

(b) Rs. 2.70 lakhs.

(c) The strike was resorted to without notice for the prescribed period, and without exhausting the conciliation procedure. It was, however, withdrawn within a few hours on Government's insistance that there could be no negotiations in merits until the strike was withdrawn.

Strike by Delhi Truck Operators in August, 1967

437. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **TRANSPORT AND SHIPPINNIG** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Truck Operators of Delhi had gone on stricke in August, 1967 in sympathy with the Haryana Operators; and

(b) if so, the loss suffered as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir, the truck operators of Delhi temporarily suspended operations on the Delhi-Haryana routes only, while vehicles continued to ply on all other routes.

(b) Does not arise.

Forcelanding of I. A. C. Aeroplane

438. **Shri Hukam Chand Kachwati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Bombay bound Viscount Plane of the Indian Airlines Corporation had to force land at Jamshedpur on the 5th August, 1967 as it caught fire ;

(b) if so, the cause of the fire ; and

(c) the amount of loss of life and property caused thereby ?

The Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh). (a) and (b) : Yes Sir. A Viscount aircraft of Indian Airlines Corporation operating the Calcutta-Nagpur Bombay service on the 5th August, 1967 made a forced landing at Jamshedpur due to fire in the Radio Compartment of the aircraft. The incident is under investigation.

(c) There was no loss of life in the incident. There was only minor damage in the Radio Compartment as a result of the fire, and the cost of the repair is estimated at approximately Rs. 25,000.

Investigations of Car Thieves

439. **Shri Nihal Singh.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 3184 on the 21st June, 1967 and state :

(a) whether Government have since completed the investigation regarding the gang of car thieves in the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir, the investigtions are still continuing.

(b) Does not arise.

पालामऊ (बिहार) में ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करना

440. **श्री अटल विहारी वाजपेयी :** **श्री उमानाथ :**
श्री शारदानन्द : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री अब्राहम : **श्री राममूर्ति :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री श्री चन्दगोयल :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री ओं०प्रा०त्यागी :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1967 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अमरीकी पादरी ने जिला पालामऊ (बिहार) के उपायुक्त के समक्ष इस बात की पुष्टि की है कि भारत सरकार ने सहायता कार्य करने वाले विदेशियों को लोगों को ईसाई बनाने की खुली छूट दे दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्यान्न की गम्भीर कमी के दिनों में अर्थात अक्तूबर, 1966 से जून, 1967 तक अकेले पालामऊ जिले में ही 300 से अधिक लोगों को इसाई बनाया गया है।

(ग) यदि हाँ, तो इस असाधारण रूप से धर्मपरिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) खाद्यान्न की कमी की परिस्थिति में ईसाई बनाये गये लोगों को अपना मूल धर्म पुनः अपनाने की सुविधा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) ईसाई पादरियों को लोगों की गरीबी का अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में समाचार पत्र में प्रकाशित यह समाचार आया है जिसमें बिहार के अकाल पीड़ित जिले पालामऊ में एक विदेशी सहायता एजेन्सी में काम करने वाले एक अमरीकी धर्म प्रचारक ने इस बात का दावा किया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच एक समझौता है जिसके द्वारा अकाल सहायता कार्यों के दौरान लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिये ईसाई धर्म प्रचारकों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है और इसलिए यह दावा निराधार है।

(ख) और (ग) : एक धर्म से दूसरे धर्म परिवर्तनों का पंजीकरण करने की व्यवस्था के बारे में कोई कानून नहीं है अतः इस प्रकार के धर्म परिवर्तनों का कोई परिमाणिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि पालामऊ जिले में अक्तूबर 1966 से जून, 1967 की अवधि के बीच कठिनाई की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लगभग 321 व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाया गया।

(घ) और (ङ) **संविधान में अनुच्छेद** 25 द्वारा सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता पूर्वक मत ग्रहण करने विश्वास रखने और अपने मत का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है।अतः कोई भी व्यक्ति अपने अन्तःकरण की आवाज के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करने के लिये स्वतन्त्र है। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है उन्हें अपने मूल धर्म को पुनः अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और सरकार द्वारा इस बारे में कोई कदम उठाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अस्तु राज्य सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित क्षत्रों में सहायता कार्यों की गति तीव्र गति करने के आदेश दिये हैं।

एशियाई राजपथ का विकास

441. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री शारदानन्द :**
श्री ना० स्व० शर्मा : श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्री चन्द गोयल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप भारत और पश्चिमी देशों के बीच माल और दूसरे यातायात पर अधिक खर्च होने लगा है और समय भी अधिक लगने लगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वेज नहर बन्द हो जाने की स्थिति में भारत से होकर योरुप से पूर्वी एशिया को मिलाने वाले एशियाई राजपथ की आकस्मिक आवश्यकता उत्पन्न हो गई है: और

(घ) यदि हाँ, तो बढ़े हुए विदेशी यातायात की माँग को पूरा करने के लिये उस मार्ग के अपने भाग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) अमरीका और ब्रिटेन में विभिन्न जहाज़रानी सम्मेलनों के साथ, उनके द्वारा बढ़े हुए माल भाड़े को कम करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। प्रतिनिधिमण्डल को अमरीका के मामले में 25 से 15 प्रतिशत तक और ब्रिटेन/पश्चिमी यूरोप के मामले में 17½ से 15 प्रतिशत तक अधिभार कम कराने में सफलता मिली है।

(ग) और (घ) जी नहीं। एशियाई हाई वे का वह भाग जो भारत में पड़ता है अच्छी हालत में है और इसके जो भाग राष्ट्रीय राजपथों के स्तर से नीचे हैं उनका ध्यान हमारी सामान्य राष्ट्रीय योजनाओं में रखा जायेगा। सड़क यातायात के लिये काफी अच्छी है।

Memorial For Indian National Army

442. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Education** be pleased to state : (a) whether a suggestion has been made for the erection of a national memorial in memory of the Indian National Army ;

(b) whether Government of India propose to give any grant for the purpose ; and

(c) the location of the proposed memorial and its main features ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) Government of Manipur's proposal to erect a memorial at Moirang in Manipur in the memory of Indian National Army and its request for financial assistance for this purpose are under consideration of the Government of India.

CBI Search of Birla Concerns

443. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C.B.I. conducted search of some of the Birla concerns; and

(b) whether it is also a fact that the said search has been declared illegal by the Gujarat and Maharashtra High Courts as it was not conducted according to the Law ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan : (a) Yes, Sir.

(b) The Gujarat High Court has held that the searches have not been made in accordance with the requirements of law. No case in this matter, has so far been filed in the Maharashtra High Court.

केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये मामले

444. **अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में केन्द्रीय जाँच विभाग को जाँच करने के लिये कितने मामले सौंपे गये;

(ख) केन्द्रीय जाँच विभाग ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की; और

(ग) उक्त विभाग को किस प्रकार के मामले सौंपे गये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अप्रैल से सितम्बर 1967 तक की अवधि में 1274 मामले।

(ख) 1274 मामलों में से 12 न्यायालयिक जाँच के लिये भेजे गए, 200 नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गए, 59 उपयुक्त कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए, 20 दाखिल दफ्तर किए गए और 983 पर जाँच पड़ताल बाकी है।

(ग) आरोपों का सम्बन्ध रिश्वत, आपराधिक दुराचरण (पक्षपात, गैरकानूनी ठंग से आर्थिक लाभ पहुँचाने, अपनी आय की तुलना में अधिक परिसम्पत आदि रखने), गबन, धोखादेही, जालसाजी और भ्रष्टाचार से था।

उच्च शिक्षा पान के लिये विदेशों में जाने वाले विद्यार्थी

445. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाने के लिये विदेशों में गये थे;

(ख) उक्त अवधि में इन विद्यार्थियों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ग) इनमें से कितने विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षाओं में ६० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये थे जो कि विदेश जाने के लिये अर्हता अंक हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1963-64, 1964-65 और 1965-66 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, भारतीय विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 5,187; 5,605 और 4,730 है।

(ख) विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को 1963-64, 1964-65 और 1965-66 के दौरान क्रमशः 406 लाख रुपये, 452 लाख रुपये और 414 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की कर्मचारी बस्ती

446. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने फोर्ड फाउन्डेशन के प्रस्ताव के अनुसार ठाका गाँव में कर्मचारी बस्ती के निर्माण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केन्द्रीय सरकार से सलाह ली थी ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बस्ती का विकास करने में दिल्ली विश्वविद्यालय को कितना समय लगेगा ;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के ये मकान बनाने के लिये, वित्तीय सहायता दिये जाने के सुझाव दिये हैं और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के पहले कितने मकान हैं, कितने मकानों का निर्माण हो रहा है और कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी हाँ। फौर्ड प्रतिष्ठान से दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता प्राप्त होने वाले एक कार्यक्रम को भारत सरकार ने सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया

है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ढाका भूमि का विकास और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण भी शामिल है।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) लगभग दो वर्ष।

(घ) स्टॉफ क्वार्टरों के लिये पैसा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, आयोग ने विश्वविद्यालय की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये लगभग १२ लाख रु० के एक उपबन्ध का अनुमोदन किया है।

(ङ) क्रमश: 302, 26 और 1,173।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिये आय वर्ग

447. **श्री यशपाल सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने के मामले में सरकार ने आय वर्गों (स्लेबस) में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परिवर्तित दरें उन छात्रों पर भी लागू होंगी जिन्हें पहले ही छात्रवृत्ति मिल रही है; और

(घ) क्या सैनिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्रों पर भी उक्त पुनरीक्षित दरें लागू होंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) (1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति-योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन / अनुसंधान छात्र वृत्तियाँ उम्मीदवारों के अभिभावकों की आय का ध्यान किये बिना अदा की जायेंगी।

(2) अन्य पाठ्यक्रमों के लिए, छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित बातों की जाँच पर आधारित होंगी।

(एक) केवल वे, जिनके अभिभावकों की आय प्रति मास 500 रुपये अथवा कम है, छात्र-वृत्ति के पात्र होंगे।

(दो) अर्ध छात्रवृत्ति की कोई पद्धति नहीं होगी।

(तीन) उन योग्य विद्यार्थियों को, जिनके अभिभावकों की आय 500 रुपये प्रति मास से अधिक है, छात्रवृत्ति के स्थान पर 100 रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ।

कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना

449. **श्री अदिचन :** **श्री जनार्दनन :**
श्री विश्वम्भरम : **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में दूसरा जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए जापान की

मित्सुविशी शिपबिल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी से सहायता के बारे में जो अस्थायी शर्तें तय हुई थीं इस बीच उन पर पुनर्विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) जहाज बनाने के कारखाने का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(घ) निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा; और

(ङ) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी नहीं। सहयोग की शर्तों का पुनर्विलोकन करने और परियोजना में तकनीकी सहयोग के लिये परस्पर स्वीकार्य करार करने के लिये मित्सुविशी हैवी इन्डस्ट्रीज से अनुरोध किया गया है कि वह भारत में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रारम्भिक कार्य पूरा होते ही कार्य आरम्भ हो जायेगा।

(घ) आशा है कि 1971-72 में जहाज निर्माण कारखाना चालू हो जायेगा और पहला 'कील' रखा जायेगा।

(ङ) परियोजना की अनुमानित लागत 36 करोड़ रु० है और इसमें 5 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा लगेगी।

केरल द्वारा वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना

450. **श्री एस्थोस**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के शिक्षा मंत्री से निम्नलिखित मामलों के लिये वित्तीय सहायता की प्रार्थना प्राप्त हुई है :

(एक) राज्य में एक राष्ट्रीय/प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला आरम्भ करना,

(दो) राज्य में भारतीय प्रौद्योगिक संस्था आरम्भ करना; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) चौथी आयोजना अवधि के दौरान कहीं भी कोई नई अनुसंधान प्रयोगशाला और उच्च टेक्नालोजी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

नेफा में विमानों से सामान गिराया जाना

451. **श्री एस्थोस :** **श्री अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री न० कु० सोमानी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले टाइम्स आफ इंडिया दिनांक 16 सितम्बर, 1967 में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है कि नेफा में भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा जो सामान गिराने से लोगों को बहुत कठिनाई होती है;

(ख) यदि हाँ, तो लोगों को क्या कठिनाई होती है ;

(ग) भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा सामान गिराने पर कितना खर्च आता है;

(घ) क्या नेफा में विमानों से सामान पहुँचाने के लिये एक स्वायतशासी निगम अथवा अभिकरण स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ऐसा निगम अथवा अभिकरण स्थापित कर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) नेफा के लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई।

(ग) इसका हिसाब लगाया जा रहा है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्देशीय परिवहन निर्देशालय का पटना-स्थित कार्यालय का बन्द होना

452. **श्री एस्थोस**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्दतर्देशीय परिवहन निर्देशालय का पटना स्थित कार्यालय 4 अगस्त 1967 से बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का पटना-स्थित कार्यालय

454. **श्री भगवान दास** : **श्री अब्राहम** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्देशीय परिवहन निर्देशालय के पटना कार्यालय को बन्द करने के बारे में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारी संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है;

(ख) इन ज्ञापन में कौन कौन सी मुख्य माँगों का उल्लेख है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन निर्देशालय के पटना स्थित कार्यालय को बन्द करने के सम्बन्ध में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों की संघ से कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 20 जून 1967 को गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों की संघ की ओर से 20 जून, 1967 को एक ज्ञापनपत्र और 4 अगस्त, 1967 को एक अनुपूरक ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ था जिनमें अनुरोध किया गया था कि बिहार में वाणिज्यिक नदी परिवहन सेवाएँ चालू की जायें और गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के उन भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये किसी रूप में रोज़गार सुरक्षा का उपबन्ध किया जाये, जो अन्तर्देशीय जल परिवहन निर्देशालय और इसके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन क्षेत्रीय संगठनों में खपा लिये गये थे।

गंगा नदी में वाणिज्यिक आधार पर नदी सेवाएं संचालित करने की संभावना की पुनः जाँच की जा रही हैं। उन कर्मचारियों को अर्ध स्थायी रुतबा देने का प्रश्न विचाराधीन है, जिनकी सेवाओं की दीर्घकालिक आधार पर आवश्यकता होगी और जो अन्यथा उपयुक्त हैं।

निकोबार द्वीप में भारतीयों का प्रवेश

455. **श्री भगवान दास:** **श्री रमानी:**

श्री अ० कु० गोपालन: **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह के उपायुक्त ने 1966 का आदिम जाति अधिनियम द्वीपों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से लागू किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है;

(घ) क्या सरकार इस अधिनियम में उचित संशोधन करने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 (1956 का तीसरा) भारत के संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 243 (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। इस विनियम की धारा 7 के अधीन, राज्य के मुख्यायुक्त ने आदिम जातियों के सदस्यों तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के अतिरिक्त समस्त व्यक्तियों के विनिमय को धारा 3 के अधीन घोषित रक्षित क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जब तक कि उनके पास उपायुक्त द्वारा या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य पास न हो जिसका उपायुक्त इस बारे में लिखित रूप से अधिकार दे।

(ख) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी आदिम जातियों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से इस विनियम को लागू किया गया था।

(ग) साठ।

(घ) और (ङ) रक्षित क्षेत्र में प्रवेश से सम्बन्धित प्रतिबन्ध, पिछड़ी आदिम जातियों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से लगाये गये हैं। अतः इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये इस विनियम में संशोधन का कोई सुझाव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

एयर इंडिया के इंजीनियर

456. **श्री भगवान दास:** **श्री विश्वनाथ मेनन:**

श्री अब्राहम:

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के विमान इंजीनियरों ने 7 नवम्बर, 1967 से हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन माँगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियरों ने 6 नवम्बर, 1967 से हड़ताल कर दी है।

(ख) उनकी मुख्य माँगें ये हैं:—

1. विद्यमान करार की शर्तों के अनुसार सिवाय विमान संधारण (एयरक्राफ्ट) मेंटिनेंस) इंजीनियरों के बारे किसी को विमानों के संधारण का निरीक्षण अथवा उसे प्रमाणित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।
2. रोम में एयर इंडिया के कार्यालय में स्थानीय शर्तों पर एक इंजीनियर की नियुक्ति एक ऐसा करार-भंग था जिसमें उनसे परामर्श किया जाना चाहिये था; अत : उस नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिये; और
3. 'एसोसिएशन' को एयर इंडिया में तकनीकी अफसर कहलाने वाले अधिकारियों के एक अन्य वर्ग का भी एकमात्र प्रतिनिधि समझा जाना चाहिये।

(ग) हड़ताल का नोटिस मिलने पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त बंम्बई ने समझौते की कार्यवाही प्रारंभ की थी, परन्तु कोई समझौता न हो सका। इसके बाद इस मामले पर सरकार ने विचार किया और पहली माँग को अनिवार्य अदालती निर्णय के लिये भेजने का फैसला किया। दूसरी दो माँगें अदा, जो निर्णय के लिये भेजे जाने के उपयुक्त नहीं समझी गयीं। 'एसोसिएशन' को यह भी बता दिया गया कि क्योंकि एक माँग अदालती निर्णय के लिये भेज दी गयी है उनका हड़ताल करना अवैध होगा। फिर भी एयरक्राफ्ट मैंटिनेंस इंजीनियरों ने 6 नवम्बर, 1967 को रात के 9·30 बजे से हड़ताल करने का फैसला किया।

शिक्षा निर्देशक

457. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के शिक्षा निर्देशकों (डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन) ने, जिनकी हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी, स्थानीय लोगों की सेवाओं के उपयोग द्वारा स्कूल सुधार, विशेष रूप से प्राथमिक स्कूलों के लिये, राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) यह निश्चय किया गया था कि स्कूल सुधार के लिए पूरे राष्ट्र के एक कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है और सभी राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम पर अमल करना चाहिये।

(ख) स्कूल सुधार के कार्यक्रम की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं:—

(i) पर्याप्त और उपयुक्त स्थान, फर्नीचर, उपस्कर की व्यवस्था;

(ii) सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था;

(iii) पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था;

(iv) पुस्तकालय की व्यवस्था;

(v) उपस्कर आदि का अच्छा उपयोग;

(vi) कुंठा और बरबादी को दूर करना;

(vii) शिक्षण की अच्छी तकनीकें अपनाकर, कक्षा कार्य में भाग लेने के लिए सभी विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करके स्कूलों में अनुकूल वातावरण तैयार करना;

(viii) नियमित उपस्थिति और अधिक सतर्कता सुनिश्चित करना;

(ix) धीमे सीखने वालों के लिए तथा उन व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता का आयोजन जिनका घरेलू वातावरण उनके अध्ययन में सहायक नहीं है;

(x) कार्य का अनुभव।

निजाम द्वारा प्रतिकर के लिये दावा

458. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के निज़ाम ने 1949 में हुए अपने दादा के साथ समझौते के अधीन सरकार द्वारा ली गई सर्फे खास की भूमि के लिये 50 लाख रुपये के प्रतिकर का दावा किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कर्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार स्वर्गीय निज़ाम को, उस सर्फे खास सम्पत्ति की तिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपया प्रतिवर्ष दे रही थी, जो राज्य सरकार ने सन् 1949 में ले ली थी। वर्तमान निज़ाम ने अभ्यावेदन दिया है कि यह भुगतान उन्हें देना जारी रखा जाय। यह अभ्यावेदन राज्य सरकार का मत जानने के लिए उन्हें भेजा गया है।

श्रीनगर में विस्फोट

459. **श्री मयावन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अक्तूबर, 1967 को कर्फ्यु के दौरान श्रीनगर में विस्फोट हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विस्फोट के पीछे कोई अन्य देश जिम्मेदार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके पीछे कौन से देश का हाथ था और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली का विकास

460. **श्री मयावन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य कार्यवाही पार्षद ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे दिल्ली महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किये गये उच्च-शक्ति बोर्ड की बैठक बुलाने के लिये प्रार्थना की गई है;

(ख) क्या उन्होंने यह शिकायत भी की है कि भूतकाल में बनाई गई जल निस्सारण योजनाओं को निकटवर्ती राज्यों ने क्रियान्वित नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में बाढ़ें पुनः आने लगी हैं; और

(ग) क्या उन्होंन जहाजगढ़ झील पूरी भरने के लिये गृह-कार्य मंत्री को हस्तक्षेप करने के लिये कहा है ताकि इससे संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ें रोकी जा सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में भव्य होटलों की स्थापना

461. **श्री मयावन:** **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया:**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आठ भव्य होटल स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है;

(ग) ये होटल कहाँ स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उन पर कुल कितना व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के, जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उद्योग है, विभिन्न पर्यटन केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटल स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

(ख) ये होटल चालू योजना की अवधि के दौरान पूरे हो जायेंगे।

(ग) वे स्थान जहाँ ये होटल बनाये जायेंगे, बंगलौर, श्रीनगर, कोवालम, दम दम हवाई अड्डा, कलकत्ता, सान्ताकुज हवाई अड्डा बम्बई, जूहू समुद्र-तट बम्बई, पन्नाजी और गुलमर्ग हैं।

(घ) इन होटल प्रायोजनाओं के निर्माण की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये होगी।

Neighbourhood Schools in Delhi

463. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to replace educational institutions like public schools in Delhi by neighbourhood schools ;

(b) if so, whether this will afford equal opportunities of education to the children belonging to the various classes ;

(c) whether Government are working out the details in this connection ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Government of India has taken no such decision.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में होटलों में स्थान

464. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों के भारत विशेषतया दिल्ली जाने की आशा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में होटलों में स्थानों की कमी है; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली में होटलों में स्थान बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ। सामान्य पर्यटक यातायात के अलावा, जो कि जाड़ों के महीनों में अधिकतम रहता है, व्यापार तथा विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (यू एन सी टी ए डी) भी अपना सम्मेलन फरवरी और मार्च, 1968 में नई दिल्ली में कर रहा है। यू एन सी टी ए डी सम्मेलन में लगभग 2500 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

(ख) विदेशी यात्रियों और यू एन सी टी ए० डी० के प्रतिनिधियों, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली में होटल आवास की व्यवस्था अपर्याप्त है।

(ग) बढ़े हुए पर्यटन यातायात के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं--

(i) सरकारी क्षेत्र में अशोक होटल पर 300 शय्याओं वाला एक एनेक्से निर्माणाधीन है और कर्जन रोड फ्लैटों में 787 शय्याएं उपलब्ध की जायेंगी। ये फ्लैट भी निर्माणाधीन हैं।

(ii) निजी क्षेत्र में दो नये होटल इस वर्ष के अन्त तक बन कर चालू हो जायेंगे।

(iii) निजी घरों में पेइंग गेस्ट आवास व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है।

Foreign Assistance

465. **Shri Bibhut Mishra**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various foreign agencies are providing financial assistance and other types of assistance to various organisations in India, Christian Missionaries, in the name of friendship with other countries and in the name of 'Meals for Millions' ;

(b) if so, the names of the countries which provide such assistance ;

(c) whether Government anticipate any political motive behind such assistance ; and

(d) if so, the steps taken to check the same ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla). (a) Yes, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) Remittances and gifts received by Missionaries are generally meant for propagation of Christianity as well as for charitable and relief purposes. The Intelligence Bureau who were asked to make enquiries into the use of foreign funds in the recent elections and for other purposes have submitted a report. It is being examined.

बरौनी-बेगुसराय औद्योगिक समूह में सी० आई० ए० के एजेन्ट

467. **श्री उमानाथ :** **श्री राममूर्ति :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सी० आई० ए० के एजेन्ट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बरौनी-बेगुसराय उद्योग समूह में घुस चुके हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवाई है; और यदि हाँ, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इन निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग): बिहार सरकार से इस मामले की इक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

Pak. Hand in Kashmir Incidents

468. **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Yajna Datt Sharma** :
Shri Bal Raj Madhok: **Shri Onkar Singh** :
Shri Sharda Nand : **Shri A. B. Vajpayee**:
Dr. S. S. Kothari : **Shri N. S. Sharma**:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any hand of Pakistan behind the subversive activities and communal tension prevailing in Kashmir ;

(b) whether Government have conducted any enquiry to collect true information in this resepct ; and

(c) if so, details thereof and re-action of the Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) Pakistani propaganda and other activities have continued to be directed towards causing unrest and tension and formenting anti-Indian demonstrations etc. in Jammu and Kashmir. Efforts are made continuously to gather information about such activities and on the basis of such information appropriate action including prosecutions and detentions is resorted to.

Utility of Delhi Metropolitan Council

469. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment of the utility of the Delhi Metropolitan Council ;

(b) if so, the results thereof ?

(c) whether the demand for setting up a Legislative Assembly for Delhi has gained further support ; and

(d) if so, Government's reaction thereto :

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Metropolitan Council in Delhi has been constituted with the object of providing for a larger measure of association of the representatives of the people of the Union territory of Delhi with the administration of the territory. This object is being served by this body.

(c) Government have no such information.

(d) Does not arise.

Delhi Municipal Corporation

470. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation is unable to realise taxes in full ;

(b) whether it is also a fact that every Department is sustaining a loss of crores of rupees due to the non-realization of taxes every year ; and

(c) whether Government propose to appoint a high-powered commission to examine the income and expenditure of the Delhi Municipal Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla:)

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A Commission of Inquiry to inquire into the finances of the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee under the charimanship of Shri Morarka has already been appointed and is going into the matter.

Separate Higher Secondary Board for Delhi

471. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the citizens of Delhi have urged the establishment of a separate Higher Secondary Education Board ;

(b) whether Government propose to constitute such a Board ; and

(c) if so, when it is likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) and (b) A proposal regarding the setting up of a separate Higher Secondary Education Board in Delhi has been received from the Delhi Administration. It is under consideration and no decision has been taken thereon by the Government so far.

(c) Does not arise.

Migration from Kutch To Pakistan

472. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six families from Kutch left for Pakistan on camels with their domestic belonging in August, 1967 ;

(b) whether Government have enquired into the reasons for their leaving for Pakistan in this manner ; and

(c) if so, the reasons for their migration and the Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) According to the information received from the State Government 6 persons left their village for Pakistan on 1.8.67 with 35 to 40 camels to stay in Pakistan with their relatives. Their families consisting of 12 members subsequently left for Pakistan on 27th August, 1967. Further information is awaited from the State Government.

गैर-सरकारी शस्त्र विक्रेताओं को लाइसेंसों का दिया जाना

473. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री गं० च० दीक्षित :**

श्री लखन लाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के गैर-सरकारी शस्त्र विक्रेताओं को फसल की रक्षा के प्रयोजन के लिये, आवाज करने वाली बन्दूकों के निर्माण करने के हेतु लाइसस की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह आवेदन कब प्राप्त हुआ था ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) दिसम्बर, 1966 में।

(ग) यह सुझाव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

Chowkidars in Scientific and Technical Terminology Commission.

474. **Shri Onkar Singh :** **Shri K. M. Koushik.**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that chowkidars employed in the Commission for Scientific and Technical Terminology, Exhibition Ground, Mathura Road, New Delhi are required to work for 12 hours ; and

(b) if so, the reasons therefor and the duty hours fixed for chowkidars according to the relevant rules ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) There are only two Chowkidars in the office of Commission for Scientific and Technical Terminology, Exhibition Ground, Mathura Road, New Delhi. They are required to perform duties in turns. No general orders prescribing the duty hours for Chowkidars employed by various Departments for looking after Government buildings under their control have been issued by the Government ; nor is there any uniformity in their duty hours. The duty hours vary from office to office depending upon the number of Chowkidars employed, the size of the area to be looked after, etc.

Shifting of the Office of the Commission for Scientific and Technical Terminology.

475. **Shri Onkar Singh :** **Shri Rajdeo Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to shift the office of the Commission for Scientific and Technical Terminology from its present site to Ramakrishna Puram, New Delhi and Central Hindi Directorate ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) As soon as the building allotted to the Commission is ready for occupation.

पर्यटक केन्द्र के रूप में कुरुक्षेत्र

476. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागवत गीता और महाभारत के कारण हरियाणा के कुरुक्षेत्र और पाँडू पिंडारास स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं और विश्व से लाखों की संख्या में यात्री इन स्थानों पर आते हैं;

(ख) क्या पर्यटन की दृष्टि से इन पवित्र स्थानों का विकास करने के लिये सरकार की कोई विशिष्ट योजनायें हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) कुरुक्षेत्र और पाण्डू पिंडारास जाने वाले अधिकाँश लोग भारतीय होते हैं। कुरुक्षेत्र और पाण्डू पिंडारास का महत्व मुख्यतः राष्ट्रीय है।

(ख) इन क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाएँ चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(ग) ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नालन्दा बिहार

477. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य में नालन्दा बिहार की खुदाई से प्राप्त प्रसिद्ध तथा बहुमूल्य भग्नावशेषों के कुछ भाग मौसम के थपेड़ों से नष्ट होते जा रहे हैं;

(ख) नालन्दा बिहार को क्षति से बचाने के लिये सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस संबंध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ईंट के बने मठों के भग्नावशेष तथा मन्दिर और उनकी पलस्तरदार मूर्तिकला की सजावट की बराबर देखभाल की जाती है।

(ख) और (ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान भग्नावशेषों के अनाच्छादित शिखरों को ऐसा बना दिया गया है जिससे कि उनमें जल प्रवेश न कर सके, जिन भागों की क्षति हो गई थी उनकी मरम्मत कर दी गई है और पानी निकलने के लिए नाली की व्यवस्था कर दी गई है ताकि स्मारकों के निकट पानी इकट्ठा न हो जिससे उन्हें हानि पहुँचे। इसके अलावा पलस्तर की समय-समय पर रासायनिक जाँच की जाती है ताकि घुलने वाले लवणों को दूर किया जा सके तथा जल प्रतिकर्षी रेजिन घोल का संरक्षी लेप कर दिया जाता है।

नालन्दा मठों के परिरक्षण पर पिछले चार वर्षों में लगभग 77,500/ रुपये खर्च किए गए हैं और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 13,000/ रुपये और खर्च करने का प्रस्ताव है।

कोणार्क मन्दिर

478. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा का कोणार्क मन्दिर जो कि वस्तु कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर तथा महत्वपूर्ण है, उपेक्षा तथा टूटी-फूटी अवस्था में है और कला तथा वास्तुकला की कुछ महत्वपूर्ण चीजें लगातार वर्षा तथा धूप के कारण टूट-फूट गई हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो भारत की प्राचीन कला और वस्तुकला के इस स्मारक के संरक्षण के लिये सरकार ने गत पाँच वर्षों में क्या कार्यवाही की है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार आगे और क्या कार्यवाही करने का है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं। मन्दिर टूटी-फूटी अवस्था में नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार मन्दिर के संरक्षण की समस्याओं के प्रति जो समुद्र के किनार स्थित है और जिस पर पवनोट बालू के झकोरों और समुद्री-लवण का प्रभाव पड़ता रहता है उसकी ओर पूरी तरह से सजग है। मन्दिर के संरक्षण के संबंध में सलाह देने के लिए सरकार द्वारा 1950 में स्थापित की गई प्रमुख रसायनज्ञों, भूवैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चित्रकारों, आदि की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार संरचनात्मक मरम्मत और रासायनिक परीक्षण के रूप में संरक्षणात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुर्सी की पतले मसाले की भराई जैसे अन्य कार्य पूरे हो गए हैं।

पिछले चार वर्षों में मन्दिर की मरम्मत और देखभाल पर कुल मिलाकर लगभग 58,900 रुपए खर्च किए गए हैं और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन प्रयोजनों के लिए लगभग 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम

479. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री रणधीर सिंह** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रमों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या उक्त योजना की क्रियान्विति में सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी सहायता देने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : **(क) से (घ)** :

स्कूलों के अध्यापक : कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्य के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने तथा राज्यों को कितनी सहायता दी जाए, इस प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक : कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान और बढ़ाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 1965 में सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इन्हें अपनाने के लिए अप्रैल, 1966 में राज्य सरकारों के पास भेज दिया था। कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए शिक्षा (कोठारी) आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले सिफारिश किए गए वेतनमानों के समान ही हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का 80 तिशत भाग भारत सरकार ने 1-4-1966 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वहन करना स्वीकार कर लिया है।

काश्मीर में पंडितों का आन्दोलन

480. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री अटल विहारी वाजपेयी :
श्री क० लकप्पा :
श्री शारदानन्द :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शिवचन्द झा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हेम राज :
श्री कृष्ण मूर्ति :
श्री बलराज मधोक :
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक हिन्दू लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में किये गये पंडितों के आन्दोलन के समय उन्होंने जम्मू और काश्मीर का दौरा किया था,

(ख) क्या उन्होंने पंडितों की कार्यकारी समिति के सदस्यों से बातचीत की थी और उन्हें कुछ आश्वासन दिये थे जिनके आधार पर वह आन्दोलन वापस लिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने उन आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में दोनों सम्प्रदायों के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ श्रीमान्।

(ख) श्रीनगर में हिन्दूकार्य समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी। 3 सितम्बर, के समझौते के आधार पर जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है (**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1547/67)

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मेरी श्रीनगर यात्रा के अंत में 3 सितम्बर को समझौता हुआ। अन्य बातों के साथ-साथ इस समझौते में राज्य की जनता से विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध

किया गया था। विभिन्न सम्प्रदायों के नेताओं से बातचीत के दौरान भी इस बात पर बल दिया गया था। उन लोगों ने भी साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने की इच्छा व्यक्त की। गज़ेन्द्रगडकर आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव की पूर्व स्थापना में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक सौहार्द तथा धर्म निरपेक्षता की गौरवपूर्ण परम्परा को बनाये रखने और मजबूत बनाने के अडिग निश्चय का उल्लेख है। सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रकार से प्रयत्नशील रहेगी।

एयर इंडिया द्वारा अर्जित लाभ

481. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में एयर इंडिया को कितना लाभ हुआ है;

(ख) इसी कालावधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ग) भाग (क) और (ख) में दिये गये आँकड़ों का पिछले वर्ष के इसी कालावधि के आँकड़ों में कितना अन्तर है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग)	1965-66	1966-67
	(लाख रुपयों में)	
(क) शुद्ध लाभ	163.56	389.15
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा	491.15	835.20

सरकारी विभागों में काम के घंटे

482. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों के बढ़ाये हुए समय को सामान्य करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

पाठ्य पुस्तकें खरीदन के लिये विश्वविद्यालयों के छात्रों को राजसहायता

483. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : **श्री अमृत नाहारा** :
श्री तुलशीदास दासप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को राजसहायता देने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) परिचालित ब्यौरे तथा योजना का कार्यक्षेत्र तैयार करन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति स्थापित की गई है। समिति जल्दी ही अपना काम शुरू करने वाली है।

मंगलौर पत्तन

485. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 27 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन के विकास के लिये वित्तीय परिव्यय मंजूर कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या भूमि प्राप्त करने के काम में प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०): (क) और (ख) जी नहीं। मंगलौर पत्तन परियोजना का प्राक्कलन अभी मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना के कार्य-क्षेत्र पर अभी विचार किया जा रहा है। समूची परियोजना का अनुमोदन कर लिये जाने तक समय समय पर कुछ अविलम्बनीय कार्यों के लिये मंजूरी दी गई है। सितम्बर, 1967 के अन्त तक पत्तन परियोजना पर लगभग 6.28 करोड़ रु० का व्यय किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने परियोजना के लिये 2,155 एकड़ भूमि अर्जित करने की मंजूरी दी है। इसके अन्तर्गत लगभग 2073 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। 1437 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है। शेष 636 एकड़ भूमि के लिये अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही चालू है।

दक्षिण भारत म सड़कों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण

486. **श्री पार्थसारथी:** क्या **परिवहन तथा नौहवन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिणपूर्व तथा दक्षिण पश्चिम स्थित आधुनिकीकृत पत्तनों की सड़कों सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये दक्षिण भारत में सड़कों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कोई ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) श्रीमान्, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करना

487. **श्री पार्थसार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह अपना कार्य कब से आरम्भ कर देगी और परिषद् के सदस्य कौन कौन होंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) परिषद् की संरचना विचाराधीन है और आशा है कि परिषद् शीघ्र ही काय आरम्भ कर देगी।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

488. **श्री पार्थसारथी: श्री देवेन सेन:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अपनी सेवाओं में भर्ती के लिये उम्मीदवारों की छानबीन करने की प्रक्रिया को कड़ा बनाने की नीति बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्र-विरोधी तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियाँ करने वाले और साम्प्रदायिक एकता भंग करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, नियुक्ति माँगने वाले उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त की पड़ताल की जाती है। इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि सरकारी सेवा में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति अच्छे आचरण के और निष्ठावान हैं, केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रत्येक नियुक्ति अधिकारी के लिए इस बारे में अपना सन्तोष करना जरूरी है कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति सभी प्रकार से सरकारी सेवा में नियुक्ति के योग्य है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी आपतिजनक गतिविधियाँ अथवा तोड़फोड़ की गतिविधियाँ जिनमें राष्ट्रविरोधी, समाज विरोधी अथवा साम्प्रदायिक एकता भंग करने वाली गतिविधियाँ ध्यान में आती हैं सरकार के अधीन सेवा के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाते।

(ग) राज्य सरकारों को भारत सरकार की नीति से अवगत करा दिया गया है।

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

नौवहन टन भार

489. **श्री पार्थसार्थी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यूरोप महाद्वीप के देशों से 10 लाख टन माल का नौवहन का अपना वायदा पूरा करने के लिये क्रयादेश दे दिये हैं और इस खरीद के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु ब्रिटेन, जर्मनी तथा युगोस्लाविया में ऋण प्राप्त किये गये हैं;

(ख) क्या हमारी गोदियों तथा पोत-प्रांगणों (जहाज बनाने के कारखानों) के लिये भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०):

(क) इस समय लगभग 3.78 लाख जी० आर० टी० टन भार के लिये यूरोप में क्रयादेश दिये हुए हैं और वह सारा माल यूगोस्लाविया से खरीदा जाना है जहाँ कि जहाज़ निर्माण के लिये ऋण उपलब्ध है। जहाज़ प्राप्त करने के लिये तृतीय योजनावधि के अन्त के पश्चात् ब्रिटेन और जर्मनी से अभी तक कोई ऋण नहीं प्राप्त किया गया है।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अपने वार्षिक उत्पादन को 38.500 डी० डब्लू० टी० (3जहाज़) से बढ़ा कर 1968-69 से 50,000 डी० डब्लू० टी० (4 जहाज़) कर रहा है।

तेलगू की पाठ्य पुस्तकों के लिये ऋण

490. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आँध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य के स्कूलों और कालिजों में प्रयोग के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के हेतु एक संस्था स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये कुल कितनी धन राशि की माँग की गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) : जी नहीं। 201 लाख रुपये के अनुदान की प्रार्थना की गई है।

(ग) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन की योजना, राज्य भाषा संस्थानों की स्थापना की योजना से भिन्न है और उससे जुड़ी हुई नहीं है। भाषा संस्थानों की इस योजना के अन्तर्गत जो राज्य क्षेत्र में हैं, चतुर्थ पंच-वर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान खर्च की सीमा केवल 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है जिसका केवल 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त करेंगी।

भाषा सम्बन्धी नीति

491. **श्री चेंगलराया नायडू** :
डा० अ० ग० सोनार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री स० चं० सामन्त

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों को भाषा के प्रश्न पर उप-कुलपतियों के सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प पर अपने मत व्यक्त करने के लिये पत्र लिखा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मत प्राप्त हो गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) भाषा के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जायगा?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) अभी तक कुछ मुख्य मंत्रियों के उत्तर प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि वे उपकुलपतियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों से सामान्यत: सहमत हैं।

(घ) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अन्य पहलुओं के साथ-साथ भाषा के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय तभी किया जाएगा जबकि सभी राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ प्राप्त हो जाएंगी और लोक सभा द्वारा शिक्षा आयोग तथा शिक्षा संबंधी संसद सदस्यों की रिपोर्ट पर चर्चा हो जाएगी।

अन्तर्राष्टीय हवाई अड्डों संबंधी वृहद् योजना

492. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों संबंधी समिति ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि पालम, सान्ताक्रुज, डमडम और मीनाम्बकम हवाई अड्डों पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी ढंग का प्रबन्ध किया जाये;

(ख) क्या उस समिति ने भारत के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये वृहद् योजना बनाने की भी सिफारिश की है;

(ग) समिति ने और क्या क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (ग) जी, नहीं। यह आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम के पहाड़ी नेताओं के साथ बातचीत

493. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री न० कु० सांघी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1967 में आसाम के पहाड़ी नेताओं के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) आल पार्टी हिल लीड़र्ज कान्फ्रेंस के प्रतिनियों ने आसाम के पुनर्गठन पर मेहता समिति के प्रयत्नों में भाग नहीं लिया था। अत: उन्हें समिति की सिफारिशों पर बातचीत के लिये 25 सितम्बर, 1967 को दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। आल पार्टी हिल लीड़र्ज कान्फ्रेंस तथा आसाम के अन्य राजनीतिक दलों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। अत: प्रतिनिधि मण्डल को बता दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना पड़ेगा और इस उद्देश्य से संसद में दलों के नेताओं से परामर्श किया जायगा। मेरा, दलों के नेताओं से शीघ्र ही इस विषय पर परामर्श करने का विचार है।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

494. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री न० कु० सांघी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं ताकि विश्वविद्यालय स्तर में प्रादेशिक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले सके; और

(ख) इसमें से कितना धन विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद पर तथा कितना धन मौलिक कार्य के लिए व्यय किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) : इस प्रयोजन के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है; किन्तु अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है क्योंकि अभी तक योजना के ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की घुसपैठ

495. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी नागरिक राजस्थान सीमा के रास्ते अब भी घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले 4 महीनों में ऐसे कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कारवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) इस प्रकार की घुसपैठ के मामले कभी-कभी सामने आए हैं।

(ख) 81.

(ग) उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं। इस मामलों की जाँच की जा रही है।

गांधी हत्या षड्यंत्र जाचं आयोग

496. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री वाल्मीकि चौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँधी हत्या संबंधी षड्यंत्र की जाँच करने वाले आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आयोग ने अब तक 51 व्यक्तियों की गवाहियां ली हैं, और आशा है कि 33 व्यक्तियों की गवाहियाँ और ली जायंगी।

दिल्ली पुलिस

497. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के लिये कोई अतिरिक्त भत्ते मंजूर किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1548/67]

उर्दू

498. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्रीमती तारा सप्रे :**

श्रीमती सुशीला रोहतगी : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उर्दू के बारे में 14 जुलाई 1958 को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में घोषित उर्दू संबंधी नीति-निर्णयों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाय, जिसमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि उन सब बच्चों को, जिनकी मातृ भाषा उर्दू है, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक उर्दू के माध्यम से शिक्षा दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सम्बन्धित राज्य इन नीति-निर्णयों के बारे में पहले ही सहमत हो चुके थे। उनका ध्यान इन निर्णयों को पूर्णरूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया। अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि राज्य सरकारें वक्तव्य में उल्लिखित सुविधायें देने को तत्पर हैं।

भारत अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना

499. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 1967 के प्रथम सप्ताह में भारतीय तथा अमरीकी अधिकारियों के बीच भारत अमरीकी प्रतिष्ठान स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर पुनः अनौपचारिक रूप से बात चीत हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख) : पिछली मई में अमरीकी राजदूत से इस विषय में हुई संक्षिप्त अनौपचारिक वार्ता के बाद से और कोई प्रगति नहीं हुई है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिये अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता

500. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण भारत में प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के नवीनतम तरीकों पर आधारित साहित्य उपलब्ध करके भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता देना चाहता है ;

(ख) क्या अमरीकी सहायता से चल रहे ग्रीष्म ऋतु में शिक्षकों के शिविरों के कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ग) प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में अध्यापन कार्यक्रम के लिए सहायता देने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

501. **श्री वी० चं० शर्मा : श्री इसहाक साम्भली :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा सम्बन्धी व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसको अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ; और

(ग) इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा सम्बन्धी व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने का कार्य 1966 में आरम्भ किया गया था और निम्न कदम उठाये गये हैं :

(1) शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया था, जो कि सरकार को 29 जून 1966 को मिला था। प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेजी गई थीं।

(2) योजना आयोग ने अपने विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई जिसने मोटे तौर पर प्रतिवेदन का समर्थन कर दिया।

(3) आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों से तथा अप्रैल 1967 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में चर्चा की गई थी। राज्य सरकारें शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को मोटे तौर पर स्वीकार करती हैं और उन्होंने तुरन्त कार्यवाही के लिये एक कार्यक्रम भी बनाया है।

(4) शिक्षा पर संसद सदस्यों की समिति बनाई गई थी और उससे शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पर एक विवरण तैयार करने के लिये कहा गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और इस पर सभी राज्य सरकारों ने भी विचार कर लिया है।

(5) 22-23 अगस्त, 1967 का शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बोर्ड ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था।

(6) 11-13 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया था और प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के लिये एक व्यावहारिक कार्यक्रम का सुझाव दिया था।

(7) कथित दोनों प्रतिवेदनों पर 7 से 10 अगस्त, 1967 तक राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है। चालू सत्र में लोक सभा में भी उनपर चर्चा करने का विचार है।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पर निर्णय लोक सभा में उसपर चर्चा समाप्त होने के बाद किया जायेगा।

(ग) अगले वित्तीय वर्ष से निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का विचार है और जहाँ तक हो सकेगा चालू वर्ष में ये कदम उठाये जायेंगे।

Religious Education

502. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the concrete steps being taken by Government for the moral uplift and character-building of students in the country ; and

(b) whether Government propose to make religious education compulsory in educational institutions with a view to achieve the said objective?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) The recommendations made by the Sri Prakasa Committee on Religious and Moral Education appointed by the Government of India, were circulated among the State Governments and universities. It is understood that efforts are being made by them to implement the recommendations. Also, character building of students is encouraged through activities such as Scouting and Guiding, NCC, Youth Welfare Programmes etc.

(b) No, Sir, because this would be ultra vires of Article 28 of the Constitution.

विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

504. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे कितने विश्व-विद्यालय है जिन्होंने मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषाओं में काम आरम्भ कर दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : अंतिम सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ जेल में हुआ दंगा

505. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 जून, 1967 को तिहाड़ जेल में हुए उपद्रव की जाँच करने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या उप-पत्तियाँ हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) उक्त प्रतिवेदन को तत्सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव के साथ सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

आसाम के पुनर्गठन के बारे में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

506. **श्री रवि राय :** **श्री नायनार :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति किन निष्कर्षों पर पहुँची है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) :

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1549/67]

(ख) और (ग) मेरा विचार आसाम राज्य के पुनर्गठन के लिये जनता के सभी वर्गों को स्वीकृत आधार बनाने के लिये सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने का है।

इसी वजह से समिति के निष्कर्षों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पुरी-कोणार्क सड़क

507. **श्री रवि राय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि भारत सरकार का पर्यटन विभाग उस क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिये बालीझाई और नागपुर से होकर, पुरी और कोणार्क के बीच सड़क निर्माण कार्य आरम्भ कर दे, तो उड़ीसा में पुरी और कोणार्क के बीच का फासला लगभग 25 मील कम हो जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस कार्य को कब आरम्भ करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं। पुरी और कोणार्क के बीच का फासला बालीझाई-नागपुर से होकर एक सड़क बनाने पर भी 25 मील कम नहीं हो सकता।

(ख) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि फासले में ऐसी कोई खास कमी नहीं होगी जिसका कि पर्यटक यातायात पर विशेष प्रभाव पड़ सके, पर्यटन विभाग का इस सड़क को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्रोही मिजो लोग

508. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा सेना के साथ हुई मुठ-भेड़ों में 600 से अधिक विद्रोही मिजो लोग या तो मारे गए हैं अथवा पकड़ लिये गये हैं;

(ख) क्या राज्य के विरुद्ध युद्ध आरम्भ करने के आरोप में उनमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है अथवा किसी व्यक्ति का "कोर्ट-मार्शल" किया गया है; और

(ग) स्वेच्छापूर्वक अपने आपको सरकार के सुपुर्द करने तथा भविष्य में ठीक आचरण करने का वचन देने पर उनमें से कितने व्यक्ति अब तक रिहा किए गए हैं ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्रोहियों की विरुद्ध कार्यवाहियों के दौरान सुरक्षा सेनाओं द्वारा अक्तूबर 1967 तक 390 मिजो विद्रोही मारे गए और तीन हजार पकड़े गए।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) स्वेच्छापूर्वक अपने आपको सरकार के सुपुर्द करने वालों में से 1153 को जमानत पर रिहा किया गया है।

सरकारी नीतियों पर अनुसन्धान का प्रभाव

509. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1967 को योजना आयोग के उप-प्रधान श्री डी० आर० गाडगिल, के द्वारा दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि एक अनुसन्धानकर्ता ने अनुभव किया है कि उसके अनुसन्धान का सरकार की नीतियों के निर्धारण में कोई महत्व नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो यह आरोप कहाँ तक सच है; और

(ग) यदि यह सच है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये यदि कोई उपाय किए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ। लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने, कुछ आम बातें ही कही थीं जबकि, वह उन परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहे थे जिनमें एक अनुसंधान वैज्ञानिक को यह महसूस होता है कि सरकारी नीतियों की रचना और उनके कार्यान्वियन में उसके या उसके अनुसंधान के लिए कोई स्थान नहीं है। वह किसी विशिष्ट अनुसंधानकर्ता या किसी विशिष्ट अनुसंधान का उल्लेख नहीं कर रहे थे। वास्तविक तथ्य स्पष्ट करने के लिए उनके भाषण का एक उद्धरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०** 1550/67]

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

510. **श्री अगाड़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आँध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में सालारजंग संग्राहलय भवन के निर्माण तथा संधारण के लिये अथवा वह अंशदान नहीं दिया है जो उसने देना स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसंधान संवर्द्धन निगम

511. **श्री गणेश**: क्या शिक्षा मंत्री 2 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्देशक बोर्ड ने, जो राष्ट्रीय अनुसंधान संवर्धन निगम को वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास तथा उपयोग का और अधिक सक्रिय साधन बनाने के लिए उसकी गतिविधियों का पुनर्विलोकन कर रहा था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ।

(ख) मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम व्यावसायिक मूल्याँकन के लिए क्षेत्रशः विशिष्ट विषयों में तकनीकी सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है;

(ii) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम या कोई सक्षम प्राधिकारी विशेष मामलों में बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकता है;

(iii) ऐसे लाइसेंस जारी करने के काम को प्राथमिकता दी जा सकती है जो एक मात्र न हों;

(iv) प्रयोगशाला स्तर से इस प्रक्रिया को हाथ में लेने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को अपने निजी खर्च पर या उद्योग के सहयोग से मार्गदर्शी संयंत्र बनाने चाहिये। ऐसा तकनीकी एवं आर्थिक संभावनाओं का मूल्याँकन करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

(v) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को जोखिम-निधि की व्यवस्था करनी चाहिए।

(vi) उपयुक्त मामलों में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम उद्योगशील लोगों को उनके द्वारा उठाए गए नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति देने के सवाल पर विचार कर सकता है।

(vii) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित प्रक्रियाओं और उनके कार्यकलापों का और अधिक प्रचार करने पर जोर देना चाहिये।

(viii) कार्यकारी निर्देशक को जल्द से जल्द नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) निगम के भागीदारों की महासभा द्वारा इस पर विचार कर लेने के बाद सरकार इस-पर विचार करेगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी

512. **श्री शशि भूषण वाजपेयी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 अक्तूबर, 1967 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में मंत्रालयवार अनुभाग अधिकारी श्रेणी के कितने पदों पर बिना चयन सूची से आये कर्मचारी कार्य कर रहे थे; और

(ख) 20 अक्तूबर, 1967 को मंत्रालयवार अनुभाग अधिकारी श्रेणी के कितने पद रिक्त थे?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): **(क) और (ख)** सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची

513. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुभाग कर्मचारियों की चयन सूची प्रकाशित करने के लिये अनिवार्य व्यवस्था की गई है, जिसमें 1959, 1960 के हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण किन्तु नियुक्त न किए गए लोग भी शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में कितनी चयन सूचियाँ प्रकाशित की गई हैं और वे किन-किन वर्षों की हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) चार, सन् 1963, 1964, 1965 और 1966 में से प्रत्येक के लिए एक-एक ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान्।

Documents Relating to Lahore Conspiracy Case of 1930

514. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the complete record of the Court proceedings and the decision of the Tribunal in the Lahore Conspiracy Case of 1930 in which the revolutionary leaders of the freedom movement viz. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and others were tried, is available with the Government of India ;

(b) if so, whether the research scholars have access to these records in the National Archives ;

(c) if these records are not available with the Government, the reasons therefor and the details of action taken by Government in procuring these records ; and

(d) the names of the convicts of this case or their families who have been given Government help and the names of those who applied for help ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Documents Relating to Udham Singh Case

515. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether copies of the records of the court proceedings and the decision pertaining to the case of the revolutionary leader of freedom struggle Shri Udham Singh, in which he was executed on the charge of shooting Col. O. Dyre of the Jallianwalla Bagh, Amritsar massacre case in the year 1940-41 are available with Government ;

(b) if so, the name of the Department with which these documents are available ;

(c) if not, the steps taken by Government to obtain those documents or copies thereof and the progress made in this regard ;

(d) whether any instructions have been issued or are being issued to the National Archives, New Delhi to obtain these records ;

(e) whether any assistance was given or is being given by Government to the family members of Shaheed Udham Singh ; and

(f) whether any of his family member had asked for such an assistance and if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (f). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Records Regarding Sohan Lal Pathak Case

516. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether full record of the case of Shaheed Sohan Lal Pathak, the leading freedom

fighter associated with Indian Revolutionery (Gadar) Party in America, who has was sentenced to death in Mandalay Jail (Burma) in 1915-16 on the charge of treason is available with Government ;

(b) if so, the name of the Office where it is available;

(c) if not, the steps being taken by Government to get these records or their copies or their photostat copies (Micro films) and the progress achieved so far in this direction ;and

(d) whether the National Archives of India, New Delhi has been instructed or is being instructed to get these records ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the table of the House.

आझीकल पत्तन

517. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री चक्रपाणि :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गण-राज्य के मैसर्स लिमेक्स ने 1 लाख रुपए में केरल स्थित आझीकल पत्तन के लिये जाँच, भूमि परीक्षण, आदर्श प्रयोगों, परियोजनाओं सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करने और कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में सलाह देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव):(क) से (घ) राज्य सरकार के पास जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य की फर्म मैसर्स लिमेक्स को पत्तन इंजीनियरी परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने का एक प्रस्ताव केरल सरकार ने सितम्बर, 1967 में भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिये भेजा था। जिसके अनुसार एक लाख रु० की विदेशी मुद्रा फर्म को शुल्क के भुगतान के रूप में दी जानी थी। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह भारत में सेवानिवृत्त पत्तन इंजीनियरों में से किसी उपयुक्त अधिकारी को या मसर्स होवे इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड या मैसर्स बोर्टलिन पार्टनर्स जैसी भारत की किसी परामर्शदात्री फर्मों में से एक को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर सकती है।

विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम

518. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विज्ञान और विज्ञान पढ़ाने के सम्बन्ध में हाल ही में हुए गोल मेज सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाये रखा जाना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) गोल मेज सम्मेलन की कार्यवाही और उसमें जो सुझाव दिए गए उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ख) कार्यवाही उपलब्ध होने और उसपर विचार करने के पश्चात् सरकार की प्रतिक्रिया बताई जा सकती है।

आपात की स्थिति समाप्त करना

519. **डा० रानेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपात की स्थिति को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदिहाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

हल्दिया बन्दरगाह

520. **डा० रानेन सेन:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया को सहायक बन्दरगाह के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) हल्दिया परियोजना का काम योजना के अनुसार चल रहा है। लगभग 85 प्रतिशत भूमि अर्जित कर ली गई है। प्रस्तावित गोदी तथा टर्निंग बेसिन की खुदाई का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। गोदी के पेंदे तथा नदी को साफ करने का काम प्रगति पर है।

'आयल जेट्टी' का निर्माण कार्य प्रगति पर है और वर्तमान संकेतों के अनुसार वर्ष 1967 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। एक अवरुद्ध गोदी के निर्माण के लिये ठेका जुलाई, 1967 में दिया गया था और कार्य आरम्भ हो गया है। बिजली के उपकरणों को सप्लाई करने और उनको अधिष्ठापित करने के लिये ठेका दिया जा चुका है। डीज़ल से चलने वाले 12 इंजनों को प्राप्त किया जा रहा है। दो समुद्री टगों की खरीद के लिये टेंडर प्राप्त हुए हैं और क्रयादेश शीघ्र ही दिए जायेंगे। अयस्क और कोयला लदान के संयंत्रों के लिये प्राप्त हुए टेंडरों की जाँच पड़ताल की जा रही है। वर्तमान संकेतों के अनुसार आशा है कि 1971 तक सम्पूर्ण परियोजना पूरी हो जायेगी और हल्दिया डॉक चालू हो जायेगा।

(ख) भारत सरकार द्वारा समय समय पर मंजूर किए गए ऋणों में से सितम्बर, 1967 तक कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा कुल लगभग 8.64 करोड़ रु० खर्च किया गया था।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों का बेड़ा

521. **डा० रानेन सेन :** **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने अपने पुराने और अलाभकारी विमानों को बदल कर उनके स्थान पर आधुनिक तथा बड़े विमान लाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना की अनुमति दे दी है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) आई० ए० सी० डकोटा वायुयानों को बदल कर उनके स्थान पर एच-एस 748 वायुयान लाने की योजनाएँ हैं तदनुसार आई० ए० सी० द्वारा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटड द्वारा मार्च 1970 तक चौदह एच-एस 748 वायुयान दिए जायेंगे। पहला एच एस– 748 विमान जुलाई, 1967 में दिया गया और दूसरा इस वर्ष के अन्त से पहले दे दिया जायेगा।

(ग) 14.24 करोड़ रुपये।

(घ) जी, हाँ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों के संवर्ग में पदोन्नति का सर्वथा अभाव

522. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों की पदोन्नति में हुए गतिरोध के प्रश्न की जाँच करने के लिये नियुक्त को गई संयुक्त सचिवों की समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति की मुख्य सिफारिश क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) क्या समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) समिति की मुख्य-सिफारिशें उन सहायकों की पदोन्नति के अवसरों पर को बढ़ाने के बारे में हैं जो अपने पद पर बहुत वर्ष तक काम कर चुके हैं। इस उद्देश्य के लिए समिति ने न तो सहायकों के ग्रेड की वर्तमान वरिष्ठता सूची में कोई परिवर्तन करने की हिमायत की और न ही सहायकों के लिए सलेक्शन ग्रेड बनाने को, परन्तु समिति ने अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में कुछ निश्चित वर्षों के लिए इस श्रेणी के सहायकों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का कोटा निर्धारत करने की सिफारिश की। समिति ने अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में भरती के लिए ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता के समयास्तर में कुछ परिवर्तनों का भी सुझाव दिया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) इस प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है और अभी तक सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

पहाड़ी क्षेत्र आयोग का प्रतिवेदन

523. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, श्री० एच० वी० पाटस्कर के, जो पहले आसाम पहाड़ी क्षेत्र के सभापति थे, समाचार-पत्रों में छपे उस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मामलों विशेषकर मिजो समस्या के बारे में निर्णय

करने में केन्द्रीय सरकार के रवैये पर खेद प्रकट किया गया है और यह माँग की गई है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाये जिसपर दोनों भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों अर्थात् पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने तुरन्त कार्यवाही करने का वचन दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण: (क) से (ग) : जी नहीं श्रीमान्। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इस बारे में निर्णय करने में देर लगाने की कोई प्रवृत्ति दिखाई है या अविलम्ब कार्यवाही करने में असमर्थ रही है। आसाम पहाड़ी क्षेत्र आयोग की नियुक्ति 16 मार्च, 1965 को की गई थी और उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को 31 मार्च, 1966 को दे दिया था। उसके बाद बहुत से विचार-विमर्श हुए जो प्रारम्भिक स्तर पर पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ और बाद में सारे राज्य के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोई सर्व-सम्मत हल ढूंढ़ने के लिये किए गए थे। श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी किन्तु इसके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कोई सर्व-सम्मत आधार नहीं बन सका। अतः अगले सप्ताह में किसी समय इस विषय पर दलों के नेताओं से परामर्श करने का विचार है।

Use of Hindi

524. **Shri Ramji Ram**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi is not being used in the offices of the Central Government situated in the States, which have declared Hindi as their official language; and

(b) if so, the time by which it shall be possible to do so ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Khosla Commission

525. **Shri Ramji Ram: Dr. Surya Prakash Puri :**

Shri Dhireswar Kalita:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the report of the Khosla Commission which was appointed to go into the grievances of Police personnel of Delhi has been implemented ; and

(b) whether Government are considering to provide more facilities to policemen in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in library, See. No. LT-1551/67.]**

(b) The question of provision of additional facilities to the police personnel of Delhi will continue to engage the attention of Government as hithertofore.

House Collapse in Delhi

526. **Shri Ramji Ram.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to pay compensation to the families who suffered as a result of the house collapse in Dharampura Mohalla, Delhi on the 15th August, 1966, as recommended by the Commission appointed to go into the causes of the accident ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ;

(d) whether the prosecution proceedings postponed by the police against the guilty have since been resumed ; and

(e) if so, the final results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Commission has made no recommendations about the payment of compensation.

(b) and (c) : Do not arise.

(d) and (e) Investigation has been resumed by the police.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएँ

527. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन्हें कब से लागू किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी के अलावा संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं को लागू करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया गया है।

(ख) इस स्थिति पर निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि यह निर्णय कब तक लागू हो जायेगा।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने के प्रश्न की सभी व्यावहारिक पहलुओं से जाँच करने की आवश्यकता है; जिनके लिए पर्याप्त प्रारम्भिक तैयारी की आवश्यकता है। काम शुरू कर दिया गया है और कुछ प्रगति पहले ही का जा चुकी है। किन्तु आयोग इस प्रकार के क्रियान्वयन के लिये समय-सारणी बनाने की स्थिति में तभी हो सकेगा जब वह प्रारम्भिक तैयारी पूरी कर लेगा।

(घ) जी हाँ, श्रीमान्।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी

528. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊंचे पदों से सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर, गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों में नौकरी करने पर कोई नई पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 531–बी के अधीन, ऐसे पेंशन प्राप्त कर्मचारी को जिस पर यह अनुच्छेद लागू होता है, अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि से दो वर्ष बीतने से पहले कोई व्यावसायिक नौकरी स्वीकार करने से पूर्व सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। सरकार, सेवा निवृत्ति से दो वर्ष के अन्दर-अन्दर व्यावसायिक नौकरी प्राप्त करने की पूर्वानुमति के लिये प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों की जाँच करती रही है और जहाँ कहीं लोक हित की दृष्टि से आवश्यक हुआ अनुमति देने से मना करती रही है। सरकार के सामने कोई नई पाबन्दी लगाने का सुझाव तो नहीं है किन्तु इस प्रकार की स्वीकृति के लिये दिए गए प्रार्थनापत्रों पर स्वीकृति या अस्वीकृति के मापदण्डों की, लोक हित की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए, सरकार द्वारा सदा ही जाँच-पड़ताल की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Pay Scales of College Teachers in Bihar

530. **Shri Ramavatar Shastri: Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have made any recommendation to the Government of India and to the University Grants Commission to the effect that the present anomaly in the pay-scales of teachers of all constitutent and affiliated colleges of the State rectified and a uniform pay-scale fixed for all of them ;

(b) whether he had any talks on this subject with the State Deputy Chief Minister and the State Education Minister ;

(c) whether the State Government have sought any special financial assistance for introducing uniform pay scales for the teachers of both the types of colleges; and

(d) if so, the amount of assistance sought and the reaction of the Government of India in regard thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The State Deputy Chief Minister (who is also the Education Minister) had discussed with me the question of revision of salary scales of college and University teachers in Bihar.

(c) and (d) : No special financial assistance has been sought by the State Government exclusively for introducing uniform pay-scales for teachers of affiliated and constituent colleges. However, the total Central assistance for implementing the revised pay-scales of University and College teachers in Bihar, as estimated by the State Government, works

out at Rs. 56.00 lakhs per annum. The proposals of the State Government are under consideration.

Demands of College Teachers in Bihar

531. **Shri Ramavtar Shastri.** Will the Minister of **Education** be pleased to State :

(a) whether any delegation of College Teachers of Bihar had met him in Delhi in August last ;

(b) whether any memorandum containing the demands of College Teachers of Bihar was presented to him by the Delegation ; and

(c) if so, the salient points raised in the memorandum and reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b): Yes, Sir. A delegation on behalf of Federation of University Teachers Associations of Bihar had met Shri Bhagwat Jha Azad, Minister of State in the Ministry of Education and a memorandum was presented to him.

(c) The main points raised in the Memorandum are :

(i) introduction of revised pay-scales for different categories of College Teachers ;

(ii) parity in pay-scales of teachers working in affiliated and constituent colleges ;

(iii) weightage of service in fixation of salaries in the revised pay scales ; and

(iv) payment of Dearness Allowance at Central rates.

The points at (i), (ii) and (iii) are under consideration of the Government of India. As regards (iv), the scheme for revision of pay-scales does not provide for assistance to State Governments for payment of Dearness Allowance to teachers. It is for them to decide whether Dearness Allowance should be paid ; and if so, at what rates.

Special Status to Jammu & Kashmir

532. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made so far with regard to the abrogation of Article 370 of the Constitution giving special status to the State of Jammu and Kashmir ;

(b) the justification for continuing that article ; and

(c) the time by which this Article will be abrogated ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) During the current year, the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, which amended Article 324 of the Constitution and the Constitution (Twenty-first Amendment) Act, 1967, have been applied to the State of Jammu & Kashmir by orders made by the President under Article 370 of the Constitution. By another Order made by the President under the same Article, entry 19 of the Concurrent List, has been made applicable to the State.

(b) and (c). Article 370 is useful for applying more and more provisions of the Constitution to Jammu & Kashmir. There is no proposal to delete Article 370.

Devanagari Script for Regional Languages

533. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri O. P. Tyagi:**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 798 on the 28th June, 1967 and state :

(a) whether any further correspondence has been done with the State Governments in order to persuade them to accept the Devanagri script as a general alternative script for all the Indian languages ;

(b) whether the revised Devanagri script will serve the needs of all the regional languages ; and

(c) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (c). As already stated in the reply to Starred Question No. 798 of 28th June, 1967, copies of the modified Devangari Script were sent to all State Governments and it was suggested to them that it was capable of being adopted/adapted as an additional script for the regional languages. No comments have so far been received from any State Government. In view of the advantages that the modified script offers, it is for the State Governments and the people of the various Linguistic regions to adopt it themselves and for this reason, it was not considered necessary to correspond further with the State Governments in this behalf. A Seminar was however convened in October 1967 to suggest ways and means to popularise the modified Devanagari script. The Seminar was attended by experts of various regional languages and representatives of the State Governments. Further action to popularise the Devanagri script will be taken after the recommendations of the Seminar have been examined in this Ministry.

विद्रोही मिजो लोग

534. **श्री मरंडी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोग मिजो युवकों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें पूर्व पाकिस्तान में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन मिजो लोगों को, जो भारत सरकार के प्रति वफादार हैं, रक्षा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है; और

(ग) क्या सरकार उन्हें पूर्ण संरक्षण देने का विचार कर रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मिज़ो विद्रोहियों द्वारा कुछ युवकों के अपहरण के मामले सामने आए हैं। यह सूचना भी मिली है कि मिजो विद्रोही इन युवकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वह उनके साथ शामिल हो जायँ तथा प्रशिक्षण करें।

(ख) और (ग) हमारे सुरक्षा दस्ते चारों तरफ तलाशी ले रहे हैं और सभी प्रशासकीय केन्द्रों तथा ग्राम समूहों में वे सतर्क हैं। अधिक सुरक्षा देने के विचार से नागरिकों को दूर-दूर के स्थानों से निकाल कर इन समूहों में पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा चौकियाँ स्थापित की गई हैं तथा सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ चल रही हैं।

मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाना

635. **श्री मरन्डी** : **श्री मेघचन्द्र** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक पाँच सदस्यीय प्रति-

निधि मण्डल ने केन्द्रीय सरकार से मनीपुर को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने तथा मनीपुर भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनकी माँगों पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) मनीपुर के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कोइरिंग सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अगस्त, 1967 में प्रधान मंत्री से मिला और उसने इस बात पर बल दिया कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल मुझसे भी मिला तथा यही माँग की। प्रतिनिधि मंडल को सलाह दी गई कि वह इस मामले को आगे बढ़ाने की चेष्टा न करें तथा कोई भी आश्वासन इस विषय में उनको नहीं दिया गया था। प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन भी प्रधान मंत्री को दिया, पर इसमें मनीपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।

मालभाड़ा की दरें

536. **श्री मरंडी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यू० एस० एण्ड यू० के० सम्मेलन लाइंस द्वारा माल भाड़ा की दरों में वृद्धि को जाने के फलस्वरूप पत्तनों में विशेषकर कलकत्ता पत्तन में माल जमा हो गया है और इससे हमारे निर्यात व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे हमारे निर्यात व्यापार पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भारत का कोई प्रतिनिधि-मण्डल अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा समुद्री माल भाड़े की दरों तथा उनमें वृद्धि के संबंध में बातचीत करने के लिये अमरीका गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुछ पत्तनों पर, विशेष रूप से कलकत्ता पत्तन पर काफी माल जमा हो गया है, परन्तु यू०एस० एण्ड यू० के० सम्मेलन लाइंस द्वारा माल भाड़े में वृद्धि किए जाने के कारण नहीं है।

(ख) और (ग) माल भाड़ा दरों में वृद्धि जून और जुलाई, 1967 से लागू की गई थी। व्यापार सम्बन्धी सरकारी आँकड़े जुलाई, 1967 के अन्त तक के ही उपलब्ध हैं। इसलिये हमारे पर इस वृद्धि का प्रभाव अभी नहीं आँका जा सकता।

(घ) जी हाँ, प्रतिनिधिमण्डल को अधिभार की दरों को 17½ प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की समान दर तक नीचे लाने में सफलता मिली है। भारत-पाकिस्तान-श्रीलंका-बर्मा बाह्य सम्मेलन के मामले में जो कि अमरीका से हमारे माल को लाता है, इसने मालभाड़े में 10 प्रतिशत वृद्धि को 7½ प्रतिशत करवाया है।

उड़ीसा में तेलगू विरोधी आन्दोलन

537. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में तेलगू विरोधी आन्दोलन आरम्भ हो गया है और फैल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आन्दोलन को आरम्भ में ही समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कुछ दिन हुए उड़ीसा में ब्रह्मपुर और कुछ नगरों के तेलगु-भाषी और उड़िया-भाषी लोगों में कुछ तनाव था। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अब तनाव शान्त हो गया है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाये रखा कि विभिन्न भाषा-भाषी वर्ग शान्ति के साथ रहते हैं।

चण्डीगढ़ का भविष्य

538. **श्री हेम बरुआ:** **श्री हेम राज:**
श्री प्र० के० देव: **श्री मनिभाई जे० पटेल:**
श्री प्रेम चन्द वर्मा:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चंडीगढ़ पर मध्यस्थ-निर्णय करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, जो इस विवाद से संबंधित हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) पंजाब और हरियाना के मुख्य मंत्रियों की संयुक्त प्रार्थना पर प्रधान मंत्री ने चंडीगढ़ के प्रश्न पर मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने नहीं रखा था।

(ख) पंजाब राज्य की वर्तमान सरकार तो चाहती है कि इस मामले का हल भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों द्वारा निर्धारित ढंग से ही किया जाय, किन्तु हरियाना की सरकार इस पर सहमत नहीं है ।

राजभाषा

539. **श्री हेम बरुआ**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राजभाषा के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक में मोटेतौर पर दो स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों द्वारा अहिन्दी भाषी लोगो को दिए गए आश्वासन शामिल हैं।

मिज़ो पहाड़ियां

540. **श्री हेम बरुआ:** **डा० सूर्य प्रकाश पुरी:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम के मिज़ो पहाड़ी जिले में किस सीमा तक नागरिक प्रशासन पुन: स्थापित कर लिया गया है;

(ख) मिजो पहाड़ी जिले में "ओपरेशन इंटीरियर" कहाँ तक सफल हुआ है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का, नागाओं की भांति मिज़ो नेशनल फ्रण्ट के साथ राजनैतिक बातचीत करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आसाम के मिज़ो पहाड़ी जिलों में नागरिक प्रशासन बहुत काफी हद तक पुन: स्थापित कर लिया गया है। जिला मुख्यालय तथा सबडिविजनल हैडक्वाटरों ने काम करना शुरू कर दिया है। तीन पुराने प्रशासनिक केन्द्रों में से दो ने पुन: काम करना शुरू कर दिया है और 27 नए केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। 9 सामुदायिक विकास खंडों में से आठ ने काम करना शुरू कर दिया है। 6 थानों में से पाँच ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सी नई पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की गई हैं। माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। विकास कार्यक्रमों की गति बढ़ाई जा रही है।

(ख) मिज़ो पहाड़ी जिले में ऐसी कोई योजना अथवा आयोजना नहीं हैं। अत: इसकी सफलता का मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

फारमोसा के रास्ते एयर इंडिया के विमानों की उड़ानें

541. **श्री चक्रपाणि:** **श्री नम्बियार:**
श्री राममूर्ति: **श्री ज्योतिर्मय बसु:**
श्री नायनार:

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1967 के 'एकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एयर इण्डिया द्वारा टाइपेह में रुक कर फारमोसा के रास्ते उड़ान करने के निर्णय का उल्लेख है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय करने के कारण क्या हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। सरकार को 4 अक्तूबर, 1967 के "एकनामिक टाइम्स" में छपे समाचार का आधार ज्ञात नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

542. **श्री चक्रपाणि:** **श्री राममूर्ति:**
श्री मुहम्मद इस्माइल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 सितम्बर, 1967 को दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के संगठन की संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी माँगें मनवाने के लिए केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं;

(ग) क्या मंत्री महोदय ने उनको कोई आश्वासन दिया है, यदि हाँ, तो क्या; और

(घ) अध्यापकों की माँगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ

(ख) परिषद् की मुख्य माँग दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन है।

(ग) शिक्षा मंत्री ने 23-9-67 के प्रतिनियुक्तकों को आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय सम्भवतः दो महीने के समय में किया जाएगा।

(घ) सरकार इस प्रस्ताव पर तत्परता से विचार कर रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की कारें

543. **श्री नम्बियार:** **श्री रमानी:**
श्री ज्योतिर्मय बसु: **श्री वेणी शंकर शर्मा:**
श्री चक्रपाणि:

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सफदरगंज हवाई अड्डे के पास के एक खुले मैदान में भारतीय पर्यटन विकास निगम की कई बढ़िया कारें बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन कारों के वहाँ पड़े रहने से इण्डियन टूरिज्म कारपोरेशन को कोई हानि हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या जिम्मेदारी किसी पर निर्धारित कर दी गई है; और

(च) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्यन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (च) जी नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम की कारें बेकार नहीं पड़ी हैं, लेकिन वे एक उचित छतदार गैराज के बनाये जाने तक सफदरगंज हवाई अड्डे में खुले मैदान में खड़ी की हुई हैं। इस प्रकार खड़ी की गयी कारों में से कुछके किन्हीं कारणों से अस्थायी तौर पर बेकार पड़ी हो सकती हैं, लेकिन इस प्रकार की कारों की संख्या, चाहे वे अस्थायी तौर पर बेकार हों, न्यूनतम रखने के प्रयत्न किए जाते हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारियों की हड़ताल

544. **श्री नम्बियार :** **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारियों ने 5 सितम्बर, 1967 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) इस हड़ताल में कितने कर्मचारी शामिल हैं; और

(घ) विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हाँ।

(ख) शिपयार्ड कर्मचारी संस्था की मुख्य माँगें कुल उपलब्धियों के पुनरीक्षण से हैं जिनमें मंहगाई भत्ता, यार्ड और कार्यालय से बाहर काम करने के भत्तों, अवकाश यात्रा रियायत जैसे अन्य भत्तों और रियायतों का दिया जाना, डाक्टरी व्यय का दिया जाना और सेवा की हालतों में सुधार किया जाना शामिल है।

(ग) 1180.

(घ) परिवहन तथा नौवहन मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के पश्चात् शिपयार्ड कर्मचारी संस्था ने हड़ताल तोड़ दी थी और कर्मचारी 30–10–67 से काम पर आ गए थे श्रम तथा रोजगार मंत्री से अनुरोध किया गया है कि जहाज़ निर्माण उद्योग में मजूरी तथा मंहगाई भत्ते के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न की जाँच करने के लिए वह इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की एक उप-समिति नियुक्त करवायें जो कि 6 महीनें में अपना प्रतिवेदन दे।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबन्धकों से अनुरोध किया गया है कि इसके होने तक वे वर्तमान तदर्थ मंहगाई भत्ते के स्थान पर 'स्लैब' पद्धति को रखें जो कि 1–2–1967 से भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।

अन्य प्रश्न प्रबन्धकों द्वारा यथाशीघ्र निपटाये जायेंगे।

कालिंगा एयरवेज

545. श्री नम्बियार: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कालिंगा एयरवेज़ के कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने कालिंगा एयरवेज़ के बेकार कर्मचारियों को नौकरी देने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एक नई कम्पनी स्थापित कर उसमें कालिंगा एयरवेज़ के सब बेकार कर्मचारियों को नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा०कर्ण सिंह): (क) और (ख) 'कलिंग एयरलाइन्स एम्प्लाईज़ यूनियन' की ओर से 12 अगस्त, 1967 को एक ज्ञापन (मैमोरैण्डम) प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि नेफा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में रसद गिराने के कार्य के लिये सरकारी क्षेत्र में एक 'एयर ड्रापिंग आर्गेनाइज़ेशन' की स्थापना की जाय तथा सरकार के इस विषय में प्रयत्नों के साथ कलिंगा एयरलाइन्स के कर्मचारियों को पूरी तरह जोड़ा जाय।

(ग) जब कभी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन या अन्य किसी संगठन में जगह खाली होंगी तो कलिंग एयरलाइन्स के सेवा-मुक्त किए गए कर्मचारियों के लिये नियुक्ति के अवसर प्राप्त होंगे।

(घ) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई उद्यम (अंडरटेकिंग) स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) क्योंकि विमान से रसद गिराने का कार्य वायुसेना ने अपने हाथ में ले लिया है इसलिये कलिंग एयरलाइन्स के अनियत परिचालनों के सीमित कार्य के लिये किसी नए उद्यम (अंडरटेकिंग) की स्थापना को अलाभप्रद समझा गया है।

राज्यपाल के सैनिक सचिव

546. **श्री राम किशन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यपाल और उप-राज्यपाल के सैनिक सचिव के पद को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा; और

(घ) इस पद को समाप्त करने से कितनी वार्षिक बचत होने की संभावना है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ) इस सुझाव की जाँच की जा रही है कि सैनिक सचिवों के स्थान पर आवास नियन्त्रकों को नियुक्त किया जाय जिन्हें आहार व्यवस्था तथा आवास प्रबन्ध का पर्याप्त अनुभव हो। इस सुझाव से कोई बचत होने की आशा नहीं है किन्तु यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये तो सशस्त्र सेनाओं में से सैनिक सचिवों के पदों के लिये उपयुक्त अधिकारियों को तलाश करने की कठिनाई समाप्त नहीं रहेगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रतिनियुक्ति कोटा

547. **श्री तुलसीदास दासप्पा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के कोटे में इस समय कितने रिक्त स्थान हैं; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं तथा कोटा पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) इस समय उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कोटे में कोई स्थान रिक्त नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एपीजे शिपिंग लाइन्स को नौवाहन विकास निधि से ऋण

548. **श्री मधु लिमये**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बातानें की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवहन विकास निधि से ऋण मंजूर करवाने के लिये आवेदन-पत्र भेजने से संबंधित प्रक्रिया क्या है;

(ख) इस प्रकार के आवेदन-पत्र पर विचार करने तथा उसका निपटारा करने में कितना समय लगता है;

(ग) सुरेन्द्र ओवरसीज़ (एपीजे शिपिंग लाइन्स) ने नौवहन विकास निधि से इस प्रकार का ऋण लेने के लिये भारत सरकार को कब आवेदन-पत्र भेजा/भेजे थे;

(घ) उस आवेदन-पत्र के निपटारे में कितना समय लगा ;

(ङ) क्या किसी विभाग, मंत्री या अधिकारी ने इस फर्म के आवेदन-पत्र के संबंध में सिफारिश की थी ;

(च) क्या परिवहन मंत्रालय ने इस ऋण की स्वीकृति देने से पूर्व इस फर्म की साख और ख्याति तथा इस बात पर विचार किया था कि यह फर्म किस ग्रुप से संबंधित है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के०आर० वी० राव) :

(क) इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, 1961 में किया गया है, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को भेजी गई थी।

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर विचार करने और उनके निपटाने में जो समय लगा है वह प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न है। क्योंकि इसके कई आधार हैं जैसे आवेदन पत्र में सभी सम्बन्ध बातों का उल्लेख हो, आवेदक से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या नहीं है, नौवहन महा-निदेशक तथा सरकारी निदेशक आवेदन-पत्र पर विचार करने, उस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने तथा सिफारिश करने में कितना समय लगता है, समिति के पास धन उपलब्ध है या नहीं है आदि। 50 मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि औसत समय 166 दिन लगता है। इस औसत से एक एक मामले पर विचार करने तथा उसके निपटाव पर लगने वाले समय का पता नहीं चलता।

(ग) और (घ) सम्बद्ध ब्योरा निम्नलिखित है:—

क्रम संख्या	आवेदन की तारीख	नौवहन विकास निधि समिति द्वारा निर्णय की तारीख	कितना समय लिया गया
1.	1-8-60	15-12-61	502
2.	25-3-63	14-7-64	478
3.	16-8-63	21-11-63	98
4.	14-11-63	29-8-64	290
5.	27-6-64	8-2-65	227
6.	19-12-64	16-8-65	241

क्रम संख्या 5 और 6 में उल्लिखित ऋण का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि सम्बन्धित जहाज नहीं खरीदे जा सके।

(ङ) जैसा कि नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, 1961 के अनुसार अपेक्षित है, नौवहन महानिर्देशक और भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के निर्देशकों के बोर्ड के सरकारी महानिर्देशक ने जिनपर परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का प्रशासनिक नियन्त्रण है, जैसे कम्पनी का आर्थिक सामर्थ्य, लाभ, प्रतिभूति आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से कम्पनी के आवेदन पत्रों पर विचार किया और उसके बाद नौवहन विकास निधि समिति को उनकी सिफारिश इस शर्त पर की थी कि उन पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध, शर्तें आदि लगाई जा सकती हैं। समिति ने इन सिफारिशों के आधार पर विचार किया था और फिर परिवहन मंत्रालय द्वारा मंत्री स्तर पर उसकी अनुमति ले ली गई थी।

(च) और (छ) : नौवहन महानिर्देशक और सरकारी निर्देशक द्वारा प्रस्तुत किये प्रतिवेदन नौवहन तथा सिफारिशों में कम्पनी की ख्याति और साख के बारे में किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया गया।

विदेशी बागान मालिकों तथा धर्म प्रचारकों को देश चले जाने के आदेश

549. **श्री मधु लिमये :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसी वर्ष के अन्दर पूर्वोत्तर भार के किन्हीं बागान मालिकों/विदेशी धर्म प्रचारकों को देश से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रत्येक मामले में क्या कारण है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग)

नाम	राष्ट्रीयता	कारण
1. श्रीमान और श्रीमती दाना मेसन लार्सन	अमरीकी	प्रतिकूल गतिविधियाँ
2. श्रीमान और श्रीमती जे० वारन जानसन	अमरीकी	प्रतिकूल गतिविधियाँ
3. श्रीमान और श्रीमती केनेथ विलियम हेगसटराम	अमरीकी	प्रतिकूल गतिविधियाँ

पूर्वोत्तर भारत में विदेशियों द्वारा हस्तक्षेप

550. **श्री मधु लिमये :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री ओ० प्र० त्यागी : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर भारत में पाँच प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप है, अर्थात् गोरे धर्म प्रचारकों, यूरोपीय चाय बागान मालिकों, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों तथा एजेंटों, चीनी गुप्तचरों तथा उत्तेजना फैलाने वाले एजेंटों और दार्जिलिंग तथा अन्य क्षेत्रों में अमरीकियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस हस्तक्षेप को रोकने तथा देश के इस भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) भूतकाल में कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों तथा यूरोपी चाय बागान मालिकों को भारत-विरोधी गतिविधियाँ ध्यान में आई थीं और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई थी। सदन को समय-समय पर नागा तथा मिज़ो विद्रोहियों को पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में सूचना दी गई है। सरकार इन क्षेत्रों की स्थिति का लगातार पुनरावलोकन करती रहती है। आपत्तिजनक तथा अवाँछनीय गतिविधियों को रोकने के लिये उपयुक्त व्यवस्था है।

पश्चिम तट सड़क

551. **श्री श्रीधरन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट सड़क के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिये केरल सरकार ने भारत सरकार का अनुमोदन माँगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अनुमोदन दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) मार्च 1963 में केरल सरकार ने, राज्य में से गुज़रने वाले पश्चिम तट सड़क के भाग के लिये 6.23 करोड़ रु० का अनुमान भेजा था इसकी जाँच के पश्चात् 3.74 करोड़ रु० की राशि के प्राक्कलन को स्वीकार कर लिया गया था और उसमें से 2,49,200.00 रु० के ग्यारह कार्यों के उपबन्ध को हटा दिया गया था (नीचे दिये गये विवरण में दिये गये हैं)। निधियों की कमी के कारण और भारत सरकार के इस वचन को ध्यान में रखते हुए कि सड़क का अकेली लेन वाले असफाल्ट राजपथ के रूप में विकास किया जायेगा, इन कार्यों को आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझा गया था :

विवरण

1. माहे दर्रा	22.00 लाख रु०
2. कालीकट दर्रा	69.00 लाख रु०
3. त्रिचाम्बरम बाज़ार का पुनर्निर्माण	2.00 लाख रु०
4. फिरोक पुल का पुनर्निर्माण	30.00 लाख रु०
5. पनम पुज़ा पुल का पुनर्निर्माण	8.00 लाख रु०
6. धर्मादय पुल का पुनर्निर्माण	5.70 लाख रु०
7. मोहद् पुल का पुनर्निर्माण	10.50 लाख रु०
8. पश्चिम तट सड़क की पुलियों का पुनर्निर्माण	10.00 लाख रु०
9. प्रस्तावित फाटक में सुधार के स्थान पर ऊपरि पुल	26.00 लाख रु०
10. मोड़ों को सरल बनाना, किलोमीटर के पत्थरों आदि का रखा जाना	18.00 लाख रु०
11. बलियापत्तम पुल	48.00 लाख रु०
कुल	249.20 लाख रु०

केन्द्रीय सड़क निधि

552. **श्री श्रीधरन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों के शीर्ष के अन्तर्गत राज्यों को कुल कितनी राशि मंजूर की थी ;

(ख) वास्तव में अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें देय राशि का शेष भाग दिया जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1596.61 लाख रुपये।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1796.67 लाख रुपये। इसमें दूसरी योजना की कालावधि से शेष निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च की धनराशि भी सम्मिलित है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से इस प्रकार धन देने की विशिष्ट रूप से कोई प्रार्थना नहीं की गई। जितनी धनराशि उनको वास्तव में दी गई है, उससे उनकी माँगे कहीं अधिक थीं। वित्तीय कठिनाई के कारण उनकी पूरी माँगों का पूरा करना सम्भव नहीं है।

कोठारी आयोग की सिफारिशें

553. **श्री श्रीधरन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि इस दिशा में जब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गयी कार्यवाहियों वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1552/67)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय संग्रहालयों के लिये धन

554. **श्री श्रीधरन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय संग्रहालयों के लिये, धन का नियतन करने के मामले में प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन प्राथमिकताओं की मुख्य रूपरेखा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख जाता है—[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1553/67]

कालीकट में हवाई अड्डा

555. **श्री श्रीधरन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'न' में है तो सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध साधनों के आधार पर विभिन्न प्रायोजनाओं की आपस में अग्रता निर्धारित करने की दृष्टि से उनका पुनरवलोकन करने के बाद जल्दी ही अन्तिम निर्णय किये जाने की उम्मीद है।

एवरो 748

556. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, कानपुर ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एवरो 748 के और विमान दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1 नवम्बर, 1967 तक कितने विमान दिये गये थे; और

(ग) 1967 के अन्त तक कितने विमान दिये जायेंगे?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अभी तक केवल एक एवरो 748 (एच एस- 748) विमान दिया गया है। एक और एवरो विमान 1967 के अन्त तक दिया जायेगा।

दिल्ली में मानकपुरा में साम्प्रदायिकता का फैलना

557. **श्री सत्य नारायण सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में मानकपुरा के निवासियों से उस क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के प्रसार के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (घ) मानकपुरा क्षेत्र में गोश्त की एक दुकान के बारे में झगड़ा था जो ओरिजनल रोड थाने के क्षेत्र में पड़ती थी। दिल्ली प्रशासन को जुलाई 1967 में इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। एक न्यायालय में उक्त झगड़े के कारण उसी महीने में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/353 के अधीन एक मुकदमा लम्बित है। इस समय उस क्षेत्र में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है।

दिल्ली में स्कूलों को साफ पानी की सप्लाई

558. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 700 स्कूल ऐसे हैं जिसमें साफ पानी की सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन स्कूलों में साफ पानी की सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद):

(क) और (ख): अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चीन की सहायता से पश्चिमी बंगाल में क्रांति

559. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री गाडलिंगन गौड़ :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक राजनीतिक दल का एक वर्ग चीन की सक्रिय सहायता से पश्चिम बंगाल में सशस्त्र क्रांति करना चाहता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य को समाचार पत्रों में देखा है।

(ख) सरकार मुख्य मंत्री के वक्तव्य में उल्लिखित घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

560. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय दंगों के कारण सरकार को इस वर्ष काश्मीर में अक्तूबर के प्रारम्भ में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष का समारोह त्यागना पड़ा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारणवश सरकार को अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी ;

(ग) इसके संबंध में काश्मीर घाटी में किये गये विभिन्न प्रबन्धों पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप कितने विदेशियों को असुविधाएँ हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) समारोह त्यागे गये, यद्यपि कुछ मदें जो कि कार्यक्रम की सूची में थीं नहीं की जा सकीं।

(ख) चूंकि सरकार द्वारा इन समारोहों पर कुछ भी विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की गयी इसलिए इस कारणवश कोई हानि नहीं हुई।

(ग) पर्यटन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा गोष्ठी (इन्टरनेशनल ट्रैवल सेमिनार) के आयोजन पर 13,000 रुपये व्यय किये जो कि 16 और 17 अक्तूबर, 1967 को श्रीनगर में हुई और जिसमें संसार के विभिन्न भागों से बहुत से प्रमुख यात्रा लेखकों ने भाग लिया।

(घ) विभाग को किसी भी टूर-आपरेटर से उनके विदेशी ग्राहकों (क्लाइन्ट्स) को हुई असुविधा के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में राष्ट्रपति शासन की माँग

561. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मोहन स्वरूप :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में जम्मू तथा काश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने के कारण कुछ राजनीतिक दलों ने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग की है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य में कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिये संवैधानिक उपबन्धों का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) ऐसी एक माँग की गई है।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसा विचार करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि स्थिति ऐसी है जिसमें इस प्रकार का कदम उठाने की जरूरत हो।

बम्बई में होटल

562. **श्री जनार्दनन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्टन्स के सहयोग से बम्बई में एक होटल बनाने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम का पुनर्गठन

563. **श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री भद्धाकर सूपाकर :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य के पुनर्गठन की समस्या का सर्वसम्मत हल निकाल लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापकों के वेतन-क्रमों के बारे में केन्द्रीय प्रस्ताव

564. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव का कि प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने पर जो खर्च आयेगा उसका कुछ प्रतिशत भाग वह वहन करेगी, सभी राज्यों ने, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है, लाभ उठाया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये इस सुझाव के आधार पर किन किन राज्यों ने अध्यापकों के वेतन नहीं बढ़ाये हैं; और

(ग) क्या उन्होंने ऐसा न करने के कोई कारण बताये हैं, और यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए, राज्य सरकारों को कोई सहायता देने का प्रस्ताव नहीं किया है। फिर भी पहली तीनों योजनाओं के दौरान स्कूल अध्यापकों के वेतन सुधारने के लिए एक योजना चलती रही है और प्रायः सभी राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

जहाँ तक कालेज के अध्यापकों का सवाल है आंध्र प्रदेश, असम, हरयाणा, केरल, मद्रास गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पाँडिचेरी की सरकारों ने अप्रैल 1966 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, वेतनमानों को और उन्नत करने की योजना के अनुसार संशोधित वेतनमान अपना लिए है। बिहार, मैसूर, गोआ, दमन और दीव और हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों के जाँच की जा रही है। जम्मू और कश्मीर की सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने योजना को सिद्धांत रूप में मान लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। उड़ीसा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की जाँच करने के लिए एक वेतन आयोग की नियुक्ति की है, जिसका काम समाप्त होने तक के लिए राज्य सरकार ने संशोधित वेतन मानों को अमल में लाने का काम स्थगित कर दिया है। नागालैंड और नेफा (जहाँ केवल एक ही कालेज है) की सरकारों के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमानों से मेल खाते हैं।

कलिंग एयरवेज़

565. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग एयरवेज़ का कोई प्रतिनिधि उन्हें हाल ही में मिला था और उसने कुछ अनुसूचित विमान सेवायें आरम्भ करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) क्या यह सच है कि नेफा प्रदेश के कुछ विमान मार्गों को कलिंग एयरवेज़ को देने का विचार है जिसकी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद काफी आलोचना की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) कलिंग एयरलाइंस ने कलकत्ता/कूच बिहार/हासीमारा मार्ग पर एक अनुसूचित विमान परिवहन सेवा चलाने के लिए एयरक्राफ्ट नियमों, 1937 के नियम 134 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार एक परमिट दिये जाने के लिए आवेदन किया है। मामले पर नागर विमानन के महानिर्देशक अभी विचार कर रहे हैं।

मौसम का अनुमान

566. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अक्तूबर, 1967 को उड़ीसा के कुछ तटीय प्रदेशों में आये भारी तूफान के बारे में, जिसमें हजारों पशु तथा सैकड़ों लोग मर गये थे, मौसम विभाग ने कोई पूर्व सूचना या चेतावनी नहीं दी थी ;

(ख) क्या सरकार ने विभाग की इस असफलता का पता लगाया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) चेतावनियाँ जारी की गयीं, परन्तु क्योंकि साइक्लोन की तीव्रता का सही पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका, वे चेतावनियाँ अपर्याप्त सिद्ध हुईं।

(ख) और (ग) यद्यपि साइक्लोनी तूफान की तीव्रता अत्यधिक थी, इसका विस्तार क्षेत्र बड़ा सीमित था। इसका क्षैतिज विस्तार केवल 30 किलोमीटर था। इस प्रकार के सूक्ष्म साइक्लोनों का पता लगा सकने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास उपलब्ध मौजूदा उपकरणों से अधिक नाजुक उपकरणों की आवश्यकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों का पता लगाने में विक्षुब्ध मौसम के आशंकित क्षेत्रों में विमानों द्वारा परिसर्वेक्षण तथा तटवर्तीय मौसम रेडार स्टेशनों से सहायता प्राप्त हो सकती है, और विकसित देशों में इसका वस्तुतः प्रयोग भी किया जा रहा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर कुछ रेडार स्टेशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31

567. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर (दरभंगा) और फोरबेसगंज के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के निर्माण में संतोषजनक प्रगति हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दरभंगा-फोरबेसगंज (भारत-नेपाल क्षेत्र में) के बीच इस राजपथ की स्थापना का प्रस्ताव बहुत पहले रखा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसको पूरा करने के हेतु शीघ्र कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा फोरबेसगंज राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 से सम्बद्ध नहीं हैं। इसके साथ ही दरभंगा और फोरबेसगंज किसी राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित नहीं है। हाँ, मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 28 पर स्थित है। माननीय सदस्य शायद लेटरल रोड की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर आसाम में अमीनगाँव तक बनाई जा रही है जो बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फोरबेसगंज के पास से होकर जा रही है।

वर्ष 1963 में लेटरल रोड के निर्माण के कार्यक्रम के पहले दौर में अन्य बातों के साथ-साथ केवल मुजफ्फरपुर और दरभंगा की बीच तथा अरारिया और फोरबेसगंज के बीच के सेक्शन और भरीचा/डागमरा सेक्शन तक को सम्मिलित हुआ है। दरभंगा और मरीचा / डागमरा के बीच का सेक्शन पहले दौर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

दरभंगा और भरीचा / डागमरा के बीच को मिलाने वाली सड़क और कोसी पुल को दूसरे दौर के कार्यक्रम में सम्मलित किया जायेगा । यह कार्य किये जाने हैं और यदि किये जाने हैं तो कब किये जाने हैं इस बात को निर्णय धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार किया जावेगा।

लेटरल रोड के मुजफ्फरपुर दरभंगा सेक्शन का निर्माण कार्य कुछ समय पूर्व आरम्भ किया गया था, और वित्तीय कठिनाई के कारण उस कार्य की गति धीमी करनी पड़ी है।

फोरबेसगंज से भरीचा/ डागमरा तक लेटरल रोड बनाने का कार्य कोसी नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल के लिये स्थान चुने जाने के साथ जुड़ा है। इस पुल के लिये स्थान का निर्णय अभी नहीं हुआ है, अभी उसकी जाँच हो रही है। इसलिये इस सेक्शन में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

Translation Work

568. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** **Shri S. S. Kothari :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether adequate financial provision has been made for the translation of books in the Indian languages, other than Hindi, into Hindi ;

(b) whether any special arrangements have been made for the translation of books of high standard available in other Indian languages viz., Tamil, Telugu, Malyalam, Sindhi etc. ; and

(c) whether there is any set policy or programme for translation into Hindi of science books available in Russian, German and English languages ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Under the scheme of translation and publication of standard works of university level into Hindi and regional languages, operated by the Commission for Scientific and Technical Terminology, adequate financial provision exists for the purpose in the current year.

(b) if it is considered useful to translate any book of this standard, the arrangements for its translation are made by the Commission and the Central Hindi Directorate.

(c) if in the opinion of the Commission, the Science books available in these languages are considered useful, the Commission chalks out a programme for their translation.

Arrest of Mizo Nationals

569. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time back one Major of the hostile Mizo National Front was arrested from a house at Silchar ;

(b) whether some information in regard to their secret activities has come to light as a result of his arrest ; and

(c) if so, the details thereof and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Two of the persons arrested in Silchar since August 1967 are self-styled Majors.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियो बोटेनी, लखनऊ

570. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक कर्मचारी संस्था की लखनऊ शाखा द्वारा एस० सी० जोशी समिति को दिये गये ज्ञापन में लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियोबोटेनी (वनस्पति फासिल विज्ञान संस्था) के कार्यकरण के बारे में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं;

(ख) भारत सरकार ने इस संस्था को इसकी स्थापना के समय से कुल कितनी राशि का अनुदान दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस संस्था के कार्य में अनेक वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हाँ, तो यह कितनी राशि की अनियमितता का मामला है तथा इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) धन की इस भयंकर बरबादी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :

(क) जोशी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की प्रति केन्द्रीय सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सितम्बर, 1967 के अन्त तक 68,03,455 रुपए ।

(ग) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्था के लेखों की जाँच की जाती है। कोई वित्तीय अनियमितताएं सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की सिफारिश

571. **श्री अमृत नाहाटा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों की बिक्री को बढ़ाने के लिये प्रकाशन उद्योग को कर से राहत देने तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) और (ख): सरकार, करों से राहत देने और अन्य सुविधा देने के संबंध में मंडल की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

572. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कई कर्मचारियों की वरिष्ठता की अवहेलना की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों में ऐसे कितने मामले थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के मामलों पर भी उनकी बारी आने पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाता है और यदि उन्हें पदोन्नति के योग्य पाया जाता है तो अन्य कर्मचारियों की तरह ही उनकी पदोन्नति हो जाती है। गृह मंत्रालय को इस आशय की कोई स्पष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई कि वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों में पदोन्नति के समय अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता की अवहेलना की गयी थी।

(ख) उपरोक्त (क) भाग को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अवर सचिव के ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

573. **श्री राम चरण:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर सचिव के पद के लिए नियमों के अनुसार पदाधिकारियों को "अच्छा" तथा "बहुत अच्छा" होने की श्रेणी प्राप्त करनी पड़ती है।

(ख) 1965 तथा 1966 में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों की पदोन्नति हुई तथा कितनों की अवहेलना की गई;

(ग) ऊपर लिखी श्रेणियाँ प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति उपलब्ध थे; और

(घ) इन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के पदाधिकारियों की अवहेलना के क्या कारण थे?

गृह-कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) श्रेणी I में पदोन्नति के नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि चयन के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकारियों में से उन अधिकारियों को सबसे ऊपर रखा जाता है जिन्हें 'विशिष्ट' श्रेणी दी गई हो और उनके बाद चयन समिति से 'बहुत अच्छा' तथा 'अच्छा' श्रेणी प्राप्त करने वालों को रखा जाता है। इसके बाद उपरोक्त क्रम से जितने अधिकारियों की आवश्यकता होती है उतने अधिकारी सम्मिलित सूची में से लेकर चयन सूची बनाई जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चयन सूची में योग्यता के आधार पर निर्वाचनों द्वारा अधिकारियों को शामिल किया जाता है और किसी अधिकारी के चयन सूची में शामिल न किए जाने को 'अधिलंघन' नहीं कहा जा सकता।

(ख) 1965 और 1966 की चयन सूचियों में एक-एक अनुसूचित जाति अधिकारी शामिल था।

(ग) सन् 1965 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों की संख्या दो थी। एक को चयन समिति ने 'बहुत अच्छा' और दूसरे को 'अच्छा' श्रेणी में रखा था। 1966 में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित सात अधिकारी थे जिसमें तीन को बहुत अच्छा, तीन को 'अच्छा' और एक को 'अभी योग्य नहीं' श्रेणियों में रखा गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अनुभाग अधिकारी

574. **श्री राम चरण**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1966 से 1 सितम्बर 1967की अवधि में अवर सचिव की श्रेणी में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अनुभाग अधिकारी पात्र थे;

(ख) इनमें से कितने अनुभाग अधिकारी 1966 और1967 में जारी की गई सूचियों में शामिल किए गए;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ अधिकारियों का अधिक्रमण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) और (ख) सम्भवतः अनुभाग अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी I पदों में पदोन्नति की ओर संकेत किया गया है। इस बारे में स्थिति यह है कि 1 सितम्बर 1966 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 7 अधिकारी श्रेणी 1 पदों में लम्बी अवधि के लिए नियुक्ति के अधिकारी थे। इन 7 अधिकारियों में से एक 1966 की चयन सूची में शामिल किया गया था। 1सितम्बर 1967 को अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 6 अनुभाग अधिकारी सेवा की श्रेणी 1 में दीर्घकालीन पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के अधिकारी थे। 1967 की चयन सूची अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गई है।

(ग) 1962 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों तथा उनके अधीन बनाये गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) श्रेणी 1 में पदोन्नति का नियन्त्रण करने वाले विनियमों में इस बात की व्यवस्था है कि चयन क्षेत्र में उपलब्ध अधिकारियों में से उन लोगों को सबसे ऊपर रखा जाय जिन्हें 'विशिष्ट श्रेणी' दी गई हो और उनके बाद उन्हें जिन्हें क्रमशः 'अतिउत्तम' तथा 'उत्तम' श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया हो। फिर उपरोक्त क्रम से अधिकारियों को लेते हुए आवश्यकतानुसार समेकित सूची में से चयन सूची तैयार कर ली जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चयन सूची में योग्यता के आधार पर चुनाव द्वारा शामिल किया जाता है और किसी अधिकारी का चयन सूची में शामिल न किया जाना 'अधिलंघन' नहीं कहा जा सकता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

575. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1967 को भारत सरकार में अवर सचिव वर्ग के कितने पद थे;

(ख) उस तिथि तक कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के पदाधिकारी इन पदों पर कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या सरकार उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (ख) माँगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में तदर्थ नियुक्तियां

576. **श्री सिद्धया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में विभाग के अध्यक्षों, प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चरारों की कोई तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों की तथा किस तारीख को नियुक्ति की गई थी?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है। जब तक नियमित रूप से भर्ती नहीं की जाती तब तक कार्य की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए नियमों के अनुसार अस्थायी नियुक्तियाँ की गई हैं।

(ख) अस्थायी नियुक्तियों का ब्यौरा इस विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1554/67**]।

Nizam of Hyderabad

577. **Shri Shiv Kumar Shastri:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1390 on the 26th July, 1967 and state :

(a) whether any advice was sought from the Ministry of Law in the matter of suffixing titles by the Nizam of Hyderabad ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b) : The reply to Starred Question No. 1390 dated 26th July, 1967 was given only after consulting our legal Advisers, that is the Ministry of Law.

Arrest of Mizos

579. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 13 Mizo hostiles including some Mizo leaders were arrested on the 19th August, 1967 by the Indian Security Forces in the Mizo Hills District of Assam ;

(b) whether one Member of the so-called Mizo Parliament, one Commissioner, one Deputy Commissioner and one Captain were also among them ;

(c) whether it is also a fact that some arms and documents were recovered from them ;

(d) if so, the full details of cases and the action taken by Government in this regard so far ; and

(e) whether any new information has come to light as a result of their interrogation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) On the 19th August, 1967, eight Mizo hostiles were arrested from different places in Mizo District. Among them there were one self-styled Deputy Commissioner and another self-styled Captain.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

Pakistani National in Delhi

580. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Pakistani was arrested in Basti Harphool Singh, Delhi on the 23rd August, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that he had come to Delhi in 1954 and was staying there since then ;

(c) the reasons for which he was not arrested so long ; and

(d) the result of investigation into the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The Pakistani national entered India on the 18th January, 1954, with a visa valid for Merrut only. On receipt of information from the Police in Uttar Pradesh, efforts were made to trace the Pakistani national and he was arrested in Delhi on the 23rd August, 1967.

(d) A case under the Foreigners Act 1946 was registered against the Pakistani national and it is under investigation.

Pak Hand in Pro-Urdu Agitation

581. **Shri Raghuvir Singh Shastri**:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan is providing financial assistance for carrying on pro-Urdu agitation in India ;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted by Government in this regard ;

(c) whether some political parties have also drawn the attention of Government in this respect ; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla:)

(a) and (b) : We have no information that the pro-Urdu agitation has been assisted financially by Pakistan.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Infiltration of Chinese Spies into U. P.

582. **Shri K. P. Singh Deo**:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Chinese spies have infiltrated into India from U. P. border as reported in the 'Hindustan' dated the 12th August, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that these spies are Tibetans and they have been trained by Chinese ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairas (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (c) A number of Tibetan refugees have entered by crossing the border in U. P. this year. The Government are vigilant about the possibility that some of the Tibetan refugees might be Chinese agents. All necessary steps to safeguard the security of the country are being taken.

दिल्ली में हत्या के मामले जिनमें अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका

583. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पिछले 4 महीनों में दिल्ली में 30 से अधिक हत्याएँ हुई हैं, परन्तु आधे से अधिक मामलों में अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता की यह आम शिकायत है कि जाँच अधिकारी अपराधियों का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपराधों की सफल जाँच कराने और वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने का है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई आम शिकायत नहीं आई है।

(ग) प्रशासन द्वारा अपराध संबंधी स्थिति का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाता है, और वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिये उचित कदम उठाये जाते हैं।

पहाड़ी स्थानों का विकास

584. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी स्थानों के विकास के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है;

(ख) जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहाड़ी स्थानों के विकास के लिये अलग-अलग कितनी धन-राशि नियत की गई है और राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार क्रमशः कितना-कितना धन खर्च करेंगी; और

(ग) उपरोक्त पहाड़ी स्थानों के विकास के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** (1555/67]

विद्रोही मिजो लोग

585. **श्री बेदब्रत बरुआ :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 अक्तूबर, 1967 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि स्वचालित हथियारों से लैस विद्रोही कुकी तथा मिजो लोगों ने वाकटफाई के निकट इम्फाल–तामेंगलौंग सड़क पर एक नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार की दृष्टि में समाचार पत्र में छपी वह सूचना आई है। समाचार की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी सुरक्षा दलों ने सावधानी के तौर पर आवश्यक उपाय अपनाये हैं।

शेख अब्दुल्ला की रिहाई

586. **श्री बेद ब्रत बरुआ :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री रामावतार शर्मा : **श्री मी० रु० मसानी :**

श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बारे में सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने शेख अब्दुल्ला पर लगाये गए प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विदेशों में पर्यटकों को भारत यात्रा के लिये प्रोत्साहन

587. **श्री बेदब्रत बरुआ :** **श्री हेम राज :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त-सितम्बर, 1967 के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों का दौरा किया था; और

(ख) क्या उनके दौरे के परिणामस्वरूप विदेशों में पर्यटकों को भारत यात्रा के लिये प्रोत्साहन मिला है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) इस यात्रा ने मुझे विदेशों में पर्यटन-वृद्धि की कुछ समस्याओं का साक्षात् अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया और इस प्रकार की वृद्धि के लिए हमारी अपनी योजनाओं को

एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में देख सकने में सहायता दी। अधिकाधिक विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने और विदेशों में भारत का एक नवीन रूप प्रस्तुत करने के लिए बहुत से नए विचारों को बड़ी तत्परता से सुव्यवस्थित रूप दिया जा रहा है।

Murders in Delhi

588. **Shri R. S. Vidyarthi.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of murders committed during August, 1967 in Delhi ;

(b) the number of women, men and children among the victims ;

(c) the progress made in the cases of murder of girls at Ring Road and Salempur (Shadhara) ; and

(d) the number of persons against whom prosecutions have been launched in connection with these murders ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) 10.

(b) 5 women, 5 men and no children.

(c) The cases are under investigation.

(d) 10 persons have so far been arrested.

Schools/Colleges Run by Christian Missions

589. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of schools, colleges and other educational institutions run by the Christian Missions in the country ; and

(b) the amount of assistance given by the Government of India to these institutions during the last five years ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : The required information is not available as separate statistics of institutions run by Christian Missions or other denominational organisations are not maintained. The Central assistance is given to educational institutions on the basis of their approved programmes, subject to fulfilment of specified conditions. For this purpose, the institutions are not classified on denominational basis.

Arrest of a Pakistani Spy in Delhi

590. **Shri Nanja Gowder** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person, who is said to be a Military Officer or a Pakistani spy, has been apprehended in Delhi as reported in the 'Vir Arjun' dated the 10th August, 1967 ; and

(b) if so, the further action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) One person was handed over to the police by military hospital authorities on the ground that he had secured admission as an indoor patient for treatment in a mental ward of the hospital by impersonating as an army officer in uniform. The Delhi police have registered a case under section 420 and 170 of the Indian Penal Code and the case is under investigation. Nothing of security interest has so far been revealed. It is suspected that the saidperson is probably of unsound mind.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विशेषज्ञों द्वारा एरियाना अफगान एयरलाइन्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना

592. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** **श्री बेदब्रत बरुआ :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विशेषज्ञों को एरियाना अफगान एयरलाइन्स के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय कौन वहन करेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़न तश्तरी

593. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल शिलाँग से लगभग 16 मील दूर डेमपेप ग्राम के डाक बंगले के निकट बहती नदी में तश्तरी जैसी उड़ने वाली कोई अद्भुत चीज़ उतरी थी;

(ख) क्या इस मामले की कोई वैज्ञानिक जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) आसाम सरकार से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार उड़न तश्तरी जैसा कोई अंतरिक्षीय पदार्थ शिलाँग के नजदीक नहीं उतरा लेकिन वहाँ अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी कोई ऐसी स्थानीय घटना हुई जिसमें बहुत तेजी थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-थाईलैंड के बीच विमान सेवा सम्बन्धी समझौता

594. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** **श्री श्री निवासण मिश्र :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री बेदब्रत बरुआ :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और थाईलैंड ने 1 नवम्बर, 1967 से दोनों देशों के बीच चलने वाले विमान सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)

(क) और (ख) : करार की शर्तों के अनुसार थाईलैंड सरकार ने सितम्बर, 1966 में थाईलैंड और भारत के बीच विद्यमान करार को समाप्त करने का बारह महीने का नोटिस दे दिया।

लिहाजा, सितम्बर, 1967 में बैंकाक में भारत सरकार तथा थाईलैंड सरकार के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत की गयी। इस बातचीत से कोई समझौता नहीं हो सका, परन्तु विद्यमान करार की अवधि एक महीना और बढ़ा दी गयी। अक्तूबर, 1967 में बैंकाक में दोनों सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों में फिर बातचीत हुई । क्योंकि बातचीत के दूसरे दौर से भी कोई समझौता नहीं हो सका, एयर इंडिया की थाईलैंड को और थाई एयरलाइन्स की भारत को सेवायें 1 नवम्बर, 1967 से समाप्त कर दी गयीं।

निकोबार द्वीप समूह मेंसर्ज अकूजो को एकस्व अधिकार

595. **श्री प० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्ज अकूजो को निकोबार द्वीप समूह में व्यापार के एकस्व अधिकार की अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या व्यपार अधिकार के रद्द किए जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) से (घ) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्यायुक्त द्वारा मेसर्ज अकूजो को द्वीप समूह के निकोबार समूह में व्यापार चलाने का लाइसेंस दिया गया था। उनके लाईसेंसों की अवधि 30 जून, 1967 और 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त हो गई और उन्हें पुनर्नवीकृत नहीं किया गया है। मेसर्ज अकूजी ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक लेख याचिका दी है और मामला न्यायाधीन है।

Candidates for Technical Teachers Training Programme.

596. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no applicant of Bihar has been selected for Technical Teachers Training Programme, 1967 on account of late declaration of results by the universities in Bihar ; and

(b) if so, whether Government propose to select the applicants of Bihar in order to avoid depriving the applicants of this State completely ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen).

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, It is not possible to select applicants from Bihar this year as the training programme commenced long back.

Vice-Chancellors' Conference

597. **Shri Bhogendra Jha**: Will the Minister of **Education** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Conference of Vice-Chancellors of the Universities in the country was held recently after 5 years while it was decided to hold it every year ;

(b) if so, the reasons for the time-lag and whether it has been decided to hold the said Conference every year in future ; and

(c) the major decisions taken at the recent Conference ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) Yes, Sir.

(b) Between 1960 and 1962, the Conference met every year. It did not meet in 1963 and 1964 due to the national emergency following the conflict with China. It did not also meet in 1965 as the Report of the Education Commission was awaited. It was scheduled to meet in December, 1966 to discuss this Report but was postponed owing to sudden illness of the then Education Minister.

It is now proposed to hold this Conference every two years.

(c) A copy of the Statement adopted unanimously by the Conference at its concluding session is laid on the Table of the House [**Placed in Library See, No. LT-1556/67**]

Mithila University, Darbhanga

598. **Shri Bhogendra Jha:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has considered the suggestion of the Government of Bihar for establishing Mithila University at Darbhanga; and

(b) the reasons for delay in converting the present Sanskrit University into a full-fledged Mithila University and the time by which a full-fledged University on modern lines is likely to be established ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):

(a) The proposal is still under consideration of the University Grants Commission.

(b) The question has to be examined in detail, keeping in view the various issues involved. It is for the State Government to take further action in the matter after the views of the Commission and the Government of India have been communicated to them.

भाषा संबंधी नीति

599. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों में यह आशंका फैली हुई है कि भाषा के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी वैकल्पिक भाषाएँ होने पर भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी को चुना जाय, जिसके परिणामस्वरूप भाषा के आधार पर देश का स्पष्ट विभाजन हो जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाये रखने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) यदि किसी भी भाग में ऐसी आशंका की जाती है तो वह सही नहीं है।

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल स्तर पर मंत्रालय की नीति त्रिभाषी फार्मूला लागू करने की है। इस फार्मूले में अंग्रेजी की पढ़ाई की व्यवस्था है। अंग्रेजी को भारतकी संपर्क भाषा बनाए रखने के लिए मद्रास सरकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं मिला है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी पदावली के लिये सीधी नियुक्तियां

601. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा के परिणामों के आधार पर 1961 के पश्चात् प्रतिवर्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में कितने व्यक्तियों का नियुक्ति की गई;

(ख) उन्होंने प्रत्येक वर्ष अधिकतम और न्यूनतम कितने अंक प्राप्त किये;

(ग) क्या उन्हें स्थायी पदों पर रखा गया था अथवा अस्थायी पदों पर;

(घ) इस समय इन पदों का कितना कोटा निर्धारित किया गया है और क्या सरकार इसका पुनर्विलोकन करने का विचार रखती है; और

(ङ) क्या उन्हें वरीयता के आधार पर अवर सचिव पदोन्नत किया जाता है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख)

वर्ष	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	
		अधिकतम	न्यूनतम
1961	20	59	38
1962	14	57	47
1963	5	47	35
1964	4	47	40
1965	4	47	42

(ग) इन उम्मीदवारों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया गया।

(घ) 1962 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात् 30-9-1967 तक सीधी भरती द्वारा भरती के लिए 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है और इसके बाद 33⅓ प्रतिशत किन्तु 1-10-1967 से निर्धारित किए जाने वाले कोटे के प्रतिशत का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग से अवर सचिव वर्ग में पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

602. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, जिसे पहले सीनियर कैम्बिज परीक्षा कहा जाता है, अब भी ब्रिटेन के कैम्बिज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि परीक्षापत्र बनाने, प्रश्नोत्तरों की जांच करने तथा

प्राप्तांकों आदि का संकलन इत्यादि का कार्य कुछ कमीशन एजेन्टों के माध्यम से इंगलैण्ड में किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसपर प्रतिवर्ष कई लाख रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारतीय विद्यार्थियों के लिये इस प्रकार की शिक्षा को बन्द करने तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अपव्यय को रोकने का सरकार का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के सभी परीक्षा पत्रों का (भारतीय भाषाओं के पत्रों को छोड़कर) कैम्ब्रिज में ही जाँचा और साधारण बनाया जाता है और इस कार्य के लिए परिषद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को स्टर्लिंग (पौंडों) में अदा करती है।

कैम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिन्डीकेट विश्वविद्यालय द्वारा आंग्ल भारतीय शिक्षा के लिए अन्तर्राज्य बोर्ड की सहायता से भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद स्थापित की गयी थी। यह एक भारतीय संगठन तथा एक स्वायत्त संस्था है। 1965–66 के दौरान समिति ने विदेश को 2,76,579.27 रुपए भेजे थे।

(घ) ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचार नियम

603. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, 1964 में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसी संस्था का, जिसके उद्देश्य अथवा कार्यवाहियाँ भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के विपरीत हों, सदस्य बनने की मनाही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त उद्देश्यों वाले अथवा उक्त कार्यवाहियाँ करने वाली कुछ संस्थाओं को इस देश में कार्य करने दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिये ऐसी संस्थाओं की कोई सूची परिचालित की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) व्यक्तियों और संस्थाओं की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने की और अधिक व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक संसद की एक संयुक्त चयन समिति के पास विचाराधीन है।

(ग) ऐसी संस्थाओं की कोई सूची परिचालित नहीं की गई है। हाँ, केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, 1964 के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दल अथवा ऐसी संस्था का, जो राजनीति में भाग लेती है, न तो सदस्य बन सकता है और न उससे किसी अन्य प्रकार का सम्बन्ध रख सकता है।

सरकारी कार्यालयों में केन्टीन

604. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कितनी विभागीय केन्टीन हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1966–67 के दौरान इन केन्टीनों को कितनी राज्य सहायता दी गई है; और

(ग) क्या सरकार इन केन्टीनों में बनाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना वाँछनीय समझती है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हाँ, सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित आदेश दे दिये गए हैं।

Difficulties of Operators of Ferries

605. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received from the operators of ferries regarding the difficulties experienced by them due to the application of the Merchant Shipping Act in the same manner as it is applicable to big ships ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Requirement of Electronic Engineers.

606. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the report of the Electronics Committee headed by Dr. H. J. Bhabha, 3,00,000 Electronic Engineers will be required by 1975 ; and

(b) if so, the steps taken so far to achieve this target and the future programme in that direction ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) According to the report of the Bhabha Committee, 3,00,000 engineers, scientists, technicians and skilled workers are needed for the development of electronics industry by 1975.

(b) Adequate facilities for training the necessary personnel have been created at various institutions and the position will be reviewed periodically according to the development of the industry.

मैरीन इंजीनियरी कालेज, बम्बई

607. **श्री चलपाकान्त भट्टाचार्य** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नौ इंजीनियरी कालेज, सेवरी (बम्बई) में नए विद्यार्थियों के साथ "उपहास" के नाम पर किए गए क्रूर व्यवहार के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) वरिष्ठ विद्यार्थियों के इस प्रकार निन्दाजनक व्यवहार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) नहीं जी। इस शाखा में "उपहास" की कोई घटना नहीं हुई है। कलकत्ता स्थित एक कालेज में इस प्रकार की घटनाएं हुई थीं।

(ख) निदेशक द्वारा इस मामले की जाँच की गई थी और कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों को एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक निलम्बित किए जाने और छात्रवृत्ति बन्द कर देने आदि की सजाएँ दी गई थी। एक केडेट के पिता ने जिसने कालेज छोड़ दिया था, अलीपुर पुलिस मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

Anti-National Slogans in Ranchi

608. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in a procession taken out during the riots at Ranchi slogans like "Long Live Chairman Mao" and "Long Live Pakistan" were raised ; and

(b) if so, the action taken by Government against such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) The facts are being ascertained and will be laid on the Table of the House.

शेख अदुल्ला

609. **श्री बलराज मधोक**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला को दिल्ली लाया गया है और एक विशेष बंगले में ठहराया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे अस्पतालों तथा अन्य स्थानों पर जाने तथा आगन्तुकों से मिलने की भी अनुमति दी गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो कानून के अन्तर्गत शेख अब्दुल्ला की वास्तविक स्थिति क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) शेख अब्दुल्ला को चिकित्सा विज्ञान संस्था में स्वास्थ्य-परीक्षा तथा इलाज के लिए कोडाइकनाल से नई दिल्ली लाया गया था। संस्था से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक सरकारी बंगले में नजरबन्द किया गया है ।

(ख) और (ग) – शेख अब्दुल्ला पर भारत प्रतिरक्षा नियमावली, 1962 के अधीन लगाए गये प्रतिबन्ध जारी है। उन्हें उक्त बंगले की सीमा के अन्दर ही रहना पड़ता है, और वह दिल्ली के उपायुक्त की अनुमति से ही बाहर जा सकते अथवा किसी से सम्पर्क स्थापित कर सकते या मिल सकते हैं।

भारत में निरक्षरता

610. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में साक्षरता की प्रतिशतता म वृद्धि के बावजूद अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय देश में कितने अनप हैं, और

(घ) निरक्षरता दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) जी हाँ।

(ख) जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से साक्षरता का विकास नहीं हुआ है।

(ग) एक अनुमान के अनुसार 1966 में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या 353.44 मिलियन थी।

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित इरादा है कि निरक्षरता को यथार्थरूप से दूर करन के लिए प्रभावशाली कार्रवाई करनी है। सरकार द्वारा जो सब से अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वे ये हैं--

(एक) अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, और

(दो) प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र/स्कूल अधिक संख्या में चला कर तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार। फिर भी कार्यक्रम की गति बहुत करके जनता के उत्साहपूर्ण भाग लेने पर तथा स्वैच्छिक प्रयत्नों पर निर्भर है। जहाँ ये उपलब्ध हैं वहाँ अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। सरकार इन प्रयत्नों को बढ़ावा दे रही है और उसका समर्थन कर रही है।

सड़क परिवहन जाँच समिति

611. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क परिवहन जाँच समिति ने सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिवेदन म क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) समिति ने "अन्तर-राज्यीय परिवहन" और "चुंगी तथा अन्य चौकियाँ" पर दो अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस विवरण में उल्लिखित हैं जो सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०डी०** 1557/67]

(ग) समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार का उन्मूलन

612. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करन के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक सक्रिय होना चाहिये, और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):

(क) समिति ने अन्य बातों के साथ इस पर भी ध्यान दिया है कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में हो रहे अनाचार को हटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक प्रभावशाली काम करना चाहिये। समिति ने विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ उपाय अपनाने के लिए भी सिफारिश की है।

(ख) समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालयों को उनका ध्यान दिलाने के लिए भेजी जा रही है ताकि वे समिति की सिफारिशों के निष्कर्ष और उन पर अपने विचार प्रकट करें ।

हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक विश्वविद्यालय

613. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक् विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी प्रश्न किस स्थिति में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नया पर्वतारोहण क्लब

614. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पथ यात्रा, पदयात्रा, शिविर लगाना तथा खुले वातावरण में विद्यार्थियों के अन्य कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिये, दिल्ली विश्वविद्यालयों में नया पर्वतारोहण क्लब स्थापित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा

615. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को निःशुल्क बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में कालेजों के प्राध्यापकों के नये वेतन मान

616. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री 7 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कालेज प्राध्यापकों के नये वेतनमानों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है,

(ख) यदि हाँ, तो हरियाणा सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हाँ।

(ख) हरियाणा सरकार ने 1 नवम्बर, 1966 से राज्य में विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन

617. **डा० प० मण्डल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी का अर्जन करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों से सम्बन्धित विवादास्पद बातों के बारे में समझौता हो गया है और यदि हाँ, तो किस प्रकार समझौता हुआ है, और

(ग) यदि पाकिस्तान के साथ अब भी कोई मतभेद है, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) 2 अगस्त, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 1532 के उत्तर में बताई गई स्थिति से आग और कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) जी, अभी नहीं।

(ग) ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन के विदेश कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क कायम किए हुए है जो पाकिस्तान सरकार को उसके निर्णय के लिए स्मरण कराता रहता है।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में चरस पीने की आदत

618. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में चरस पीने की आदत बढ़ रही है तथा छात्रावासों में लगभग 50 प्रतिशत कमरे ऐसे अड्डे बन गये हैं, जहाँ पर विद्यार्थी नियमित रूप से चरस पीने के लिये इकट्ठा होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों को चरस पीने की आदत हिप्पी लोगों ने डाली है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई जाँच से पता चलता है कि विद्यार्थियों में चरस पीने की कोई आदत नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

शिक्षा के माध्यम में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

619. **श्री स० च० सामन्त :** **श्रीमती तारा सप्रे :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों को जो माध्यमिक स्कूल तथा कालेज शिक्षा स्तरों पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की नीति को क्रियान्वित करने के लिये सहमत हो गये हैं उन्हें निर्धारित अवधि में आवश्यक पाठ्य पुस्तक तैयार करने में केन्द्रीय सरकार का विचार क्या सहायता तथा सहयोग देने का है, और

(ख) जहाँ तक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों तथा राज्यों का सम्बन्ध है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) : यह प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं के विकास और पुस्तकें तैयार करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की सहायता प्रत्येक राज्य के प्रदानार्थ 18 करोड़ की राशि नियत की जाए। सहायता इस आधार पर होगी कि केन्द्र कुल खर्च का 75 प्रतिशत और राज्य 25 प्रतिशत भार वहन करे। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि वे सेक्टर के अपने कार्यक्रमों को तैयार करें और इन्हें केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेज दें।

दिल्ली में स्कूल के लिये इमारतें

620. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री अदिचन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितने स्कूल अभी तम्बुओं में काम कर रहे हैं;

(ख) निकट भविष्य में कितनी स्कूल इमारतें बनाने का कार्यक्रम है,

(ग) उन पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा, और

(घ) भारत के किन-किन नगरों में स्कूल तम्बुओं में चलाये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Justices of Peace in Delhi

621. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Justices of Peace' are being appointed in the place of Honorary Magistrates in Delhi ;

(b) if so, what will be the jurisdiction of the new authorities consequent upon this change ; and

(c) the full details of the proposed change-over thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (c) : Some time ago the Delhi Administration had suggested that Honorary Magistrates might be replaced by Justices of Peace in Delhi. They were asked to examine the suggestion further and make firm proposals. A reply from the Administration is awaited.

मिजो लोग

622. **श्री हेम राज :** **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1967 से लेकर आज तक विद्रोही मिज़ो लोगों ने कितने सैनिक कर्मचारियों तथा नागरिकों की हत्या की है ;

(ख) इसी अवधि में कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई है;

(ग) इसी अवधि में कितने विद्रोही मिज़ों पकड़े गये हैं; और

(घ) कितने विद्रोही मिज़ों लोग इस समय पूर्व पाकिस्तान अथवा चीन में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) अगस्त से अक्टूबर, 1967 तक की अवधि के दौरान 39 सैनिक कर्मचारी और आठ नागरिक मारे गये।

(ख) अनुमानत: 4095 रुपये की सम्पत्ति लूटी गई।

(ग) लगभग 691 मिजो विद्रोही पकड़े गये।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मिजो विद्रोहियों की संख्या के बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। मिज़ो विद्रोहियों के सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

रांची में दंगे

623. **श्री हेम राज :** **श्री कृष्णमूर्ति :**

श्री शिव पूजन शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1967 के महीने में राँची में हुए दंगों में कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) इन दंगों में कितनी गैर-सरकारी और सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई; और

(ग) इन दंगों के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 155 व्यक्ति मारे गये।

(ख) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सदन के सभा-पटल पर रखा जाएगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन एक जाँच आयोग नियुक्त किया है जो पिछले कुछ महीनों के दौरान होने वाले बड़े-बड़े साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण और घटनाक्रमों की जाँच करेगा जिनमें राँची और हाटिआ के दंगे भी शामिल हैं।

Hindi Officers in the Ministries of the Govt. of India.

624. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while recommending the appointments of Hindi Officers in all the Ministries the Hindi Advisory Committee had expressed the hope that those Hindi Officers would be held responsible for carrying out instructions in connection with further promotion of Hindi in official work ; and

(b) if so, the number of Hindi Officers entrusted with this work and whether these officers are required to submit any report in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The Hindi Salahkar Samiti had merely recommended that Hindi Officers should be appointed in each Ministry/Department for doing Hindi work.

(b) At present in 17 Ministries/Departments Hindi Officers are already functioning. In 8 Ministries/Departments senior Officers are looking after Hindi work in addition to their normal duties. The progress of work in the use of Hindi is reviewed on the basis of the half-yearly returns received from Ministries/Departments. The Hindi Officers are, therefore, not generally required to submit reports in this regard.

Promotion to Hindi Assistants

625. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Assistants who qualified the test of the U.P.S.C. have been kept under "closed cadre" and no opportunity of promotion has been provided for them ; and

(b) if so, the action taken for removing this anomaly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) Posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts. Such ex-cadre posts cannot obviously have any higher posts in direct line for promotion. In order, however, to allow avenues of advancement to the Hindi Assistants, Ministries etc. have been advised that the Hindi Assistants should normally be permitted to apply for Class II and Class I (Junior) posts under the Central Government for which higher qualifications in Hindi or a high degree of proficiency in Hindi and experience of Hindi work are required. Government are also considering whether preference could be given to Hindi Assistants in the matter of selection for appointment to higher posts for which they are otherwise eligible and qualified.

Hindi Teaching Scheme

626. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the employees required to join Hindi classes under Hindi Teaching Scheme do not attend their classes ; and

(b) if so, the steps being taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla.) :

(a) No, Sir. About 50% of the employees deputed for this training attend the classes regularly.

(b) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-1558/67**].

Hindi Advisory Committee

627. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the suggestions made by the previous Hindi Advisory Committee and the action so far taken on them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : A statement showing the recommendations made by the previous Hindi Salahkar Samiti at its last meeting together with the action taken thereon is laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No. LT 1559/67**].

Promotion of Tourism

628. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri P. N. Solanki** :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some new programmes have already been undertaken for promoting tourism;

(b) whether some other schemes are also under consideration for encouraging foreign tourists ; and

(c) if so, the time by which those schemes are likely to be implemented ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) and (b) The present programme for development of tourism is based on the following concepts :—

(1) Stepping up the overseas tourist promotion programme and projecting a new image of India.

(2) Developing the tourist plant and infrastructure in the country to meet the requirements of the increased inflow of tourist traffic, on the following lines :—

(i) Concentration of resources on the integrated development of selected areas/resorts and routes which have the highest potential for tourist promotion and are capable of yielding quick returns.

(ii) Development of the tourist infrastructure and strengthening and expansion of tourist plant through public sector investment.

(iii) Incentives to the private sector for improvement and expansion of the existing tourist plant.

(c) The implementation of the tourist promotion programmes is a continuous process which has to be changed from time to time to incorporate new ideas. Similarly the encouragement and incentives to be given to the private sector are decided upon as and when the need is felt. Most of the schemes included under the Fourth Five Year Plan are expected to be completed by the end of the plan period 1970-71.

Delhi-Srinagar I.A.C. Caravelle Services

629. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the results of the operation of Delhi-Kashmir Carvelle Service so far ;

(b) whether this Service is proposed to be extended up to Kabul ; and

(c) whether Caravelle Service Scheme is proposed to be extended on some other air-routes also ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) On an average the Caravelle Service Delhi-Srinagar carried 54 passengers and the Srinagar-Delhi service 77 passengers per day during the first ten days.

(b) No Sir, not for the present.

(c) It is proposed to introduce the following two Caravelle services effective from 16.11.1967:—

1. Bombay-Nagpur-Calcutta and return.
2. Bombay-Hyderabad-Bombay.

भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी

630. **श्री सीताराम केसरी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री सरकारी सेवा तथा सरकारी उपक्रमों के उन अधिकारियों का एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे जो भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है, तथा यह बतायेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के पश्चात् भ्रष्टाचार को रोकने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : एक विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्य भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करने और भ्रष्टाचार को रोकने में उपयोगी रहा है। नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर प्रशासन सुधार आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन, जिसमें लोकपाल 'लोकायुक्त' पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, भी विचाराधीन है।

विवरण

वर्ष 1964, 1965 और 1966 में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के विशेष पुलिस संस्थान डिवीज़न द्वारा रंजीकृत भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या :

वर्ष	सरकारी विभाग		सरकारी उपक्रम	
	राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी	राजपत्रित स्तर के समान	अराजपत्रित स्तर के समान
1964	255	933	56	79
1965	197	968	41	75
1966	262	1039	59	57

विद्रोही नागा

631 **श्री सीता राम केसरी:** **श्री राम सेवक यादव:**

श्री राम किशन:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने युद्ध विराम क्षेत्र में मारम में अपनी सेना का "ब्रिगेड मुख्यालय" स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने तथा शान्ति बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बर्मा सीमा के निकट तेंगनपाल उप-खण्ड में कुकी मिजो विद्रोहियों का एक बड़ा टोला देखा गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कभी युद्ध विराम समझौते का कोई उल्लंघन होता है तब सुरक्षा सेनाओं द्वारा कार्यवाही की जाती है और उक्त क्षेत्र में सतर्कता रखी जाती है।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(घ) फिर भी सभी सम्बन्धित सुरक्षा चौकियों को सतर्क कर दिया गया है और उनकी शक्ति बढ़ाई गई है।

दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा मोटरगाड़ियों के पंजीयन के लिये प्रमाणपत्रों का दिया जाना

632. **श्री मधु लिमये** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी किये जाने वाले पंजीयन प्रमाणपत्र और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस घटिया कागज पर दिये जाते हैं, जब कि यही प्रमाणपत्र कुछ चुने हुए व्यक्तियों को सुन्दर पुस्तिका फार्म के रूप में जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन सा प्राधिकारी यह निर्णय करता है कि ये प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को एक पुस्तिका फार्म में दिये जायेंगे या घटिया कागज पर दिये जायेंगे;

(घ) किसी व्यक्ति को पुस्तिका फार्म में या घटिया कागज पर प्रमाणपत्र दिये जाने का निर्णय किस आधार पर किया जाता है; और

(ङ०) सब लोगों को ये लाइसेंस बिना अतिरिक्त फीस लिये पुस्तिका फार्म के रूप म दिये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) आजकल मोटर गाड़ियों के सभी मालिकों को पुस्तिका फार्म के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस साइक्लोस्टाइल किये हुए फार्मों पर जारी किये जा रहे हैं क्योंकि छपी हुई पुस्तिका के फार्म अभी उपलब्ध नहीं हैं। जब परिवहन निदेशालय, दिल्ली के पास छपी हुई पुस्तिका फार्म की प्रतियाँ थोड़ी सी रह गई हैं वे राजनयकों और संसद सदस्यों जैसे कुछ चुने हुए तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती हैं।

(ग) और (घ): परिवहन निदेशालय दिल्ली इस सम्बन्ध में अपने स्वविवेक से काम लेता है।

(ङ) जो पंजीयन प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस साइक्लोस्टाइल किये कागज के फार्मों पर मूल रूप में जारी किये गये है, उन्हें, बिना कोई फीस लिये, छपी हुई पुस्तिका फार्म उपलब्ध होने पर, बदल दिया जायेगा।

Tourist Traffic in Maharashtra

633. **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent on providing tourist transport facilities at the places of tourist interest in Maharashtra during the last five years ; and

(b) the steps taken to attract more tourists to the places of tourist interest in the State during the current year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) The Government of India has not incurred any expenditure on providing tourist transport facilities in Maharashtra.

(b) (1) During the current year, pictorial folders on Bombay and Ajanta-Ellora as also pamphlets containing factual information on these centres, and a comprehensive guide book on Aurangabad are being published.

(2) The International Tourist Year (ITY) celebrations in Maharashtra have been given wide publicity overseas. The Government of India Tourist Offices in Bombay and Aurangabad have been allocated special funds and promotional material for the celebration of ITY throughout the year ; and all advertisements on ITY make a special reference to the celebrations in Bombay and Aurangabad.

(3) The Government of India has put up a pavilion at the ITY Fair in Bombay which has been sponsored by the Government of Maharashtra. In addition, during the current financial year it is proposed to spend a sum of Rs. 5.16 lakhs on the integrated development of Ajanta and Ellora and for the construction/expansion of Tourist Bungalows /Hostels at Wardha, Aurangabad and Juhu Beach.

पर्यटक व्यवसाय से आमदनी

634. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में पर्यटक व्यवसाय से कुल कितनी आय हुई;

(ख) पिछले दो वर्षों में तत्सम्बन्धी अवधि की आय की तुलना में वह कितनी कम अथवा अधिक है;

(ग) क्या अवमूल्यन के बावजूद पर्यटक व्यवसाय से आय कम हो गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) आनेवाले पर्यटकों संबंधी आँकड़े और पर्यटन व्यवसाय से होने वाली आय कैलेण्डर वर्ष के आधार पर संकलित की जाती है। 1967 के पहले छः महीनों के आँकड़ों से जाहिर है कि पर्यटन से 11.35 करोड़ रुपये की आय हुई।

(ख) 1965 और 1966 के पहले छः महीनों में क्रमशः 11.34 करोड़ रुपये और 10.14 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Stenographers Quota for S. C. & S. T.

635. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of such posts as are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as per their orders ;

(c) whether persons belonging to these categories are working on all the reserved posts; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) There are 77 posts of Stenographers, Grade II, in the Ministry of Home Affairs proper.

(b) to (c) The Ministry of Home Affairs proper is one of the units of the Ministry of Home Affairs cadre of the Central Secretariat Stenographers' Service. The reservations at the rate of 12 ½% for Scheduled Castes and 5% for Scheduled Tribes are applied to the vacancies in the cadre as a whole and not to the constituent units separately. As on 1-11-67, there were 200 posts of Stenographers, Grade II, in the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of this Ministry. Of these, 4 posts are held by persons belonging to Scheduled Castes and none by Scheduled Tribes.

(d) Due to non-availability of qualified candidates.

Examination for Hindi Stenographers by U.P. S.C.

636. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has any scheme under which the examination for Hindi stenographers would also be conducted by the U.P.S.C. ;

(b) if so, the date from which this scheme is likely to be implemented ; and

(c) if the reply to part (a) above is in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) : As the Scheme is to train the existing personnel to do their work in Hindi as well, it is not the intention to recruit Hindi Stenographers through the U.P.S.C.

Books in Demand in Delhi Public Library

637. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentages, separately of books in demand in English, Hindi and other languages in the Delhi Public Library ;

(b) whether the percentage for Hindi books is the highest ;

(c) if so, the percentages of the expenditure incurred separately on the acquisition of Hindi, English and other language books ;

(d) whether it is a fact that despite the lesser demand for English books more expenditure is incurred on their acquisition and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) The percentages during the last three years are given below :—

Year	*Hindi*	*English*	*Urdu*	*Punjabi*
1964-65	73.3%	12.2%	11.6%	2.9%
1965-66	72.5%	14%	10.2%	3.3%
1966-67	72.7%	13.8%	10.4%	3.1%

(b) Yes, Sir.

(c) The percentages during the last three years are given below :—

Year	*Hindi*	*English*	*Urdu*	*Punjabi*
1964-65	41.7%	40.7%	11.5%	6.1%
1965-66	35.4%	43.8%	13.7%	7.1%
1966-67	36.4%	50.3%	8.2%	5.1%

(d) Yes, Sir ; although the number of English books purchased is only about 30% of the number of Hindi books purchased by the library.

(e) The books in English are much more costly than books in Hindi; these books have become further costlier after devaluation. Moreover in the past the number of new titles published every year in Hindi, fit for serious reading, has been much less than the number of such titles in English. However, now that more books in Hindi suitable for serious reading are being published, the Library will endeavour to spend more funds on the purchase of Hindi books.

Pakistani Spies in Rajasthan

638. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani spies are found active in Barmer areas of Rajasthan border and a Pakistani aeroplane has also been observed over that area ;

(b) whether it is also a fact that four Pakistanis have been arrested in Hindumalkot city as per news published on 11th October, 1967 ;

(c) if so, the articles recovered from them ; and

(d) the measures adopted by Government to check these activities ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

(a) There are no reports of any such activities by Pakistani spies. There has also been no recent violation of the Indian air space by Pakistani aircraft.

(b) and (c) : According to the information received, two Pak nationals were arrested on 29.8.67 in Hindumalkot city. Six pistols, 17 rounds of ammunition, 3 Kgs. of 'surma' Indian currency worth Rs. 148.50, one wrist watch and three letters were recovered from them, according to the report.

(d) The concerned authorities are vigilant. Regular patrolling continues to be done in the border areas.

अगस्त, 1967 में रांची में साम्प्रदायिक दंगे

639. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची के हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप वहाँ कानून और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये बिहार सरकार ने सेना की सहायता माँगी थी;

(ख) सैनिक सहायता की व्यवस्था किस सीमा तक की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि सेना तैनात किये जाने के बावजूद हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन टाउनशिप के अल्पसंख्यक समाज के लोगों की कई दिनों तक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) चार कम्पनियों को तैनात किया गया था जबकि एक बटालियन को सावधान रखा गया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने जाँच आयोग अधिनियम 1958 के अधीन एक जाँच आयोग नियुक्त किया है जो उपद्रवों को रोकने और उनके बारे में कार्यवाही करने के प्रबन्धों की पर्याप्तता की जाँच करेगा।

दिल्ली में 'हिप्पीस'

640. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी पर्यटक, जो अपने आप को 'हिप्पीस' बताते हैं, राजधानी में अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में जनता ने सरकार से शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) कुछ विदेशी पर्यटक आबकारी अधिनियम तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अधीन अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) आबकारी तथा शस्त्र अधिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के 31 मामले न्यायालयों के सामने आये। 19 मामलों में सजा दी गई, एक में सम्बन्धित व्यक्ति को बरी कर दिया गया और ग्यारह शेष हैं। दो मामलों में अभी जाँच भी चल रही है। कानूनी कार्यवाही करने के अलावा अवांछनीय गतिविधियों के विरुद्ध सतर्कता को भी बढ़ा दी गई है।

Loss to Central Government Property as a Result of Students Agitation At Alwar.

641. **Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which Central Government property was damaged as a result of student agitation in Alwar in September, 1967 and the names of the Ministries to which that property belonged ; and

(b) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) As a result of the students agitation in Alwar in September, 1967 some damage was caused to the propety belonging to the Post & Telegraph Department and the Railways. Two dozen glass panes and a dozen lights were broken in the General Post & Telegraph Office. Seats of some coaches and glasses of the carriage in the shuttle train running from Rewari to Bandikui were damanged. Signal wires belonging to the Railways were disconnected and signal glasses were broken.

Two cases have been registered by the State Police and are pending trial. Two other cases have also been registered by the Railway Police.

National Anthem at Jamia Millia Islamia

642. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the national anthem is not recited at Jamia Millia Islamia at Okhla in New Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) No, Sir. The national anthem is sung on all approporiate occasions.

(b) Does not arise.

नई दिल्ली नगरपालिका

643. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के लिये छः नये सदस्य नाम निर्देशित किये गये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नामों का निर्देशन दिल्ली प्रशासन की बजाय उनके मंत्रालय ने किया है हालाँकि दिल्ली महानगर परिषद् अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद ने भारत सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन के अधिकारों में हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका में कुल मिला कर ग्यारह सदस्य 4 अक्तूबर 1967 से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये गये हैं।

(ख) ये नियुक्तियाँ दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा की गई हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन में भारत सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। यह सच नहीं है कि मुख्य कार्यकारी परिषद ने तथाकथित हस्तक्षेप के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था।

निवारक निरोध अधिनियम

644. **श्री राणे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में अप्रैल 1967 से लेकर अक्तूबर, 1967 के अंत तक कितने-कितने सरकारी कर्मचारियों को नजरबन्द किया गया; और

(घ) कितने कर्मचारी अब भी नजरबन्द हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) केरल, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कुछ सरकारी कर्मचारियों को लोक व्यवस्था तथा जन जीवन के लिये अनिवार्य सेवाओं को बनाये रखने के मार्ग में हानिकारक गतिविधियों से रोकने की दृष्टि से नजरबन्द किया गया था।

(ग) केरल में चौदह को नजरबन्द किया गया था और उत्तर प्रदेश में ग्यारह को।

(घ) उत्तर प्रदेश प्रदेश में 31, अक्तूबर 1967 को आठ कर्मचारी नजरबन्द थे।

विदेशी धर्म प्रचारक

645. **श्री देवेन सेन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 जनवरी, 1967 में भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों की कुल संख्या कितनी थी और वे किस-किस देश से आये हैं।

(ख) क्या यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है अथवा कम हो रही है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका से आने वाले धर्म प्रचारकों की संख्या बढ़ रही है; और

(घ) इस समय भारत के पूर्वोत्तर भाग में कार्य कर रहे धर्म प्रचारकों की कुल संख्या कितनी है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) राष्ट्रीयता के अनुसार:—

(i) 1-1-67 को पंजीकृत विदेशी धर्म प्रचारिकों

(ii) 1-6-67 को पंजीकृत राष्ट्र मण्डलीय देशों के धर्म प्रचारकों की संख्या को बताने वाले दो विवरण सदन के सभा-पटल पर रखे हुए हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी०** 1560/67]

(ख) संख्या कम हो रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.1967 को आसाम और पश्चिम बंगाल में मौजूद पंजीकृत विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या 464 थीं। आसाम और पश्चिम बंगाल में पंजीकृत राष्ट्र मंडलीय धर्म प्रचारकों की संख्या 1.6.1967 को 342 थी।

Theft of Ancient Images in India

646. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Raghuvir Singh Shastri**:
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Ramji Ram** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang is active in stealing ancient images in India and encourages others also to steal the images by paying money to them ;

(b) whether it is also a fact that the gang sells these images in foreign countries and earns foreign exchange therefrom ;

(c) whether it is also a fact that some persons of this gang have been arrested recently ; and

(d) if so, the details thereof and the steps take by Government to ensure the proper custody of works of art in India ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) to (d) Government have only seen press reports on the subject but have no official information. It is primarily for the law and order authorities in the States concerned to take appropriate measures in this connection.

The Government of India are however responsible for the centrally protected monuments and whenever thefts have been reported from these monuments these are promptly reported to the local police authorities for necessary investigation and apprehension of the culprits.

The following measures have been taken to ensure the safety of sculptures and other works of art in central protected monuments :—

(i) Documentation and shifting of loose sculptures at monuments/sites to central places of safety.

(ii) The staff has been alerted to be vigilant to prevent vandalism and thefts at monuments/sites.

(iii) The State Governments have been requested to extend their cooperation in safeguarding art objects at the monuments/sites.

नाविकों में बेरोजगारी

647. **श्री सम्बन्धन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में अध्ययन करने के उद्देश्य से एक समिति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और वह क्या काम करेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)

(क) हाँ, जी।

(ख) समिति के गठन और निर्देश पद के बारे में शीघ्र निर्णय कर लिये जाने की आशा है।

मद्रास बन्दरगाह से अदन को जहाज द्वारा हथकरघा माल का भेजा जाना

648. **श्री सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा मद्रास से अदन के लिये हथकरघा माल स्वीकार नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मद्रास बन्दरगाह से जहाज द्वारा अदन को माल भेजने के लिये प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव):

(क), (ख) और (ग): स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण, जो जहाज़ भारत और योरुप के बीच चलते थे, रास्ते में जिनका उपयोग अदन के यात्री भी करते थे, अब उत्तम आशा अंतरीप के मार्ग से जा रहे हैं। अतः लाल समुद्र में अदन तथा अन्य पत्तनों को भेजे जाने वाले माल में देरी होना और कठिनाई पैदा होना स्वाभाविक है। फिर भी भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों ने भारतीय पत्तनों से, जिनमें मद्रास भी है, मुख्य रूप से संयुक्त अरब गण राज्य को यातायात के लिये विशेष व्यवस्था की है और जब इन जहाज़ों को स्वेज़ पत्तन के लिये जाने होते हैं तो यदि उनमें स्थान हो, भाड़े के दर अच्छे हों और सामान काफी हो तो वे रास्ते में पड़ने वाले पत्तनों जैसे अदन के लिये भी सामान ले जाते हैं। इस प्रकार के चार जहाज़ निश्चित किये गये थे और वे अदन तथा लाल समुद्र के अन्य पत्तनों के लिये सामान ले जाने के लिये तैयार थे परन्तु सामान भेजने वालों ने इन जहाज़ों से माल भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि वे विदेशी जहाज़ों में इन पत्तनों के लिये सस्ते दरों पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पिछले अक्तूबर में जब संयुक्त अरब गणराज्य के लिये निश्चित एक भारतीय जहाज़ मद्रास में खड़ा था, उसे अदन के लिये हथ करघे की बनी वस्तुएँ तथा अन्य वस्तुएँ ले जाने की पेशकश की थी परन्तु उसने उस माल को लादने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह जहाज़ अच्छी आशा अंतरीय (केप आफ गुड होप) के रास्ते अलेक्जेण्डरिया जा रहा था और न कि अदन और लाल समुद्र के रास्ते स्वेज़ को जा रहा था।

दक्षिण भारत हिन्दी प्राचार सभा को समाप्त करने के लिये अनुरोध

649. **श्री सम्बन्धन:** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तामिलनाड हिन्दी विरोधी आन्दोलन परिषद् से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को बन्द करने के लिये अनुरोध किया किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामान्य निर्वाचन में उम्मीदवारों को रूस की ओर से धन दिया जाना

650. **श्री चरणजीत राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की इंटैलीजेंस एजेंसी ने दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास के माध्यम से विभिन्न दलों के प्रत्याशियों में, जिनमें कांग्रेस के भी प्रत्याशी शामिल हैं, पिछले सामान्य निर्वाचन के दौरान काफी धन वितरित किया था और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) गुप्तवार्ता विभाग से पिछले सामान्य निर्वाचनों के दौरान चुनाव के तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के उपयोग के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये कहा गया था। गुप्तवार्ता विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी जाँच की जा रही है।

अक्तूबर, 1967 में पालम हवाई अड्डे से उडानों में विलम्ब

651. **श्री चरणजीत राय:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1967 को पालम हवाई अड्डे से कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि इस विलम्ब का कारण यह था कि दिल्ली से चलने वाले विमानों के लिए 'ठेकेदार मेथेनोलजंल' सप्लाई नहीं कर सका; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) और (ख): जी, हाँ। 1 अक्तूबर, 1967 को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की पालम (नई दिल्ली) से होने वाली दो उड़ानों में उस दिन दिल्ली से चलने वाले विमानों के लिए ठेकेदार द्वारा मेथेनोलजल सप्लाई न किए जाने के कारण विलम्ब हुआ था।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने तेल कम्पनियों से अब यह आश्वासन प्राप्त कर लिया है कि भविष्य में उनके पास सप्लाईज़ की कमी होने पर वे अन्य तेल कम्पनियों के साथ यथासमय वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी रहेंगें ताकि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं में विलम्ब न होने पाये।

मनीपुर का प्रशासन

652. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न स्थानों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि मनीपुर के सामरिक महत्व के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ विद्रोही नागा लोग धीरे-धीरे अपना प्रभाव जमा रहे हैं, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहाँ समुचित प्रशासन व्यवस्था करने तथा स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Closure of Polytechnics in Delhi

653. **Shri Onkar Lal Berwa.** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Polytechnics situated at Okhla and Kashmere Gate in Delhi had to be closed down recently due to student agitation ;

(b) if so, the nature of grievances of the students ;

(c) the reasons due to which these Polytechnics were not re-opened soon ; and

(d) whether these two Polytechnics would be able to complete the course as in the case of the third Polytechnic at Pusa ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Polytechnics were closed because of violent acts of students.

(b) The main demands of the Kashmere Gate Polytechnic students were provision of adequate accommodation and training facilities, and student amenities.

The Okhla Polytechnic students demanded better transport facilities, canteen and medical services and common room facilities.

(c) The Polytechnics could not be opened earlier since the students concerned did not give an assurance of peaceful conduct. Their grievances, however, have been looked into and, wherever practicable they have been redressed.

(d) The courses will be completed by postponing the final examination and holding extra classes.

प्रशासनिक सुधार आयोग का सीतलवाड़ अध्ययन दल

654. **श्री के० हालदर:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीतलवाड़ अध्ययन दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशों पर प्रशासनिक सुधार आयोग को विचार करना है। आयोग को इस विषय में अपनी सिफारिशें अभी सरकार को देनी हैं। क्रियान्वित किए जाने का प्रश्न आयोग के अपनी सिफारिशें सरकार को दे देने के बाद ही उठेगा।

इंदौर और ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व शासक

655. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि:

(क) इंदौर और ग्वालियर की रियासतों के शासकों को विलय के समय कौन-कौन से महल, कितनी इमारतें तथा कितने एकड़ भूमि रखने की अनुमति दी गई थी;

(ख) प्रत्येक के कब्जे में इस समय कितने एकड़ भूमि, कौन-कौन से महल और कितनी इमारतें हैं; और

(ग) यदि विलय के पश्चात् उनके पास भूमि बढ़ गई हो तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण):

(क) सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि शासकों की निजी सम्पत्ति के तौर पर स्वीकृत सम्पत्ति का विवरण जनता के सम्मुख प्रगट नहीं किया जाना चाहिये।

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

एयर इंडिया विमान सेवा की उद्घाटन उड़ाने

656. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1967 तक एयर इंडिया के विमान किन किन मार्गों पर चल रहे थे;

(ख) एयर इंडिया के विमान इस बीच कौन-कौन से नए मार्गों पर चलने लगे हैं;

(ग) अप्रैल, 1967 से कितनी उद्घाटन उड़ानें हुईं तथा ये उड़ानें किन किन स्थानों तक के लिए थीं;

(घ) ऐसी उड़ानों में प्रत्येक में कितने कितने व्यक्ति सवार हुए थे; और

(ङ) उद्घाटन उड़ानों के लिए लोगों का चुनाव किस आधार पर किया गया था?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ङ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1561/67।**]

विदेशी विमान कम्पनियों के साथ एयर इंडिया के करार

657. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियों के साथ यात्रियों को सीधे टिकट देने तथा एक दूसरे के यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में एयर इंडिया ने कोई करार कर रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन विदेशी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो तो इस प्रकार के करार न होने के क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ। एयर इंडिया के संसार की अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय (इंटरनेशनल) तथा देशीय (डोमेस्टिक) विमान कम्पनियों के साथ आपसी यातायात-करार हैं, जिससे वह इन कम्पनियों के साथ यात्रियों को सीधे टिकट देने और यात्रियों का परस्पर विनिमय करने का कार्य कर सकती है।

(ख) एक सूची, जिसमें 171 हवाई कम्पनियों के नाम, सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1562/67**]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण आसाम में जलमार्गों का विकास

658. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग के लिए, दक्षिण आसाम के, जिसमें मिजो पहाड़ी जिला भी शामिल है, जलमार्गों का विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार जाँच पड़तलाल का कार्य अब आरम्भ करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्राथमिक जाँच करने पर यह पता चला है कि कलादान नदी में, जो दक्षिण आसाम के मिज़ो जिले से होकर समुद्र की ओर बहती है, जहाजरानी नहीं हो सकती।

दिल्ली में पोलीटेक्निकों में सुविधायें

659. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तीन पोलिटेक्निकों में प्रयोगशालायें तथा कर्मशालाओं की उचित व्यवस्था नहीं है,

(ख) यदि हाँ, तो इन सुविधाओं को देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पोलिटेक्निकों में 15 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है; और

(घ) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) तीन पालिटेक्निकों में से केवल काश्मीरी गेट पालिटेक्निक में उसकी अपनी वर्कशाप और प्रयोगशाला नहीं है। यह पालिटेक्निक, दिल्ली इंजीनियरी कालेज और सम्बद्ध तकनी की उच्च माध्यमिक स्कूलों की वर्कशापों और प्रयोगशालाओं का उपयोग कर रहा है।

पूसा पालिटेक्निक में प्रयोगशालाओं तथा वर्कशापों दोनों की ही पर्याप्त सुविधाएँ विद्यमान हैं। ओखला पालिटेक्निक में प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं किन्तु वर्कशापों के लिए स्थान की अभी व्यवस्था की जानी है।

(ख) काश्मीरी गेट पालिटेक्निक कहाँ स्थित होगा इस विषय में निर्णय हो जाने पर आवश्यक वर्कशापों और प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

ओखला पोलिटेक्निक के लिए वर्कशाप के भवनों का निर्माण-कार्य वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) स्टाफ की केवल पाँच प्रतिशत कमी है। रिक्त स्थानों के लिए चुनाव कर लिए गए हैं और आवश्यक स्टाफ की नियुक्तियाँ चल रही हैं।

चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक से कम पढ़े कर्मचारी

660. **श्री ओंकार लाल बेरवा:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार उन चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, जो दसवीं पास नहीं हैं और जिनका सेवाकाल लगभग 15 वर्ष है, डायरी प्रेषण क्लर्क जैसे तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर लिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) यह योजना कितने समय से विचाराधीन है; और

(घ) इस मामले में विलम्ब से निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) और (ख) –लोक सभा में 19–7–67 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6012 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। (उक्त प्रश्नोत्तर की एक प्रति संलग्न है)। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) और (घ) इस प्रश्न पर इस वर्ष के मध्य से विचार किया जाता रहा है। भरती के स्तर से सम्बन्धित सुझाव में निहित बहुत सी बातों की जाँच करके अन्तिम निर्णय लेने से पहले इसका प्रयोग करने वाले सभी मंत्रालयों के विचार जानने पड़ेंगे। अन्तिम निर्णय पर पहुँचने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

बेसिक प्राथमिक स्कूलों में दाखिला

661. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साधारण स्कूलों के मुकाबले में बेसिक प्राथमिक स्कूलों में दाखिले का अनुपात कितना कम अथवा अधिक है;

(ख) क्या साधारण शिक्षा के मुकाबले बेसिक शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या यह भी सच है कि धनी माता-पिता अपने बच्चों को बेसिक स्कूलों में नहीं भेजना चाहते और इस प्रकार बेसिक शिक्षा की सुविधा केवल गरीब लोगों के लिये ही रह गयी है; और

(ङ) कृषि शिल्प केन्द्र वाले स्कूल किस अनुपात में हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उन अन्य प्राथमिक स्कूलों का और जूनियर बेसिक स्कूलों के बच्चों का अनुपात 7:18 है।

(ख) कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मंत्रालय ऐसी ब्यौरेवार सूचना एकत्रित नहीं करता है।

इंजीनियरों में बेरोज़गारी

662. **श्री लोबो प्रभु** : **श्री महाराज सिंह भारती** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरों और दूसरे तकनीकी व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेकारी के सम्बन्ध में विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनको विदेशों में नौकरी दिलाने में सहायता देने का है, यदि हमारे उद्योग हमारे कालिजों में शिक्षित इंजीनियरों को नौकरी देने में असमर्थ रहते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आवास समेत निर्माण परियोजनाओं, जिसके लिए इंजीनियरिंग सामग्री तथा योग्यता की अपेक्षा होती है, में इंजीनियरों के लिए रोजागार के अवसर बढ़ाने संबंधी आयोजन की पुनः जाँच करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार तब तक इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रसार को रोकने का है जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क), (ग) और (घ) सरकार देश में इंजीनियरों तथा अन्य दूसरे तकनीकी व्यक्तियों की बेकारी की स्थिति के बारे में अन्य देशों के व्यक्तियों की तरह ही लगातार विचार करती

रहती है। इंजीनियर के शिक्षण और प्रशिक्षण में बड़ा समय लगता है इस कारण इंजीनियरी कालेजों में दाखिले के समय में उत्पन्न होने वाली इंजीनियरों की माँग के अनुसार रखना पड़ता है। इस बारे में यह संभव है कि किसी ऐसे समय में जब देश की अर्थ व्यवस्था में विकास की गति आशा से कम हो, कुछ इंजीनियर या अन्य तकनी की कर्मचारी कुछ फालतू हो जाएं। सिवा उन क्षेत्रों के जिनमें बाहुल्यता की स्थिति साथ दृष्टिगोचर होती है, अन्य क्षेत्रों में इंजीनियरी शिक्षा के प्रसार को निलम्बित नहीं किया जा सकता। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई बाहुल्य की स्थिति नहीं है, ऐसे प्रयत्न किए जायें जिनसे अर्थ व्यवस्था अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाए, तथा यह आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों अर्थ व्यवस्था का विकास होता जाएगा, स्थिति में सुधार होता जाएगा।

(ब) विकासशील देशों से वरिष्ठ तथा अनुभवी विशेषों की माँगें आती हैं, न कि नए स्नातकों की। जब कभी ऐसी माँगें प्राप्त होती हैं तब उन्हें पूरा करने के सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

विद्यार्थियों का शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही स्कूल छोड़ देना

663. **श्री लोबो प्रभु:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रतिशतता में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक बार प्रवेश वाले विद्यार्थियों के लिये साक्षरता प्राप्त करने तक अपनी शिक्षा जारी रखना अनिवार्य करने के लिये सरकार का विचार कानून बनाने का है ताकि प्राथमिक शिक्षा पर वर्तमान व्यय की 75 प्रतिशत का अपव्यय रोका जा सके, और

(ग) क्या ऐसे स्कूलों और वहाँ के शिक्षकों को बोनस देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिनमें शिक्षा बीच में छोड़ कर चले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटती है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद):

(क) दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1967) ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में बरबादी और स्थिरता को दूर करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

664. **श्री प्र० न० सोलंकी:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालम हवाई अड्डे तथा देश के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के स्तर के बराबर लगने के लिए उनका पुनर्नवीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पालम तथा भारत के अन्य हवाई अड्डों में हाल में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) से (घ) यात्रियों के बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को विशेषकर उन आवश्यकताओं जो अधिक बड़े और तेज़ विमानों के चालू करने के कारण उत्पन्न हुई हैं, पूरा करने के लिये भारत में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करने का प्रस्ताव है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की गयी है। इस समिति की सिफारिशें इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। तथापि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अंतरिम उपाय के रूप में इस हवाई अड्डों पर कुछ निर्माण कार्य पहले ही किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं। इस प्रकार की निर्माण कार्यों, उन पर आने वाले खर्च और पूरा किये जाने की अवधि को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1563/67]

Cow Protection Satyagraha in Delhi

665. **Shri Shiv Kumar Shastri : Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Cow Portection Satyagraha in Delhi has been called off ;

(b) If so, whether all the arrested Satyagrahis have now been released ;

(c) whether all the cases pending against the Satyagrahis have been withdrawn ; and

(d) if not, when the final decision would be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) 192 persons, who were arrested for breach of orders under Section 144 Criminal Procedure Code have been released. 5 cases involving 91 persons were registered in connection with the disturbances on 7th November, 1966. Four of these cases are pending trial while the single accused in the remaining case has been acquitted. The pending cases relate to offences involving attempt to murder, grievous hurt, mischief, arson and loot.

(d) Considering the serious nature of the offences there is no proposal to withdraw the four pending cases.

बलीकारी पत्तन का विकास

666. **श्री रमेश चन्द्र व्यास:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी की किसी फर्म ने बेलीकारी पत्तन से घटिया किस्म के लौह अयस्क की सप्लाई के बदले में उस पत्तन का विकास करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सौदा तय हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव०):

(क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Use of Hindi in Official Work

667. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the progress made in regard to the use of Hindi in the official business of the Central Government in accordance with the provision of the Constitution and the Official Languages Act ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library See No. LT 1564/67.**]

प्रशासनिक सुधार आयोग

668. **श्री नन्द कुमार सोमानी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर 1967 के अन्त तक प्रशासनिक सुधार आयोग पर कुल कितना खर्च किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

अक्तूबर, 1967 के अन्त तक आयोग पर कुल 30, 74,927.37 रुपया खर्च हुआ।

बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा

669. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने 33वें अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि वह सब बच्चों के लिए मुफत तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के बारे में सभी राज्य सरकारों को समर्थ बनायें; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य-आयोजनाओं के तैयार करते समय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाता है।

मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं

670. **श्री आगाड़ी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1957 से अब तक मैसूर उच्च न्यायालय ने प्रत्येक वर्ष कितनी लेख याचिकाएँनिपटाईं;

(ख) इस अवधि में कितनी याचिकाओं को स्वीकार किया गया;

(ग) 25 अक्तूबर, 1967 को स्वीकार की गई ऐसी कितनी याचिकाएं थी जिन पर निर्णय लिया जाना था; और

(घ) क्या सेवा कर्मचारियों की बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इन याचिकाओं को शीघ्रता से निबटाने के लिये एक विशेष बेंच के गठन का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

671. **श्री सरजू पान्डेय**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का तैंतीसवाँ अधिवेशन 22 अगस्त 1967 को हुआ था,

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या निर्णय किये गये थे, और

(ग) इस अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हाँ।

(ख) मुख्य चर्चित विषय थे:— शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और संसत्सदस्यों की शिक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट, मण्डल ने अध्यक्ष को, सत्र में हुई चर्चाओं के आधार पर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के विवरण का मसौदा तैयार करने का प्राधिकार दिया।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1565/67]

बक्सर में गंगा पर पुल

672. **श्री सरजू पान्डेय**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बक्सर में गंगा पर पुल बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह परियोजना इसके पूर्व के उस प्रस्ताव का स्थान ले लेगी जिसके अनुसार गंगा पर उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक पुल बनाया जाना था ; और

(ग) क्या बक्सर के सम्बन्ध में पहिले भी विचार किया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

परन्तु, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों की बक्सर में एक पुल बनाने की माँग है, इसलिये भारत सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों की सलाह से इस मामले पर विचार कर रही है क्योंकि इस पुल का अन्तर्राज्यीय महत्व है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ। बक्सर में गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने की माँग पर जुलाई, 1962 से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 6 पर पुलों का निर्माण

673. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 और 6 पर निर्माणाधीन पुलों को पूरा करने के लिये उड़ीसा सरकार को अतिरिक्त सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये कितनी राशि मंजूर की जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) राज्य में सड़क और पुल के निर्माण को जारी रखने के लिये (जिनमें राष्ट्रीय राजपथ 5 और 6 भी सम्मिलित हैं) उड़ीसा सरकार ने 122.47 लाख रुपये की माँग की थी, परन्तु इन कार्यों के लिये 77.20 लाख रुपये की धन-राशि उपलब्ध होगी। शेष माँग पूरी होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अभी उपयुक्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

Registrations

674. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the sale deeds in respect of sale of bungalows in Delhi are being registered at lesser value in order to evade income-tax ;

(b) if so, the number of such registrations in New Delhi during the last two years that have come to the notice of Government ; and

(c) the action which Government have taken or propose to take to stop such a moral practice ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Complaints of this nature have been made from time to time.

(b) Nine.

(c) Investigation invariably takes place under the Indian Stamp Act and cases are either compounded on payment of composition fees and penalty or prosecuted in courts of law.

उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट

675. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में दो विषयों में कम्पार्टमेंट की अनुमति देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक विषय में कम्पार्टमेंट वाले तथा कम्पार्टमेंट परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को, यदि वे अन्यथा दाखिले के योग्य हों, दिल्ली के विभिन्न कालेजों में दाखला दिया जाता है जब कि दो विषयों में कम्पार्टमेंट वाले तथा उनसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कालेजों में दाखला नहीं मिलता है;

(ग) क्या सितम्बर, 1967 में दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इस भेदभाव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हाँ, तो दो विषयों में कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिये उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा-मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी, हाँ।

(ख) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सभी वर्ग के कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को उनको छोड़कर जो केवल एक विषय में कम्पार्टमेंट वाले हैं, उस वर्ष के पाठ्य-क्रमों में दाखिले के लिये अयोग्य करार दिया गया है जिस वर्ष में उनकी कम्पार्टमेंट आई है। यदि वे अन्यथा दाखिले के योग्य हों तो वे आगामी वर्ष में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) उप-कुलपति ने इस मामले पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर, उप-कुलपति ने शिक्षा सम्बन्धी कारणों से यह निर्णय किया है कि ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

676. **श्री रमेश चन्द्र व्यास**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों) की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूतपूर्व पंजाब राज्य के सरकारी कर्मचारी

677. **श्री रमेश चन्द्र व्यास**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व पंजाब राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या (जिलावार) क्या है, जो हिमाचल प्रदेश के हैं और जिन्होंने 1 नवम्बर, 1966 को राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा में जाने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) उन कर्मचारियों में से (जिलावार) कितने कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सेवा में ले लिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) भूतपूर्व पंजाब राज्य के उन सभी कर्मचारियों में से जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और जिन्हें स्थायी तौर पर हिमाचल प्रदेश से बाहर के क्षेत्रों में नियुक्त किया गया था, 1127 में अन्तिम रूप से हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किये जाने के लिये अभ्यावेदन दिये हैं। मुख्य मंत्रियों की समिति को इन सिफारिशों पर विचार करना था। बहुत से विभागों के बारे में अभी उनकी सिफारिशें प्राप्त होना बाकी है। अबतक प्राप्त होने वाली सिफारिशों के आधार पर ऐसे 37 सरकारी कर्मचारी अन्तिम रूप से हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किये गये हैं। इन कर्मचारियों की जिलावार संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1566/67**]

मनीपुर के स्कूलों में मुख्य अध्यापकों के वेतन मान

678. **श्री मेघचन्द्र**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में एम० ई० तथा जूनियर हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के वेतन मानों में संशोधन किया है,

(ख) क्या उनके वेतनमानों में संशोधन 1 अप्रैल, 1964 से किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो नये वेतनमान क्या हैं और संशोधित वेतनमान से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि मुख्य अध्यापकों को संशोधित वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया है, और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना मनीपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंदमान के समुद्री जल प्रांगण में चीन के अनधिकृत जहाज

679. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 4 सितम्बर, 1967 को अथवा उसके आस पास किसी दिन अन्दमान के समुद्री जल-प्रांगण में चीन के अनधिकृत जहाज़ देखे गये थे, जिनका अड्डा मलाया-सिंगापुर में है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार ऐसे अनधिकृत जहाजों का मुकाबला करने के लिये हमारी वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त समझती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (ग) 4 सितम्बर, 1967 को अंदमान के समुद्री जल-प्रांगण में एक नाव देखी गई थी। और सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह

680. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हल चलाने वाले तथा दुधारु पशुओं की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो उन पशुओ को मुख्य भूमि से लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ढोर-वाहक का प्रबन्ध कर सकी है; और

(घ) क्या सरकार ने इस काम के लिये आई० एन० एस० 'मगर' को चार्टर करने के हेतु प्रतिरक्षा मंत्रालय की सहायता माँगी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) इस समय मुख्य भूमि और द्वीपसमूह के बीच चलने वाले जहाज़ पशुओं को ले जाने योग्य नहीं हैं। इनमें से एक जहाज़ का पशुओं को ले जाने के लिये उपयोग करने के एक सुझाव पर विचार किया गया था, किन्तु इसे कम-खर्च नहीं पाया गया। देश में ढोर-वाहक के उपलब्ध न होने के कारण और विदेशी मुद्रा की सख्त तंगी के कारण न तो देश से और न ही विदेश से ढोर-वाहक जहाज़ की व्यवस्था करना अभी तक सम्भव हो सका है। फिर भी द्वीप समूह में पशुओं को ले जाने के लिये कोई जहाज़ किराये पर लेने के प्रयत्न अभी तक किये जा रहे हैं।

(घ) जी हाँ, श्रीमान्।

अंडमान श्रमिक दल

681. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान श्रमिक दल की कोई खेलकूद निधि है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब बनायी गई थी;

(ग) इसके कुल कितने अंशदाता हैं और प्रति मास कितना अंशदान देते हैं; और

(घ) क्या इस खेलकूद निधि के लेखों की लेखा परीक्षा की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) इस निधि की स्थापना नवम्बर, 1956 में की गई थी।

(ग) मजदूरों के लिये इस निधि में अंशदान देना अनिवार्य नहीं है। अतः अंशदाताओं की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। अंशदान की दर 25 पैसे प्रतिमास प्रति सदस्य है।

(घ) जी नहीं। श्रीमान्। यह निधि अधिकृत नहीं है। अतः इसकी लेखा-परीक्षा के कोई निश्चित अनुल्लंघनीय नियम नहीं हैं। सदस्यों ने अन्डमान प्रशासन से इसकी लेखा-परीक्षा के लिये अनुरोध नहीं किया।

प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति

682. **श्री रमेश चन्द्र व्यास**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन प्रशिक्षणार्थियों को, जो प्रशिक्षण के लिये सीधे भरती किये जाते हैं अथवा जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं तथा जो उनके मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाते हैं, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर काम पर लगाने की गारंटी देती है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस प्रकार के प्रशिक्षण पर बहुत बड़ी राशि खर्च करती है, ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण योजना के अधीन राज्य सरकारों तथा दूसरे शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित सभी प्रत्याशियों को उनके प्रायोजकों द्वारा नौकरी की गारंटी दी जाती है। जो प्रत्याशी किसी द्वारा प्रायोजित नहीं किए गए उन्हें तकनीकी संस्थाओं में अध्यापक के रूप में उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार हर प्रयत्न कर रही है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अधीन कोई प्रत्याशी प्रायोजित नहीं किया जाता, क्योंकि योजना का उद्देश्य लाभदायक नियुक्तियों के लिए प्रत्याशियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अध्ययनों के सिलिसिले में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। क्योंकि ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण एक इंजीनियर या तंकनीशियन की व्यावसायिक तैयारी का आवश्यक अंग है अतः नियुक्ति की कोई गारंटी आवश्यक नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी

683. **डा० कर्णी सिंह**: क्या शिक्षा मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों संबंधी 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) 28 जून, 1967 को लोक सभा में दिए गए आश्वासन के पूरक में अपेक्षित सूचना संसद्-कार्य-विभाग को पहले ही दी जा चुकी है और वह जल्दी ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के छोटे बन्दरगाह

685. **श्री जर्ज फरनेन्डीज**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में छोटे बन्दरगाहों की दशा निरन्तर बिगड़ती जा रही है,

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने छोटे बदरगाहों की दशा को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय और / या तकनीकी सहायता माँगी है;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र में छोटे बन्दरगाहों के विकास हेतु कोई पहल करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (घ) : बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पतन संविधान की संवर्ती सूची में आते हैं। उनके विकास करने का कार्यकार / दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों में निहित है। फिर भी चूकि यह विषय संवर्ती सूची में है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघुपत्तन महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते हैं अतः केन्द्र की रुचि उनमें पर्याप्त रहती है।

जब कभी माँग की जाती है तब लघु पत्तन के विकास के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देती है और योजनाओं में शामिल छोटे पत्तनों से संबंधित विकास स्कीमों के निष्पादन के लिये दीर्घकालीन ऋणों द्वारा वित्तीय सहायता देती है।

महाराष्ट्र राज्य में छोटे पत्तनों के लिये विकास स्कीमें जिनपर लगभग 2.62 करोड़ रुपये की लागत थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई थी। तीसरी योजना अवधि में उनके विकास पर 74.05 लाख रुपये व्यय किये गये। 2.62 करोड़ रुपये की राशि में रतनागिरि में जो मिरथावे स्कीम कहलाती है सब ऋणों के भारवाहक पतन के विकास के लिये 1.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल थी। यह योजना चतुर्थ योजना अवधि में लेजाई गई है।

राज्य क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये की और केन्द्रीय क्षेत्र में 83.67 लाख रुपये की व्यवस्था महाराष्ट्र में छोटे पत्तनों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप रूपरेखा में है।

तीसरी योजना अवधि में राज्य सरकार की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 34.365 लाख रुपये दिये गये हैं। यह राज्य सरकार की इच्छानुसार छोटे पत्तनों के विकास के लिये किया गया है। चौथी योजना के प्रथम वर्ष में (1966-67) 15.29 लाख रुपये का ऋण दिया गया है और चालू वर्ष में राज्य सरकार को ऐसे ही ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार का ध्यान राज्य में छोटे पत्तनों के निकर्षण और पहुँच जल मार्गों के द्वारों पर बालूचर के हटाये जाने की ओर खींचा है। अपेक्षित निकर्षण के लिये राज्य सरकार एक 500 टन का निकर्षक प्राप्त करने का विचार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बनाये निकर्षक की विशिष्टियों की परीक्षा की गई थी और परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में विकास सलाह-

कार संगठन द्वारा ठीक समझी गई। राज्य सरकार निकर्षण प्राप्त करने के लिये आगे कार्यवाही कर रही है।

छोट पत्तनों के विकास के लिये अर्थात् विस्तृत प्राक्कलन, डिजाइन के परीक्षण के लिये महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से अभी तक तकनीकी सहायता नहीं माँगी है। केवल मिरयावे (रत्नागिरी) स्कीम में और 500 टन निकर्षक की प्राप्ति में विकास सलाहकार संगठन ने स्कीम की सामान्य तकनीकी परीक्षा की है और निष्पादन का आदेश दे दिया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जनरल मैनेजर के मेडिकल बिल

686. **श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपने भूतपूर्व जनरल मैनेजर श्री ए० एस० वाम के 13 दिसम्बर, 1965 से 13 जुलाई, 1967 तक की अवधि के लिये मेडिकल बिलों के लिये 62,000 रुपये दिये;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री ए० एस० वाम के मकान में फर्नीचर आदि सज्जा के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा 42,000 रुपये व्यय किये गये;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो व्यय के इन मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उन लेखों पर व्यय के ठीक तथा पृथक्-पृथक् आँकड़े क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) श्री ए० एस० वाम, जनरल मैनेजर, आई० ए० सी०, के चैकित्सिक बिलों पर 2672.40 रुपये का खर्च किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

दवाइयों की लागत	1696.83 रुपये
विशेष परामर्श एवं परीक्षा जिसमें प्रयोगशाला तथा रेडियोलाइज़ज सेवायें भी सम्मिलित हैं	975.57 रुपये
योग	2672.40 रुपये

जिस घर में श्री ए० एस० वाम रह रहे थे उस पर 26,035.73 रुपये का खर्च किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	रुपये
1. एक अतिरिक्त कमरा जिसमें स्नानगृह के विभाजन तथा पेंटिंग हुए थे	14,745.61

2. भारी नियंत्रण उपचार (पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट)	1,886.22
3. बिजली का सामान व फिटिंग	4,896.67
4. जल-व्यवस्था व सैनीटरी का काम और फिटिंग	2,507.23
5. फर्नीचर (जिसे हटाया जा चुका है)	2,000.00
योग	26,035.73

एन्यूरिन बेवन छात्रवृत्तियां

687. **श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा एन्यूरिन बेवन छात्रवृत्तियों को कब और किस उद्देश्य हेतु चालू किया गया था;

(ख) इन छात्रवृत्तियों को देने में किन शर्तों तथा प्रक्रिया का पालन किया जाता है,

(ग) अब तक कितनी छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं तथा कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया है तथा उनकी अवधि क्या थी;

(घ) जिन व्यक्तियों ने इन छात्रवृत्तियों का उपयोग किया है उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ङ) इन छात्रवृत्तियों पर भारतीय रुपए तथा विदेशी मुद्रा में अब तक कितना धन व्यय किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) एन्यूरिन बेवन अधिछात्रवृत्ति का प्रारम्भ 1965 में श्री एन्यूरिन बेवन की स्मृति में किया गया था। यह अधिछात्रवृत्ति, मानव विद्याओं, विज्ञान, औषध अथवा उपचर्या (नर्सिंग) के क्षेत्र में कार्य कर रहे ब्रिटेनवासी को प्रदान की जाती है।

(ख) अधिछात्रवृत्ति की शर्तें हैं:—

(i) 1200 रुपए प्रतिमास की दर से मानदेय।

(ii) पूरा छात्रावास व्यय, अधिकतम 75 रुपए प्रति दिन।

(iii) ब्रिटेन से आने तथा वापस ब्रिटेन जाने के लिए पर्यटक श्रेणी का हवाई यात्रा किराया (भारतीय रुपए में खर्च किए जाने के लिए)।

(iv) 10 रुपए प्रति दिन की दर से स्थानीय सवारी खर्च।

(v) भारत के अन्दर यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित रेल किराया या हवाई किराया।

(vi) वास्तविक चिकित्सा व्यय।

अधिछात्रवृत्ति की अवधि 6 महीने तक है।

ब्रिटेन की एन्यूरिन बेवन न्यास की सिफारिशों के आधार पर अधिछात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।

(ग) एक छात्रवृत्ति 1965 में प्रदान की गई थी और उसका लाभ 27 अक्तूबर, 1965 से 25 अप्रैल, 1966 तक उठाया गया था। छात्रवृत्ति का 1966 में नवीकरण कर दिया गया था किन्तु उसका लाभ नहीं उठाया गया।

(घ) किंग्सटन (सरे), अस्पताल, ब्रिटेन के ग्रुप रोग-विज्ञान (पैथोलोजिस्ट) डा० डेविड स्टार्क और समाजवादी चिकित्सा संगठन-ब्रिटेन के प्रधान।

(ङ) 25,908.75 रुपए। कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई थी।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां

688. **श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी थैलियों तथा अन्य विशेष अधिकारों और पूर्ववर्तिताओं के हटाये जाने के प्रश्न के बारे में जो उन्हें इस समय प्राप्त हैं, सरकार के पास भूतपूर्व नरेशों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस विषय में भूतपूर्व शासकों के अतिरिक्त कुछ एजेंसियों तथा व्यक्तियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के क्या नाम हैं, जिन्होंने यह अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(घ) उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ श्रीमान्।

(ख) जी हाँ श्रीमान्।

(ग) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 1567/67]।

(घ) कुछ अभ्यावेदनों में निजी थैलियों को आधुनिक युग के आदर्शों के विपरीत और संविधान की आत्मा के प्रतिकूल बता कर उन्हें समाप्त करने के प्रयत्न का समर्थन किया। दूसरे लोगों ने यह कहते हुए निजी थैलियों के जारी रखे जाने का समर्थन किया कि इनको समाप्त करना शासकों के साथ की गई सन्धियों और समझौतों का उल्लंघन होगा।

KURLA CAVES

689. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme regarding preservation of antiquities of Kurla Caves in Maharashtra is under consideration and if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that tourists have to face much difficulty in the absence of electricity and a good road in the cave ; and

(c) whether it is proposed to provide these facilities there immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh):

(a) The Caves at Karla (not Kurla) in District Poona are in a fairly good state of preservation. No special scheme, for its preservation is therefore, under consideration.

(b) There is no electricity at the caves but this does not present any serious difficulty to the tourists as the caves are open to visitors from 9 a.m. to 5.30 p.m. when there is sufficient

daylight to enable visitors to see the caves. There is a good asphalted road up to the foot of the hill. The hill-path from the foot of the hill to the caves which is not provided with cut-stone steps is, however, fairly well maintained by the Archaeological Survey of India.

(c) Does not arise.

विद्रोही मिज़ो लोगों की गतिविधियां

691. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोगों ने एज़ल जिले में पुनर्गठित का वान-पुई नाम के ग्राम में अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं तथा वहाँ के सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर यह आदेश लगा दिए है कि "मिज़ोरम की सरकार" की अनुमति के बिना मिज़ो लोग एज़ल के जिला मुख्यालय में नहीं जा सकते; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) इस गाँव में मिजो विद्रोहियों की इस प्रकार की गतिविधियों के कुछ उदाहरण ध्यान में आये थे।

(ख) असैनिक प्रशासन तथा सुरक्षा सेनायें इस प्रकार के उपद्रवियों की तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा सेनायें उक्त क्षेत्र की गत में भी लगी हुई हैं।

ध्यान दिलाने वालो सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सरकार ने यह जानते हुए भी कि यह मामला सभा के विचाराधीन था इस सम्बन्ध में एक वक्ता के माध्यम से जानकारी समाचार पत्रों को दी है। यह संसद के साथ एक विचित्र व्यवहार है कि जब अध्यक्ष महोदय ने कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह विचाराधीन हो तो, उसके सम्बन्ध में जानकारी संसद को न देकर समाचारपत्रों को दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: सामान्य प्रथा यह है कि जब कोई विषय सभा के समक्ष हो, तो कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसे मामलों में वक्तव्य देने वाले का नाम न बताकर उसे सरकारी वक्ता ही कहा जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): We would like to know, who is this spokesman and under whose instruction, he is working ?

अध्यक्ष महोदय: जब कोई मामला सभा के समक्ष होता है, तो वक्तव्य देने का अधिकार केवल मंत्री महोदय को होता है और मैं आशा करता हूँ कि वक्ता मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : पहले भी एक अवसर पर एक अन्य वक्ता ने उप-प्रधान मंत्री से सम्बन्धित एक मामले में इसी प्रकार की घोर भूल की थी। आशा है, प्रधान मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि वक्ताओं की संख्या बढ़ती न जावे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मंगला बांध के बारे में प्रधान मंत्री का राष्ट्रपति अयूब को संदेश

श्री नाथपाई (राजापुर): मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"मंगला बाँध के पूरा हो जाने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां को प्रधान मंत्री का बधाई संदेश।"

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): श्रीमान, पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर से विमान द्वारा मास्को जाते हुए मैंने रस्मी तौर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बधाई का सन्देश भेजा था। मंगला बाँध पूरा हो जाने पर बधाई का सन्देश भेजने का अभिप्राय यह नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के युद्ध-विराम रेखा की दूसरी ओर के राज्यपाल की स्थिति के बारे में हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आ गया है।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच सितम्बर, 1960 में सिन्धु जल सन्धि का उद्देश्य यह था कि सिन्धु नदी समूह के जल का भारत तथा पाकिस्तान द्वारा पूरा-पूरा तथा सन्तोषजनक उपयोग किया जाये। इस सन्धि के अन्तर्गत भारत ने पाकिस्तान के पुनः स्थापन कार्यों पर होने वाली लागत के सम्बन्ध में निश्चित योगदान देने का वचन दिया था। मंगला बाँध पूरा हो जाने पर पाकिस्तान को अधिक जल उपलब्ध हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप भारत को भी अपने उपयोग के लिए पूर्वी नदियों से अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

मंगला बाँध जम्मू और काश्मीर राज्य के उस भारतीय राज्यक्षेत्र, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तथा पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यक्षेत्र के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 1960 की सिन्धु जल सन्धि से पूर्व हमारे विरोध का उद्देश्य अन्तर्ग्रस्त राज्यक्षेत्र पर अपने सार्वभौमिक अधिकारों की सुरक्षा करना था। सन्धि में भी अनुच्छेद 11 (2) (ख) के अधीन उन अधिकारों की इस तरह सुरक्षा की गई है:

"इस सन्धि में उल्लिखित और उसके कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई बात उन अधिकारों तथा दावों को छोड़-कर, जो इस सन्धि में स्पष्टतः भान्य किए गए हैं अथवा रद्द किए गए हैं, किसी भी पक्ष के किसी अधिकार अथवा दावों की मान्यता या अधित्याग के रूप में नहीं समझी जायेगी।"

इस प्रकार काश्मीर के प्रश्न के बारे में हमारी नीति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान अपनी-अपनी जनता के हित के लिये एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं।

श्री नाथपाई (राजापुर): प्रधान मंत्री की एक गलती ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी स्थिति को गलत बना दिया है और काश्मीर की जनता तथा हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का उपहास कराया है। जब तक कि हम आक्रमण का लाभ आक्रान्ता को न देना चाहते हों तब तक हम शत्रु को इस प्रकार बधाई कैसे दे सकते हैं?

भारत सरकार ने पहले कम से कम तीन अवसरों पर सुरक्षा परिषद् में कहा है कि मंगला बाँध बनाना भारत की सार्वभौम शक्ति का उल्लंघन है तथा उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तथापि उनके बधाई के सन्देश का औचित्य क्या है ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी: मैंने यह स्पष्ट बता दिया है कि हमारे अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सिन्धु जल सन्धि में भी उल्लिखित है। जिन विरोधों का उल्लेख श्री नाथपाई ने किया है, वह 1957, 1958 तथा 1959 में किए गए थे जबकि इस सन्धि पर हस्ताक्षर 1960 में किए गए थे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Slowly and slowly a large chunk of our territory is passing into the hands of other countries and those countries are building dams and roads in those areas and our government spokesmen are giving blessings. The Prime Minister is talking of our sovereignty over those territories but does she believe that after spending crores of rupees on dams and roads that territory will be returned to us ?

Shrimati Indira Gandhi : I have already said that our stand on the question of Jammu and Kashmir is the same as before and we have not drifted an inch from our stand.

श्री नाथपाई: प्रधान मंत्री अपनी भूमि से पीछे हटने के लिये तैयार हैं परन्तु अपने पक्ष से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी: पाकिस्तान ने कुछ भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा भारतीय क्षेत्र वापिस लेने का इरादा है। जहाँ तक जनसंघ के सम्बन्ध है हमारा शुरू से ही उनके साथ मतभेद है.....(अन्तर्बाधायें)।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know how much land will be submerged in Mangla Dam ?

Shrimati Indira Gandhi : Whenever any dam is constructed for the benefit of the people, certainly a portion of land is submerged. The area of 65,000 acres of land has been submerged. (अन्तर्बाधायें)

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : How much compensation has been given to the people who had to be uprooted and what help has been given to them ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सारा ब्यौरा दे दिया है। मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Will the action of the Prime Minister in sending message to President Ayub Khan of Pakistan on the completion of Mangla Dam add insult to injury as they killed our people in 1965 and are now slandering India in France and in many other countries ?

Did not the Prime Minister's advisors who advised her to send this message also advise her to remind the President of Pakistan that notwithstanding that message there was no change in the policy of the government of India regarding the question of Kashmir and that whole of Kashmir belongs to India ?

Shrimati Indira Gandhi : The whole world know this fact but sending of messages is an international diplomatic custom.

अध्यक्ष महोदय: अब हम नए प्रश्न को लेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, this is not proper that you proceed to the next question without getting us full reply to our question. I stage a walk out against your decision.

इसके पश्चात् **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** सभा भवन से बाहर चले गये।

(**Shri Praksh Vir Shastri** then left the house)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा मरमुगाओ पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 1533/67**]।

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मरमुगाओ पत्तन न्यास के 1965–66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 1534/67**]।

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा दिल्ली पुलिस आयोग का आन्तरिम प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1115 जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 1116 जो दिनाँक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(तीन) जी० एस० आर० 1118 जो दिनाँक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए।

(चार) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक, 12 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1204 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) जी० एस० आर० 1328 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी० तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(छः) जी० एस० आर० 1329 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(सात) जी० एस० आर० 1330 जो दिनाँक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(आठ) जी० एस० आर० 1331 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गये।

(नौ) जी० एस० आर० 1332 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची II में एक संशोधन किया गया।

(दस) जी० एस० आर० 1333 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1334 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(बारह) जी० एस० आर० 1335 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(तेरह) जी० एस० आर० 1386 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(चौदह) जी० एस० आर० 1387 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1388 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(सोलह) जी० एस० आर० 1417 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किए गए।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारानियुक्ति) तेरहवाँ संशोधन विनिमय, 1967 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1418 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय प्रशासन सेवा (पद्दोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौदहवाँ संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1419 में प्रकाशित हुए थे।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1535/67)।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1420 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसमें दिनाँक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 177 को शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(बीस) जी० एस० आर० 1421 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 422 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 1456 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(बाईस) जी० एस० आर० 1457 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(तेईस) जी० एस० आर० 1485 जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए।

(चौबीस) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1549 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 1593 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 1596 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(सत्ताईस) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1598 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1599 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1600 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1601 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्तीस) जी० एस० आर० 1602 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1082 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1535/67]

(2) दिल्ली पुलिस आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 1536/67)।

साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों के संरक्षण सम्बन्धी बर्न अभिसमय आदि

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) 14 जुलाई, 1967 की स्टाकहोम में संशोधित रूप ,में 9 सितम्बर, 1886 के साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों के संरक्षण सम्बन्धी बर्न अभिसमय की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1537/67]।

(2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) आदेश. 1967 की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3409 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1538/67] ।

(3) विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यपालिका समिति के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1539/67]।

(4) सलारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1540/67]।

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी (छूटा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 6 अप्रैल 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (328)/65 पी० आर० (टी०) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(19)/65-पी० आर० (टी०) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 2 मार्च, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 12 (76)/66-67 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1264-67]।

(चार) दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनाँक 1 जून 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (39)/66-67 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 जून, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(10)/65-66 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1356/67]।

(2) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(एक) (क) पंजाब मोटर गाड़ी (चण्डीगढ़ प्रथम संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 मई, 1967 के चण्डीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2728-एच० II (2)/67-11261 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 1541/67]।

(ख) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

(दो) अधिसूचना संख्या 83/67।एफ० संख्या 68-332/67-पब० जो दिनांक 2 अगस्त, 1967 के अन्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1541/67]।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

तेरहवाँ प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेरहवाँ प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

विशेषाधिकार संबंधी समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

तीसरा प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

चौदहवाँ प्रतिवेन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, पिलानी के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के एक सौ चारवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का चौदहवाँ प्रतिवेदन उप स्थापित करता हूँ।

'दो चीन' के बारे में उप प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : REPORTED STATEMENT MADE BY THE DEPUTY PRIME MINISTER ABOUT 'TWO CHINAS'

प्रधान मंत्री अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मेरा ध्यान एक वक्तव्य के बारे में अखबारी खबरों की ओर आकर्षित किया गया है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह हमारे उप प्रधान मंत्री ने चीन को मान्यता देने से संबंध हमारी नीति के प्रश्न पर दिया था। वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में 12 सितम्बर को समाचार संवाददाताओं के एक सम्मेलन में उप प्रधान मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था:

"संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश के प्रश्न पर क्या आप सबसे आगे रहेंगे।"

उप प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया था, "हम पिछले 15 वर्षों से आगे नहीं रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है। संयुक्त राष्ट्र में हर राष्ट्र को होना चाहिए। हमारी यही नीति है। लेकिन हम अभी कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, फिर भी अगर ऐसा प्रस्ताव रखा गया तो हम निश्चय ही इसके पक्ष में मत देंगे।" उप प्रधान मंत्री से आगे पूछा गया:

"क्या आपका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र में दो चीन होने चाहिए?" उत्तर में उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता। इस समय दो देश हैं। फारमोसा एक स्वतंत्र देश है ही। यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, हालाँकि चीन के नाम से, जो मेरी समझ में नहीं आता।"

विदेश यात्रा के समय चीन के विषय में उप प्रधान मंत्री के वक्तव्यों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कथित स्पष्टीकरण दिए हैं उनसे संबद्ध समाचारों की ओर भी मेरा ध्यान दिलाया गया है। मैंने संबद्ध कागजात देखे हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि विदेश मंत्रालय

के प्रवक्ता ने उप प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में न सिर्फ कोई स्पष्टीकरण ही जारी नहीं किया बल्कि वास्तव में, श्रौरठीक ही इसपर टिप्पणी देने से इंकार कर दिया। कुछ संवाददाताओं ने भारत की चीन विषयक नीति के बारे में उन्हें कुछ साधारण से प्रश्न दिए थे। उत्तर के मसौदों पर मेरी अनुमति लेने के बाद उन्होंने इन्हें समाचार संवाददाताओं को दे दिया। इन प्रश्नोत्तरों में उप प्रधान मंत्री का कोई उल्लेख नहीं था।

सरकार की चीन संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम चीन लोकगणराज्य को अब भी मान्यता देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के तुरन्त पश्चात् कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। बाद में यदि कोई सदस्य चर्चा उठाना चाहे तो वे उठा सकते हैं। मैं स्पष्टीकरण के नाम पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। इसी प्रक्रिया पर हम कार्य करते आये हैं।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, I do not want to ask any question from the Prime Minister. I want guidance from you. Sir, one way of raising such questions is by way of calling attention notices but that was not allowed. The second way open to us is that we can raise it by means of adjournment motions. Such statements, as the present one is, another mode for raising discussions. Since no notice about discussion on international situation has been received from the government I want you to give us an opportunity to discuss this matter.

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार विदेश नीति अथवा किसी और मामले पर चर्चा उठा सकती है और तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : कुछ समय पूर्व आपने सदन में एक परम्परा स्थापित की थी। जब भी किसी मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया और कुछ सदस्यों ने आपको लिखा कि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप ने उन्हें अनुमति दे दी। परन्तु आज आप उस परम्परा को समाप्त कर रहे हैं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : अब तक आप अनुमति दे रहे थे परन्तु आज आप उस परम्परा में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं होगा कि पहली ही परम्परा पर चला जाये। हम आपसे इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, गत सत्र तथा उससे पहले भी मैं इसी प्रक्रिया पर चल रहा हूँ। आप पिछला रिकार्ड देख सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : आपने प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पीछे आपने कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्यों पर चर्चा करने की अनुमति दी है। स्पष्ट है कि आप सब वक्तव्यों पर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं एक सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दूं और बाकी सदस्यों को न दूं। अध्यक्ष के लिये ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री रंगा: मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। सारे सदस्य तो प्रश्न पूछते नहीं हैं। दलों के नेता अथवा उप-नेता ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उस समय यहाँ नहीं थे। आपका इस प्रकार कहना ठीक नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION ANSWER TO OF STARRED QUESTION NO. 1649

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : Sir, I am sorry that while replying to Starred Question No. 1649 dated 8th August 1967 put by Shri Kanwarlal Gupta I stated that the cost on the construction of three overbridges in Delhi was Rs. 60/- lakh. The correct cost is Rs. 50/- lakh. I am sorry for the delay in correcting my answer.

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, स्वर्गीय एम० के० शिवनंजप्पा के स्थान पर, शेष अवधि के लिये, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (2) (क) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, स्वर्गीय एम० के० शिवनंजप्पा के स्थान पर. शेष अवधि के लिये, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

आठवां प्रतिदवेन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ: "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED.

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION RE: REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION–*Contd.*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा डा० त्रिगुण सेन द्वारा 14 नवम्बर, 1967 को प्रस्तुत किए गए निम्न प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा करेगी, अर्थात:--

(एक) "कि यह सभा शिक्षा आयोग 1964–66 के प्रतिवेदन पर जो 29 अगस्त, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

(दो) "कि यह सभा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति (1967)–शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रतिवेदन पर जो 25 जुलाई, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : शिक्षा मंत्रालय को अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय कुछ प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। इस प्रतिवेदन में उन प्राथमिकताओं का उल्लेख नहीं है। हमारे पास इन कार्यक्रमों के लिये साधन भी सीमित हैं।

मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को बहुत महत्व देना चाहिये क्योंकि जहाँ यह सच है कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है वहाँ अप्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की भी संख्या बढ़ रही है।

हमें अपने नवयुवकों को आधुनिक युग के लिए तैयार करना होगा।

इस दिशा म हमारा मार्ग दर्शन अमरीका अथवा रूस नहीं कर सकते। इस बारे में हमें छोटे-छोटे देशों की ओर देखना होगा जैसे कि जापान तथा पूर्वी यूरोप के चैकोस्लोवाकिया, पौलैंड अथवा रूमानिया।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुन: समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री म० ला० सोंधी: केवल कृषि अनुसंधान, विज्ञान तथा टेक्नीकल शिक्षा से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब हम एक और वातावरण में कार्य कर रहे हैं।

मेरे विचार में परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के सम्बन्ध में संधि, भारत के लिये अच्छी सिद्ध नहीं होगी। इससे हमारी विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा के विकास में रुकावट पड़ेगी।

अन्य देश भारत को आणविक विज्ञान के लाभों से वंचित रखना चाहते हैं। जब यह सुझाव दिया गया था कि भारत को आणविक विज्ञान युग की सभी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो शिक्षा मंत्री को उसका विरोध करना चाहिये था।

हमारी प्राथमिकताओं में शिक्षा के स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिये। हमारी शिक्षा पद्धति में राष्ट्रवादिता का पुट होनी चाहिये।

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : The document submitted by the Education Commission is very important. It is not only classical but voluminous also. It runs into 690 pages and valuable suggestions in respect of reorganisation of our education system have been given in this Report. The Government has taken first step in the right direction during the last twenty years. Unfortunately the language problem has made the question of education more complicated. It is beyond any doubt that a student can develop his faculty through the medium of his mother tongue and this fact has been recognised by the Education Commission. The suggestion of neighbourhood schools is also good. The Public Schools are against the spirit of equality of opportunities envisaged in the Constitution and therefore these should be closed forthwith.

These days the education imparted to the children is purely literary or theoritical. The Education Commission has laid emphasis on work-experience. The suggestion of Compulsory Service Schemes is welcome.

Another important question which has been dealt with by the Education Commission relates to the medium of instruction. There is no difference of opinion about the medium of instruction in so far as primary education is concerned. The medium of instruction at this level as well as in secondary education is regional languages or mother-tongue in all the States. Therefore the question of medium is not so big. The Education Commission has stated that the regional languages should be the medium of higher education also. The Vice-Chancellors have also agreed on this point. In fact the difference of opinion relates to the time-limit for switch-over. We should not mix up the question of national language with the question of medium of instruction.

We have already accepted Hindi as our national language. We are not against English. In case we want to establish our contacts with the rest of the world, English has to be continued. We have been ruled for a pretty long time by the Britishers and so we learnt their language. The English is legacy of slavery but still if we want to keep ourselves up-to-date with the technological and other developments in the world, our people have to learn it. At the same time the English is to remain as a language but not as medium of instruction. There should not be two opinions about the medium of instruction. The common man would not like English as medium of instruction. The Education Commission have stated that the medium of all India institutions would be Hindi or English and therefore there will be no difficulty in this respect also.

We should not forget that we have not only to adopt Hindi as our medium of instruction but we have to make it our national language. We should make efforts to strengthen Hindi. Those persons who oppose Hindi as national language have in fact State fear in their minds. They think that they would become a minority. But there should not be any fear whatsoever. Because when they could learn English, which is a foreign language, they can easily learn Hind with a little effort. In my opinion it is only Hindi that can become our link language.

We have to raise quality of our education. The Commission have also made various recommendations for improvement in the standard of education and these recommendations should be accepted. In order to improve the standard of education we should increase the emoluments of the teachers. Unless we solve the economic problem of the teachers we cannot find good and qualified teachers. Of course financial implications are involved in this matter and we have to give serious thought to this problem.

We have made primary education free, compulsory and universal. In my opinion primary education should be a State subject. The Education Commission have made several recommendations for bringing uniformity in the education and they should be accepted. If the children are sent to common schools their standard will be raised.

The Commission have not paid any attention towards basic education which was a revolutionary step suggested by Gandhiji. This system is good in principle but it has not been materialised in right earnest and therefore the desired success could not be achieved. The basic education means work oriented education, so that the young generation coming out of schools may not have to face unemployment. Basic education should start right from the stage of primary education.

I welcome the Report of Education Commission wholeheartedly.

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : शिक्षा की समस्या का सम्बन्ध भाषा की समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा मुख्यतः राज्य विषय है। यह केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम जो भी अधिनियम बनायें उन्हें क्रियान्वित तो राज्य सरकारों को ही करना है। सभी राज्यों के अपने-अपने शिक्षा विभाग हैं। केन्द्र सरकार में इतने बड़े शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे विभाग से काम चल सकता है। शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन बहुत बड़ा है। विदेशों से इतने विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। भाषा की समस्या एक भावनात्मक समस्या है और केन्द्र द्वारा शिक्षा के राज्य विषय में हस्तक्षेप किए जाने से पूर्व इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये।

शिक्षा आयोग तथा संसद सदस्यों की समिति भारत की राजभाषा हिन्दी को मान कर चले हैं। यह अनुचित बात है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। संविधान में हिन्दी के साथ साथ बहुत सी अन्य बातों का भी उल्लेख है क्या सरकार उन सबको स्वीकार करती है? संविधान में मद्यनिषेध का भी तो उल्लेख है। महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाना में मद्य निषेध की क्या स्थिति है? वे मद्यनिषेध के मामले में गान्धीवाद के अनुयायी नहीं हैं, केवल हिन्दी के मामले में हैं क्योंकि हिन्दी उनकी मातृ-भाषा है। इसीलिये वे चाहते हैं कि हिन्दी राजभाषा बने। हम ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। हम अपनी भाषा का समान स्तर चाहते हैं। हिन्दी एक क्षेत्रीय भाषा है परन्तु तमिल मलयेशिया, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका में भी बोली जाती है। क्या सरकार इसे भारत की राजभाषा स्वीकार करेगी? वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। यही बात अब हमारे साथ है।

यह कहा गया है कि दक्षिण में केवल मद्रास के ही कुछ लोग हिन्दी के विरुद्ध हैं। यह बात ठीक नहीं है। हाल ही में दक्षिण मद्रास संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में हुए उपचुनाव का उल्लेख किया जा सकता है। इस चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़्घम और कांग्रेस ने भाषा के आधार पर ही चुनाव लड़ा है। द्रविड़ मुन्नेत्र का कहना था कि भारत की राजभाषा अंग्रेजी होनी चाहिये और कांग्रेस ने कहा कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाया जाना चाहिये। इस चुनाव में कांग्रेस की ज़बरदस्त हार हुई थी।

उत्तर भारत में प्रादेशिक भाषा के समर्थकों के इरादे अच्छे नहीं हैं। वे प्रादेशिक भाषा का समर्थन करके एक शून्य उत्पन्न करना चाहते हैं और उस शून्य को हिन्दी से भरना चाहते हैं। यही उनका इरादा है। परन्तु हम ऐसा नहीं होने देंगे।

डा० गोविन्द दास ने कहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया है। यह विचित्र तर्क है। यदि इस बात को स्वीकार कर भी लिया जाये तो शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि अखिल भारतीय संस्थाओं में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनी रहें। परन्तु इसका परिणाम क्या निकलेगा? जिन छात्रों ने अपनी प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा मातृ-भाषा में ग्रहण की है, जब वे अखिल भारतीय संस्थाओं में जायेंगे, उन्हें बहुत कठिनाई होगी क्योंकि वहाँ पर केवल हिन्दी या अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगा। इसीलिये अखिल भारतीय संस्थाओं में सभी प्रादेशिक भाषाएँ शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी रहनी चाहिये। इसका केवल यही समाधान है।

शिक्षा आयोग ने स्कूल की शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। मेरे विचार में इस बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन के लिये पहले ही केन्द्रीय सरकार में 5000 या 6000 लोग कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए यह बोर्ड अनावश्यक है।

शिक्षा आयोग ने एक सम्मिलित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बनाने की सिफारिश की है। यदि भारत में भाषाओं की लिपि और बनावट एक जैसी हो तो इसे लागू किया जा सकता है। परन्तु हमारे देश में भाषाओं के दो समूह हैं अर्थात् द्रविड़ भाषा समूह और द्रविड़ से भिन्न भाषा समूह। यदि एक सम्मिलित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बनाई गई तो यदि वह केरल अथवा तामिलनाड में लागू की गई तो उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगी। इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है कि पाँच वर्ष के अन्तर्गत परिवर्तन का काम पूरा हो जाये। मैं अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा बनाने का समर्थन करता हूँ। परन्तु हमारे पास पाठ्य-पुस्तकें, धन आदि बहुत सी बातों की कमी है। माध्यम परिवर्तन का यह काम उप-कुलपतियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों, तथा राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिये। इस काम में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण): स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हम शिक्षा से सम्बन्धित कोई राष्ट्रीय नीति बनाने में असफल रहे हैं। आयोग के प्रतिवेदन में एक नया सुझाव दिया गया है कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त करके पड़ोस के स्कूल खोले जायें। यह एक अच्छा विचार है। आयोग का यह विचार ठीक है कि सभी लोगों को अनिवार्य रूप से सामान्य (common) स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने चाहिए। परन्तु संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को जिस स्कूल में चाहे भेज सकता है।

पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा होने के कारण ही इन स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि पड़ोसी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ तो पब्लिक स्कूल अपने आप ही बन्द हो जायेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि साधारण जनता के शिक्षा का स्तर अच्छा हो।

हमने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया है परन्तु स्कूलों की भारी कमी है। जहाँ छात्र हैं वहाँ न अध्यापक हैं और न पाठ्य पुस्तकें ही उपलब्ध हैं।

मंत्री महोदय कह सकते हैं कि वे अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं। परन्तु उनके लिए राशि कहाँ है? आपने पड़ोस के स्कूलों का उल्लेख किया। यदि पड़ोस के स्कूलों का स्तर अच्छा हो तो पब्लिक स्कूल अपने आप बन्द हो जायेंगे।

कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हैं। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि उनके हितों को सुरक्षित रखा जायेगा। इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिये। शिक्षा राज्यों की सूची में आती है। क्या केन्द्र के पास अधिकार हैं कि राज्य सरकारों से कहे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाये और यदि हाँ तो किस हद तक रखा जाये ?

यद्यपि उर्दू 10 करोड़ लोगों की भाषा है परन्तु इसकी सब स्थानों पर उपेक्षा हो रही है। जब तक उर्दू के प्रति आपका यह व्यवहार रहेगा, हिन्दी कैसे फले फूलेगी ? हमारे हिन्दी समर्थक हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए सब भाषाओं को दबाना चाहते हैं। हिन्दी से मुझे भी स्नेह है और मैं समझता हूँ कि केवल एक भाषा ऐसी है जो सारे देश की सम्पर्क भाषा बन सकती है। परन्तु प्यार से प्यार बढ़ता है। यदि आप दूसरों की भाषा से प्यार करोगे तो दूसरे हिन्दी भाषा से प्यार करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा पीठासीन हुईं

[Shrimati Lakshmi Kanthamma in the Chair]

दक्षिण में लोग हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि हिन्दी के बारे में जो धर्मान्धता है इसके विरुद्ध हैं। इसलिए हिन्दी के हिमायतियों को बड़ी सावधानी से चलना होगा।

क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से सब जगह फूट पड़ जायेगी। अब भी हिन्दी से अंग्रेजी में दो भाषाओं की आवश्यकता है। यदि सारी क्षेत्रीय भाषाओं को अपना लिया गया तो फिर सब भाषाओं के दुभाषियों की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार की कठिनाई उन विद्यार्थियों को होगी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जायेंगे। इसी प्रकार की कठिनाई पाठ्य पुस्तकों में होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा भी फिर न पा सकेंगे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का क्या होगा ? यदि केन्द्रीय शिक्षणालय भी खोले गए तो कितने और उनमें किस भाषा में पढ़ाई होगी ?

उन विद्यार्थियों के बारे में क्या होगा जिनकी मातृ भाषा उर्दू है। उर्दू के जानने वालों की संख्या बहुत है परन्तु उनके सिवाय एक वक्त के और कोई सुरक्षा नहीं दी है।

मैं अंग्रेजी के पक्ष में नहीं हूँ परन्तु आप हिन्दी को पिछले द्वार से नहीं लाइए बल्कि सामने के द्वार से लाना चाहिये। हिन्दी को देश की सरकारी भाषा माना हुआ है।

यदि आप हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों लाना चाहते हैं। वहाँ भी हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिये।

हमारे पास वैज्ञानिक विषयों के लिये पाठ्य पुस्तकें हिन्दी में नहीं हैं। हिन्दी से आज के विज्ञान के युग में विज्ञान की पढ़ाई में हम पीछे रह जायेंगे।

शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अनुपात एक तथा 40 का होना चाहिये। उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक भी नहीं हैं। यदि आप अध्यापकों के वेतन बढ़ा दें तो अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति इस कार्य में आवेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री इस पर विचार करें।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, whenever the government does not intend to do a thing, it appoints a commission on that issues. First of all a commission was appointed under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan but its recommendations have not been implemented. Now we have before us the report of Kothari Commission.

The Congress party always confuses the question of so-called regional languages which we call as Indian languages and make it appear as if development of Hindi language is against the development of those languages. English language is spoken barely by 2 per cent of the population. The rest of the population of India speak in their own mother-tongue e.g. Tamil, Marathi, Oriya etc. etc.

When the University education is imparted through the medium of English the result is that students instead of learning those subjects, learn only the English language. They do not learn mathematics, History, Geography but learn only English language. The result of that is that in the last twenty years or so we could produce only a few scientists like Dr. C. V. Raman. People quote Gandhiji in so many matters but about the language issue, Gandhiji was totally against the continuance of English language.

In the Constitution there was a provision that education would be given in the Indian languages after the expiry of 15 years of the promulgation of the Constitution. Now they want to increase this period for another five years. Thereafter they would as for another extension. The views of the SSP on this issue are that this should end immediately and education should be given through the medium of Indian languages.

Sometimes excuses are put forward that there are no standard text-books of Science in Hindi and other Indian languages. I want to say that first of all we should make our mind that are have to put it into practice. We should use our own languages in universities, in courts and other spheres. Hence the views of my party are against any extension in this matter.

In 1942 Gandhiji told the Britishers to quit India first and that Indians would settle among themselves other disputes. The same principle applies today in regard to English language. The English language should go first and then we would settle our own language problem.

In this connection I have met a few educationists like Dr. Satyen Bose and Dr. Putuppa who was previously the Vice-Chancellor of Mysore University. Both of them told me that education should be given through the medium of mother-tongue even upto university level.

My party does not want any imposition of Hindi on non-Hindi people. We only want education to be given through the medium of mother tongue i.e. through other Indian languages. Those who want to impose Hindi on non-Hindi people are the enemies of Hindi. We want the development of all Indian languages such as Tamil, Oriya, Bangla etc.

I want to congratulate the Bihar Government that they have introduced the rule that students who pass in other subjects but fail only in English will not be considered to be failed. The same bold step was taken in the Kashi Vidyapeeth.

English is spoken only by 40 to 50 crore people in the world out of a population of 300 crores. There is no international language.

It is also said that knowledge of science cannot be given without English language. But if you look at what happened in Japan this argument will not hold good.

I must congratulate the head of this Commission Dr. Kothari that he has mentioned about the inequality in the primary school education. Children of ordinary persons go to municipal schools. But those of rich parents go to fashionable schools located in Ooty and Dehra Dun. If the children of Ministers and other big people are to study in ordinary schools, the condition of those schools will improve.

About teachers participation in politics the Commission has made a good recommendation that they can take part.

The pay-scales of teachers should be improved so that they may not be looked down upon by B.D.Os and others.

I again repeat that my suggestions about medium of instruction may be accepted.

श्री तेन्नीटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : हमें इस चर्चा में इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने चाहिये जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक दूसरे को अदेशभक्त कहा जाता है। इस मामले पर हमें बड़े ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये। अभी मैं आँध्र में एक गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहा था। वहाँ दक्षिण के एक सदस्य ने कहा कि हिन्दी विकसित नहीं है। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि इससे हिन्दी भाषी लोगों के मन को ठेस लगेगी। हमें एक स्थान पर बैठकर एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिये।

हम एक राष्ट्रीय भाषा चाहते हैं और गलत या ठीक हम हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा मान चुके हैं। इसका दक्षिण में विरोध हो रहा है। फिर इस बात को मानना चाहिये। पहले अवधि 1965 तक की थी। आयोग ने इसे बढ़ा कर दस वर्ष कर दिया परन्तु संसत्सदस्यों की समिति ने इसे घटा कर 5 वर्ष कर दिया। एक अच्छे कार्य को जल्दी में खराब नहीं करना चाहिये। यदि पूरी कार्यवाही की भी जाती तो भी 15 वर्ष ऐसे कार्य के लिए कम थे।

भाषायें मरती नहीं हैं। इंगलैण्ड में लेटिन संसदीय तथा न्यायालयों की कार्यवाहियों में अब तक चल रही है। हैदराबाद में निजाम के राज्य की समाप्ति के बाद भी उर्दू चल रही है।

कई बार कुछ घटनाओं के कारण दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। मेरे दो मित्रों ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया परन्तु जब वे दिल्ली में एक नौकरी के लिये गए तो केवल इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि वे दक्षिण के रहने वाले थे। यदि आज हम एक भाषा को नहीं बोलते तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा करें।

शिक्षा का स्तर गिरने की बात की जाती है। परन्तु यह तो हमने स्वय ही गिरा रखे हैं।

यदि क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च न्यायालयों का कार्य आरम्भ कर दिया तो बड़ी कठिन स्थिति हो जायेगी।

अध्यापकों का दर्जा एक क्रान्तिकारी ढंग के बढ़ा देना चाहिये। हमें अच्छे चरित्र तथा बुद्धिमान व्यक्तियों को अध्यापक नियुक्त करना चाहिये। उनके वेतन के बारे में भी हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये। तभी हम एक अच्छे भविष्य की आशा रख सकते हैं।

राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : GOVERNORS OF STATES

श्री नाथापाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही का निरनुमोदन करती है कि वह राज्यों के राज्यपाल-पद को संविधान के समुचित प्रवर्तन का माध्यम न बना कर उसका उपयोग केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में कर रही है, जिसका उदाहरण बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में हाल ही की घटनाओं से मिलता है।"

कल मैंने इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव रखा था क्योंकि मेरा अब भी यह विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार के इस सम्बन्ध में व्यवहार की पूर्णतया निन्दा की जानी चाहिये। परन्तु अध्यक्ष महोदय के परामर्श पर हम एक मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सहमत हो गए हैं।

आशा है कि हम संसद में इसका महत्व बताने में सफल हो सकेंगे। न केवल राज्यपाल की स्थिति को ही दाँव पर लगाया गया है बल्कि देश की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हमारे लिये इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम संविधान तथा उसकी पवित्रता को बनाये रखना है। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के पूरे प्रश्न को ही दाँव पर लगाया गया है तथा सरकार ने अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण संविधान को अपमानित किया है।

राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान प्रथा और राज्यों के राज्यपालों के कामों, शक्ति और उत्तरदायित्व की व्याख्या, जैसी गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है, संविधान की भावना के प्रतिकूल है। संविधान सभा में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा तथा केन्द्र और राज्य के बीच कड़ी का कार्य करेगा। परन्तु यह बात हास्यास्पद है कि देश की भलाई के लिए सोची गई बात का दुरुपयोग एक पुराने दल के लड़खड़ाते हुए भाग्य को बनाये रखने के लिये किया जा रहा है। मालूम होता है कि जो पद देश की एकता को बनाये रखने के लिये स्थापित किया गया था, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सत्ताधारी दल के अयोग्य, हारे हुए और उपेक्षित राजनीतिज्ञों को शरण देने वाले पद में परिवर्तित कर दिया गया है।

संविधान में उपलब्ध है कि किसी राज्य के रायज्पाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों द्वारा की जायेगी। ऐसा राज्यपाल तथा राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच किसी झगड़े को रोकने के लिए किया गया था परन्तु अब उस पद की पवित्रता की उपेक्षा की जा रही है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श लेने की स्वस्थ परम्परा बनाई थी परन्तु श्री कानूनगो को बिहार का राज्यपाल बना कर इस स्वस्थ परम्परा का पालन नहीं किया गया है।

मेरा सुझाव है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल का पद तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिये जब तक कि संसद द्वारा उसकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं की जाती। गृह-कार्य मंत्री को संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी राज्यपाल किसी दल के अभिकर्ता के रूप में काम नहीं करता है। बिहार की लोकप्रिय सरकार पर ऐसा राज्यपाल थोपा गया, जिसका अनुमोदन वह नहीं करती है, तो उस राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करने के लिये भारत सरकार दोषी होगी।

जिस देश में राजनीतिज्ञों की ईमानदारी एक बेचे तथा खरीदे जाने वाली वस्तु बन गई हो तो स्वयं स्वाधीनता को खतरा पड़ जाता है। देश में आज यही कुछ हो रहा है और काँग्रेस ने ही ऐसी प्रथा आरम्भ की है। पिछले कुछ समय से हमारे राजनैतिक जीवन में दल बदलने की अस्वस्थ बातें विकसित हुई हैं। ऐसी प्रक्रिया के आरम्भ होने पर यह सुझाव दिया गया था कि दल बदलने वाले को सार्वजनिक जीवन से बाहर निकाल दिया जाये। परन्तु काँग्रेस ने यह सुझाव नहीं माना क्योंकि तब उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं था।

भारत के संविधान का समूचा ढांचा यह है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। जहां तक मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करने तथा विधान सभा को बुलाने का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय का मत यह है कि जिन मामलों में राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करना होता है, उनकी स्पष्ट व्याख्या की गई है और उससे आगे स्वविवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता परन्तु जब हम पश्चिमी बंगाल के मामले में देखते हैं कि राज्यपाल समझते हैं कि सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे का अब बहुमत नहीं रहा और इसलिये उनका मुख्य मंत्री से विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए कहना उचित है। यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है। श्री सन्थानम ने कहा था कि ऐसा होना बिल्कुल गलत है कि दल की घटी हुई अथवा बढ़ी हुई शक्ति की दिन प्रतिदिन की जानकारी रखना राज्यपाल का कर्त्तव्य समझा जाये। एक बार मंत्रिमंडल का गठन हो जाने पर यह निर्णय करना राज्य विधान सभा पर छोड़ दिया जाता है कि सरकार को सत्तारूढ़ रहना चाहिये अथवा नहीं। मंत्रिमण्डल को तब तक अल्पमत से ही सरकार चलाने से न तो कोई कानून और न ही कोई परम्परा रोकती है जब तक कि विधान सभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके अथवा आयव्ययक विधेयक को अस्वीकृत करके अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं करती। सरकार जनता का समर्थन न प्राप्त कर सकने पर राज्यपाल के द्वारा राज्य पर शासन करने का प्रयत्न कर रही है।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

ब्रिटिश राज्य काल में एक अनुदेश संलेख हुआ करता था तथा किसी राज्यपाल को पदासीन होने से पहले वह अनुदेश संलेख दिया जाता था परन्तु अब राज्यपाल को अनुदेश देने का काम गृह-कार्य मंत्री की सुविधा पर छोड़ दिया गया है और उनकी इच्छाओं तथा राजनैतिक पक्षपात के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। क्या राज्यपाल ने के संवैधानिक महत्व के पद को दिल्ली में अधिकार प्राप्त किसी व्यक्ति की बदलती हुई राजनैतिक निष्ठाओं के अधीन छोड़ देना चाहिये। यदि इसे आवश्यकताओं तथा सत्ताधारी दल की राजनैतिक प्राथमिकताओं के अन्तर्गत रखा जाये तो न केवल लोकतान्त्रिक व्यवस्था का एक स्तम्भ नष्ट हो जावेगा बल्कि पूरी व्यवस्था ही नष्ट हो जायेगी।

यदि संविधान तथा विधि का समूचा ढांचा ठीक न चले तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु आज स्थिति बिलकुल भिन्न है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मानक अपनाये जा रहे हैं। राजस्थान, बंगाल, काश्मीर, महाराष्ट्र तथा बिहार के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मानक नहीं अपनाये जाने चाहियें। एक प्रकार के ही मानक लागू किये जाने चाहिये क्योंकि मानक की समानता से संविधान को नई शक्ति प्रदान होती है। लोकतन्त्रात्मक मूल्यों का संरक्षण तथा संविधान हमारी सब से बड़ी बिरासत हैं। किसी व्यक्ति को इन के साथ छेड़-छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री मो० क० मसानी (राजकोट) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव में,—

"जिसका उदाहरण बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में हाल ही की घटनाओं से मिलता है"

शब्द निकाल दिये जायें। (1)

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बदरुद्जा (मुर्शिदाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भाषण दिये गये हैं तथा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि बिहार तथा बंगाल के राज्यपालों को वहाँ की विधान सभाओं की बैठक न बुलाने के लिये बाध्य किया जाये (अन्तर्बाधा)।

इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इन दो राज्यों के राज्यपालों से सत्ताधारी दल के एजन्ट का काम ले रही हैं। मेरे विचार में इसमें हरियाना का नाम भी जोड़ लिया जाना चाहिये था। वहाँ पर ऐसी घटनाएँ हो रही है जिनसे संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आघात पहुँचता है। वहाँ जब भी किसी सदस्य ने दल बदला है, राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सलाह पर उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहा गया है। **(व्यवधान)**

मुख्य मंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिये राज्यपाल तभी तक बाध्य है जब तक वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु जब वह बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता तब उसे राज्यपाल को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मुख्य मंत्री की सलाह को मानने के लिये राज्यपाल इसलिये बाध्य होता है क्योंकि वह बहुमत का प्रतिनिधि होता है। जब मुख्य मंत्री बहुमत का प्रतिनिधि नहीं रहता तो संविधान उसे बहुमत का आदेश मानने के लिये कहता है और न कि अल्पमत का जिसका प्रतिनिधित्व इस समय वर्तमान मुख्य मंत्री कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सत्ता का उदाहरण देना उचित नहीं है जब पश्चिम बंगाल में कोई भी समानान्तर दल सदस्यों की लगभग समान संख्या वाले नहीं हैं और जहाँ पर छोटे छोटे 14 दलों ने मिलकर बहुमत बनाया है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी फ्रांस में दि गाल द्वारा सत्ता सम्भाल लेने से पहले थी, परन्तु न तो वहाँ कभी विधान सभा का विघटन हुआ और न हीं सम्मिलित दलों के विघटन के फलस्वरूप प्रधान मंत्री की सलाह ली गई है।

बिहार में राज्यपाल की कृपा दृष्टि के कारण ही इतनी देर तक बिहार की सरकार चलती रही है। परन्तु नये राज्यपाल की नियुक्ति पर उनके मन में भय उत्पन्न हो गया है जो अब तक अल्पमत होने पर भी सरकार चला रहे हैं। अब वे सोचते हैं कि यदि राज्यपाल कृपालु न हुए तो वह विधान सभा की बैठक बुला सकते हैं।

1 सितम्बर, 1967 को संयुक्त विधायक दल के नेता त्याग पत्र देने ही वाले थे क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया था कि उनके कुछ साथी अपने दल के प्रतिनिधि नहीं रहे। परन्तु बाद में उनके सहयोगियों ने उन्हें त्यागपत्र न देने के लिये सहमत कर लिया। इतना होते हुए भी कांग्रेस दल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे गद्दी के साथ चिपके रहते हैं।

आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री पर कई प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। जब खाद्य मंत्री श्री घोष का मंत्रिमंडल में रहना कठिन हो गया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ ही 17 अन्य सदस्यों ने भी शायद त्याग-पत्र दे दिया है। इतने लोगों का समर्थन खोने के फलस्वरूप राज्यपाल ने सरकार को शक्ति परीक्षा के लिये कहा। क्या यह बात असंवैधानिक है? शक्ति परीक्षा का प्रश्न इस लिये पैदा हुआ क्योंकि मुख्य मंत्री ने उन लोगों के हस्ताक्षरों में संदेह व्यक्त किया, जो

कुछ दिन पूर्व उनका समर्थन करते थे। राज्यपाल ने जब मुख्य मंत्री को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि "मैं अपने सहयोगियों से सलाह कर लूँ।" फिर सलाह करने के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि वे वसूली के काम में बहुत व्यस्त हैं और वे अभी विधान सभा की बैठक नहीं बुला सकते। वे स्थान-स्थान पर कांग्रेस तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध इस प्रकार के नारे लगाते रहते हैं कि वे कलकत्ता में खून की नदियाँ बहा देंगे (व्यवधान)। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया कि यदि उद्योगों का घेराव किया जाये तो पुलिस तथा मजिस्ट्रेट उसमें हस्तक्षेप न करें। इस आदेश के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में विचार हो रहा था। मैंने न्यायालय में कहा था कि ये मंत्री संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं। न्यायालय के बाहर मेरे विरुद्ध नारे लगाये गये जिससे हम इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में आवाज़ न उठा सकें। फिर उसके अगले दिन उच्च न्यायालय का घेराव किया गया। वहाँ पर संविधान का शासन न होकर उत्तेजित जन समूह का शासन है। इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में तथा बिहार में सरकार का बहुमत नहीं रहा। मैंने राजस्थान के विषय में भी कहा था कि यदि राज्यपाल यह समझते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का बहुमत नहीं रहा तो उन्हें बहुमत के नेता को मुख्य मंत्री बना देना चाहिये। मैंने यह बात सभा में कही थी।

हमारा विश्वास उस संविधान में है जिसके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों की बात सुनी जा सकती है और बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जा सकते हैं। जो इस प्रकार की व्यवस्था को पसन्द नहीं करते वे यदि राज्यपाल को बाधक समझते हैं तो उस पर भी दोषारोपण करते हैं। बिहार में राज्यपाल ने अभी कार्यभार नहीं सम्भाला परन्तु वहाँ की सरकार को डर इस बात का है कि कहीं राज्यपाल विधान सभा की बैठक न बुला लें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहाँ के मुख्य मंत्री को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये कहा है। संविधान के अन्तर्गत यही बात सम्भव है। जहाँ राज्यपाल के विचार में मुख्य मंत्री बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता वहाँ राज्यपाल की शक्ति ही नहीं, कर्तव्य भी है कि वह मुख्य मंत्री की सलाह की अवेहलना करके बहुमत वाले दल को सरकार बनाने के लिये कहे। राज्यपाल जिस दल की सरकार बनाने के लिये कहता है यदि उसका बहुमत नहीं है और अन्य कोई दल भी सरकार बनाने में असमर्थ है तो उस सभा का विघटन कर देना होगा और राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ेगा।

श्री नाथपाई ने कहा है कि अन्ततोगत्वा जनता का प्रभुत्व तथा इच्छा ही निर्णायक है। यह बात ठीक है। परन्तु क्या विधान सभा की बैठक न बुला कर जनता के प्रभुत्व तथा इच्छा का पता चल सकता है? बल्कि इसका पता तो विधान सभा की बैठक से ही चल सकता है। उन्होंने कहा कि इसका पता अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से चल सकता है परन्तु यह भी तभी हो सकता है जब विधान सभा की बैठक बुलाई जाये।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : बिहार के सम्बन्ध में केवल एक ही प्रश्न उठाया गया है और वह यह कि क्या राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सलाह ली गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के मुख्य मंत्री को राज्यपाल के लिये एक ही नाम भेज कर संविधान के उपबन्धों की अवहेलना की गई है। इस सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक ओर तो राष्ट्रपति स्वविवेक से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके साथ-साथ संवैधानिक औचित्यों की बात भी है। इनके अनुसार राज्य सरकार को इच्छाओं को जानने का सच्चे मन से प्रयत्न किया जाना चाहिये परन्तु राज्य सरकार को निषेधाधिकार (वीटो) नहीं दिया जाना चाहिये।

यदि बिहार के मुख्य मंत्री को केवल एक ही नाम भेजा गया है और उसने उस नाम के प्रति असहमति प्रकट की है तो मेरे विचार में संवैधानिक उपबन्धों का पालन नहीं हुआ।

जहाँ तक बंगाल की स्थिति का सम्बन्ध है, वहाँ की स्थिति कुछ समय से बड़ी गम्भीर है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक जीवन प्रायः समाप्त हो गया है। परन्तु फिर भी मेरे विचार में जब तक पश्चिम बंगाल सरकार का विधान मंडल में बहुमत है तब तक राज्यपाल न तो कुछ कर सकता है और न ही उसे कुछ करना चाहिये। राज्यपाल ने बिल्कुल संवैधानिक रूप में उस स्थिति को सहन किया। परन्तु जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो पहले मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र देने का निश्चय किया और फिर त्यागपत्र न देने का निश्चय किया। उसके बाद श्री घोष तथा उनके कुछ साथियों ने वर्तमान मुख्य मंत्री को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया।

श्री नाथपाई ने राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया है। राज्यपाल द्वारा यह शपथ ली जाती है कि वह संविधान की मर्यादा को बनाये रखेंगे। परन्तु क्या अल्पमत प्राप्त मुख्य मंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को अनिश्चित काल तक चलने देने से संविधान की मर्यादा कायम रहेगी? आज उन 14 सदस्यों पर आतंक छाया हुआ है। मेरे विचार में राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को विधान सभा का अधिवेशन बुलाने का जो सुझाव दिया है वह बिल्कुल संवैधानिक है। बल्कि मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल विधान सभा की बैठक न बुलाने का निर्णय असंवैधानिक है।

जहाँ तक राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार तथा मुख्य मंत्री के बीच सम्बन्धों की बात है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि गत चुनावों से उत्पन्न स्थिति के आरम्भ से केन्द्रीय सरकार की यह मनोवृत्ति रही है कि वह राष्ट्रपति तथा मुख्य मंत्री के स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर्तव्यों में भी अपने दल के विचारों को लादने और दल की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करती रही है। केन्द्र सरकार को जो नहीं करना चाहिये उसका उदाहरण राजस्थान में है। मेरे विचार में राजस्थान के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार के कहने पर तथा दलगत उद्देश्यों के विचार से वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिये राष्ट्रपति को जो सलाह दी वह बिल्कुल असंवैधानिक थी।

जहाँ तक संवैधानिक समस्या का सम्बन्ध है, इस समस्या के तीन भाग किये जा सकते हैं। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति स्वविवेक से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। परन्तु इस पद पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिये। राजनैतिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति इस पद पर नहीं की जानी चाहिये। मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि यद्यपि राष्ट्रपति स्वविवेक से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। परन्तु यदि वह मुख्य मंत्री को निषेधाकार दिये बिना, उनकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करें तो अच्छा होगा। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वे किसी परिभाषा में बंधी नहीं हैं। परन्तु राज्यपाल को संवैधानिक दृष्टि से कुछ उद्देश्यों तथा दायित्वों का पालन करना होता है। केन्द्रीय सरकार के दायित्वों तथा राज्य सरकार के दायित्वों के सम्बन्ध में संविधान में दो अनुच्छेद 256 और 257 दिये गये हैं। इस बारे में भी अनुच्छेद है कि यदि राज्य सरकार संवैधानिक ढंग से नहीं चल सकती तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसलिये मैं यह नहीं कहता कि राज्यों में केन्द्रीय सरकार का कोई कार्य ही नहीं है। केन्द्रीय सरकार का काम यह देखना है कि क्या राज्य सरकार देश की सुरक्षा का ध्यान रख रही है या किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था है या नहीं है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की स्थिति का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है। परन्तु हमें यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये कि राज्यपाल की स्वविवेकीय विशाल शक्तियों का केन्द्रीय सरकार अपने दल के उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग नहीं करेगी।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Our democracy and Constitution is on trial. So far the disputes of States used to be settled on party level but after the recent general elections non-Congress Governments have come into power in several States. Now we should establish healthy conventions and interest of the country should be supreme instead of party interests. Our Constitution is a federal constitution and the Governor holds a very important position. It is true that the Governor is a representative of the Central Government but at the same time, he is the head of the State in which he is posted. In view of this he is an important link between Centre and the State. This link can be more effective only if he functions within the Constitution. The Governor cannot use his discretion to convene the Assembly or to dissolve it.

All of us agree that the meeting of the Legislative Assembly should be called by the Chief Minister. It has been asked that if the Chief Minister does not call the meeting of the Legislative Assembly, what should the Governor do: It has been clearly stated in the Constitution that the meeting of the Legislative Assembly should be convened within six months. In case the Congress party feels that this period should be reduced they can move an amendment to the Constitution. But as the position stands at present the Chief Minister cannot be forced to call the meeting of Legislative Assembly It is for the Legislative Assembly to decide whether the Government enjoys the support of majority or not ? It cannot be left to the Governor. We agree that the Governor should consult the Chief Minister with regard to the convening of the meeting of the Legislative Assembly. But at the same time no Chief Minister, who did not command the majority, should continue. We have been supporting the Haryana Government and we have asked the Chief Minister to face the State Assembly. The Chief Minister of West Bengal has not refused to call the meeting of the Legislative Assembly. He is prepared to call the meeting on 16th December 1967. He can be asked to call the the meeting early but it should be done on political level. The Governor should not be allowed to behave like a dictator. We should not deal with such a situation by keeping in view the party interests. We should maintain the sanctity of our Constitution.

A convention should be established that if necessary, members of the Legislative Assembly should approach the Speaker to call the meeting of the Assembly and he should do so in consultation with the Chief Minister. It has been observed that Governors have always been taking decisions in favour of the Congress party. It has been suggested that the appointment of Governors should be ratified. This suggestion is not good because it would mean ratification by majority party. We are not in favour of discussing the merits and demerits of the appointees. The suggestion that the Central Government should appoint the Governors in consultation with the leader of the opposition in Parliament is not practicable in the present circumstances. It has also been said the President should not consult the Central Government in the appointment of Governors but he should use his own discretion in making such appointments. I want to know whether it is not possible for the Central Government to suggest more than one name before the concerned Chief Minister and let him select one of them as Governor.

The Central Government should work with the cooperation of the non-Congress Governments in the States. In case we do not follow this, our democracy would be in danger.

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैं यह महसूस करता हूँ कि राज्यपालों की शक्तियों का और स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये विशेष कर ऐसी परिस्थितियों में जबकि केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों का शासन है। अब प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार कार्यवाही की है या अपने दलगत हितों के लिये संविधान के किसी सिद्धान्त का उल्लंघन किया है ?

संविधान के अनुसार राज्यपाल की कालावधि 5 वर्ष है, इस अवधि को सरकार भी न कम कर सकती है और न बढ़ा सकती है। बिहार के जो राज्यपाल इस समय हैं, उन्होंने अपने पाँच वर्ष पूरे कर लिये हैं और यदि इस अविधि को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है तो यह असंवैधानिक बात होगी। हमारे मित्र श्री चटर्जी ने कहा है कि ऐसे उदाहरण हैं परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही असंवैधानिक है ।

यह बात ठीक है कि बिहार के मुख्य मंत्री से परामर्श किया गया है परन्तु परामर्श का अर्थ निर्णय नहीं है। परामर्श करने के बाद सरकार को यह भी देखना है कि क्या जो राय दी गई है, वह संविधान में उपबन्धों के अनुसार है या नहीं है। इस मामले में बिहार के मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को कहा है कि वर्तमान राज्यपाल अनिश्चित काल तक कायम रहें, परन्तु संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है।

जहाँ तक श्री कानूनगो का सम्बन्ध है उन्होंने अभी पाँच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है और इसलिये उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में नियुक्त करना पूर्णतया संवैधानिक है।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 174 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल को विधान सभा की बैठक बुलाने का अधिकार है या नहीं हैं। राज्यपाल केवल रबड़ की मोहर मात्र नहीं है। वह राज्य का प्रमुख तथा कार्यांग का भी प्रमुख है। फिर अनुच्छेद 168 के अनुसार वह विधान मंडल का अंग भी है और यदि इस नाते से यदि वह विधान मंडल में रुचि लेता है तो उनकी कार्यवाही उचित तथा संवैधानिक है। साथ ही अनुच्छेद 174 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल को संविधान सभा की बैठक बुलाने का अधिकार है।

प्रस्तुत मामले में पश्चिम बंगाल की विधान सभा में विरोधी पक्ष ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि विधान सभा में उनका बहुमत है परन्तु वहाँ के मुख्य मंत्री कहते हैं कि उनका 'बहुमत' है। राज्यपाल को इस कठिन स्थिति में एक निष्पक्ष निर्णय लेना है। ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रत्येक मुख्य मंत्री को अपनी इच्छा के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये तो संविधान भंग हो जायेगा। इसलिये सही स्थिति का पता लगाने के लिये विधान मंडल की बैठक बुलाना आवश्यक है क्योंकि तभी राज्यपाल एक निष्पक्ष निर्णय कर सकता है।

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड): अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति काँग्रेस दल के हितों के लिये की गई है न कि बिहार की जनता के हितों की रक्षा के लिये।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल की स्थिति का सम्बन्ध है, जब राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये कहा था और मुख्य मंत्री ने कहा था कि इस मामले में थोड़ा समय लगेगा तो राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह मान लेनी चाहिये। मुख्य मंत्री भी राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि है इसलिये उसकी राय पर भी विचार करना चाहिये। राज्यपाल को मुख्य मंत्री पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिये। संविधान की बार-बार दुहाई दी जाती है परन्तु उसका अनुसरण नहीं किया जाता ।

किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में वहाँ के मुख्य मंत्री से सलाह लेनी चाहिये। राष्ट्रपति को केन्द्र सरकार के सत्ताधारी दल की सुविधा का ध्यान रखकर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। जो गलती बिहार के सम्बन्ध में की गई है वह दोबारा नहीं की जानी चाहिये। राज्यपाल को राज्य की जनता के हित का ध्यान रखना चाहिये और जनता के हित की खातिर उसे लोकतंत्र का संरक्षक होना चाहिये। राज्यपाल का पद एक सम्मानित पद है। उसे राज्य के मामलों

में और विशेषकर दलगत राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में राज्यपालों को उत्साहित नहीं करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अपने निर्णय को बदल देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति को सलाह देनी चाहिये कि वह बिहार के राज्यपाल को वापिस बुला लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल की विधान सभा में वर्तमान सरकार का बहुमत है या नहीं। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता ने यह राय दी है कि किसी विधान मंडल या सभा की बैठक केवल मंत्रिमंडल की शक्तिपरीक्षा के लिये नहीं बुलाई जाती। विधान मंडल की बैठक अपने सामान्य कार्य के लिये बुलाई जाती है। ऐसा होने पर कोई गैर सरकारी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और तभी शक्तिपरीक्षा का प्रश्न होता है। इस प्रकार केवल शक्ति परीक्षा के लिये विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती।

दूसरी बात यह है कि क्या राज्यपाल को इस बात का विश्वास है कि वर्तमान सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है ? उनके अपने ही वक्तव्यों से यह बात सिद्ध नहीं होती। उन्होंने स्वयं कहा है कि इस बात का संदेह है कि विधान सभा में वर्तमान सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इसी संदेह के आधार पर वह विधान सभा की बैठक बुलाना चाहते थे। संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना चाहिये। उन्हें सलाह देने का कोई अधिकार नहीं। राज्य में बदलती हुई राजनीतिक शक्ति का पता लगाना राज्यपाल का काम नहीं है। यदि सरकार ने विधान सभा की बैठक बुलाने से इनकार कर दिया होता तो हम राज्यपाल की कार्यवाही को ठीक समझ सकते थे। विधान सभा की बैठक बुलाने की केवल तारीख के सम्बन्ध में मतभेद है।

एक और बात समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुई है कि जब हाल ही में राज्यपाल दिल्ली में थे तो भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने उन्हें सलाह दी है कि यदि वह संतुष्ट हों तो वह सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि यह सलाह दी गई है या नहीं। परन्तु निश्चय ही मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह तो केवल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

आज राजनैतिक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और इस संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहना राज्यपालों को संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उत्तेजित करना है। अब समस्त देश में एक ही दल का शासन नहीं है अब उस दल की शक्ति क्षीण होती जा रही है।

हमें यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल में 14 दलों की मिली जुली सरकार है और 6 महीने के अन्दर ही समाप्त हो जायेगी। यदि यही बात है तो फिर इन्हें जल्दी करने की क्या आवश्यकता है ? वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस मंत्रिमंडल को हटाने के लिये कई बार प्रयत्न किये गये। पिछले महीने वहाँ के मुख्य मंत्री को यह कहा गया कि चीन का आक्रमण होने वाला है। परन्तु इन प्रयत्नों में इन्हें सफलता नहीं मिल सकी।

वसूली के बारे में बहुत शोर मचाया गया था। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल सरकार की वसूली सम्बन्धी नीति की सराहना की थी। इस कार्यक्रम में हमने 10 लाख टन अनाज की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक वसूली का अधिकतम लक्ष्य 5 लाख टन रहा है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये बहुत बड़ी व्यवस्था करनी होगी। यदि कार्यक्रम क्रियान्वित हो गया तो पहली बार जोतदार अनाज जमा नहीं कर सकेंगे। परन्तु मिदनापुर

तथा 24 परगना जिलों में कांग्रेस समर्थक जोतदार किसानों को भड़का रहे हैं कि वे सरकार को बिल्कुल अनाज न दें। यहाँ से खाद्य मंत्रालय यह कह कर उन्हें और भी भड़काता है कि यहाँ से इस सीमित मात्रा से अधिक चावल सप्लाई नहीं किया जा सकता। यदि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो केन्द्रीय सरकार को अनाज सप्लाई करके राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये परन्तु केन्द्र सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है। हावड़ा स्टेशन पर हजारों टन दालें जमा पड़ी हैं और उन्हें छुड़ाया नहीं जा रहा। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये थे कि नियमों में कुछ संशोधन करना होगा जिससे जमा हुई दालें छुड़ा ली जायेंगी। उन्हें जब्त कर लिया जायेगा और वे सस्ते दर पर बेची जा सकेंगी। परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई सहमति व्यक्त नहीं की गई। यदि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया तो चोर बाज़ारी करने वालों की कमर टूट जायेगी और इस सरकार को हटाने की सभी आशाओं पर पानी फिर जायेगा। इसीलिये यह अनावश्यक जल्दी हो रही है। यह एक षड्यंत्र है और राज्यपाल इस षड्यंत्र की कठपुतली बना हुआ है।

यदि इस सरकार को बर्खास्त करने के लिये अनुचित तरीके अपनाये गये तो उसे सहन नहीं किया जायेगा। इसलिये सरकार को इस प्रकार की जल्दबाजी करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही से देश में असंतोष फैल जायगा।

श्रीमती सुचता कृपलानी (गोंडा) : यह आरोप बिलकुल गलत है कि केन्द्रीय सरकार अपने दलगत उद्देश्यों के लिये राज्यपालों का प्रयोग कर रही है।

जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है मेरे विचार में ऐसा कोई संवैधानिक उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के लिये मुख्य मंत्री का परामर्श आवश्यक हो। परन्तु सुचारु रूप से प्रशासन के लिये यह उचित है कि मुख्य मंत्री से परामर्श कर लिया जाये। यह एक अच्छी परम्परा बन गई है जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस मामले में श्री महामाया प्रसाद के साथ परामर्श किया गया था। उन्होंने श्री अय्यंगार की कालावधि बढ़ाने के लिये कहा था जिसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने केन्द्रीय सरकार की इस कालावधि को 7 महीने और बढ़ाने के लिये कहा परन्तु इससे केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं हुई। केवल इतनी ही बात है। यह कहना उचित नहीं कि केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्री के परामर्श के बिना ही उन पर कोई राज्यपाल थोपने का प्रयत्न कर रही है। मेरे विचार में इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है।

दूसरा मामला बंगाल का है। वास्तव में मिली जुली सरकारोंकी कई कठिनाइयाँ हैं। उनमें से एक कठिनाई हमें यह दिखाई देती है कि इन सरकारों के कुछ घटक-दल सरकार में भी सम्मिलित होना चाहते है तथा साथ ही आंदोलन भी जारी रखना चाहते हैं। आज यही स्थिति पश्चिम बंगाल में हैं। इससे मुख्य मंत्री बड़े परेशान हैं। उनको कांग्रेस या केन्द्रीय सरकार परेशान नहीं कर रही बल्कि उनकी सरकार के कुछ घटक-दल ही उनको परेशानी के कारण हैं। वहाँ एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी जिसके बारे में सारा भारत चिन्तित हो गया और यहाँ सभा में भी उस स्थिति पर काफी चर्चा की गई थी। इसके पश्चात् स्थिति फिर इतनी बिगड़ी कि मुख्य मंत्री त्यागपत्र देने के लिये तैयार हो गये। उसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों से परामर्श किया और त्यागपत्र न देने का निश्चय किया। फिर मंत्रिमण्डल में एकता प्रदर्शित करने के लिये एक सम्मेलन किया गया। परन्तु उसमें भी कुछ आरोप लगाये गये। एक आरोप यह था केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल तथा पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल ने संयुक्त विधायक दल की सरकार को हटा देने का षड्यंत्र रचा है। इसका उत्तर मुख्य मंत्री ने दिया कि सभी घटनाओं के लिये वह स्वयं उत्तरदायी हैं। उन्होंने

बंगला कांग्रेस के साथ परामर्श करने के बाद त्यागपत्र देने का निश्चय किया। व्यापक गड़बड़ के विरुद्ध बचाव की कार्यवाही के लिये उन्होंने सेना को सतर्क किया तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त पुलिस सहायता भी माँगी। उन्हें स्वयं वहाँ दंगे फसाद होने का डर था। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति के बावजूद सभी दलों ने उन्हें मुख्य मंत्री पद पर बने रहने के लिये कहा।

मुख्य मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि चीन को खुला आमंत्रण दिया गया। क्या वे यह आशा करते हैं कि जो लोग चीन को आमंत्रित करने की नीति में विश्वास रखते हैं वे अपना सहयोग देने के लिये उस नीति को त्याग देंगे ? इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या है ? यह केवल बंगाल का ही नहीं, समस्त भारत की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती। बल्कि हमने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें यह कार्यवाही बहुत पहले करनी चाहिये थी जिससे यह स्थिति पैदा ही न होती। मुख्य मंत्री ने चीन के निमंत्रण वाली बात मंत्रिमंडल में नहीं, बल्कि जनता के सामने कही। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में बहुत अधिक संतोष किया है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल का आचरण उचित था या अनुचित ? वहाँ के विरोधी दलों ने राज्यपाल को सूचित किया कि वर्तमान सरकार को अब बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। राज्यपाल ने इस स्थिति का सही अनुमान लगाने की कोशिश की। फिर उन्होंने वर्तमान सरकार के बहुमत का पता लगाने के लिये मुख्य मंत्री को सलाह दी कि वह विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र बुलायें।

अब मध्य प्रदेश का प्रश्न है। यह कहा गया था कि हमें अस्थायी रूप से अपने दलों के प्रति निष्ठा को भूल जाना चाहिये। मध्य प्रदेश के मामले में हममें से बहुत से सदस्यों ने ऐसा ही किया था। श्री डी० पी० मिश्र ने, जो एक बहुत ही शक्तिशाली मुख्य मंत्री थे, राज्यपाल को सलाह दी थी परन्तु हमने कहा था कि राज्यपाल को उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहिये। एक सप्ताह के भीतर विधान सभा की बैठक बुलाई गई और श्री मिश्रा को निकाल बाहर किया गया। आज पश्चिम बंगाल में भी जिस व्यक्ति का अल्पमत रह गया है, वह राज्यपाल को सलाह देना चाहता है और यदि राज्यपाल उसकी सलाह को नहीं सुनता तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने संविधान में उल्लिखित उपबन्धों का पालन नहीं किया मध्य प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी हमें विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिये। एक ओर तो वे विधान सभा की बैठक थोड़े से दिनों के लिये भी इस आधार पर बुलाने के लिये तैयार नहीं कि वसूली के कार्यक्रम में बाधा पड़ेगी परन्तु दूसरी ओर वे 15 तारीख से आन्दोलन के लिये आह्वान कर रहे हैं। अन्दोलन और प्रत्यान्दोलन वसूली के कार्यक्रम में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं ? यदि किसी का बहुमत समाप्त हो गया है तो उसे तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिये। वे विधान सभा का अधिवेशन इसलिय देर से बुलाना चाहते है क्योंकि आजकल सदस्यों को प्रलोभन आदि देकर, डरा-धमकाकर, उन्हें बन्द करके या गायब करके समर्थन प्राप्त करने का रिवाज-सा बन गया है। वे इन चालों को अपनाना चाहते हैं। इसलिये हमें इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Congress party is treating the Constitution just like a football and giving different interpretations to suit their own convenience.

Shri Ashok Sen has said that the ultimate judgement of any action of the State Government must be given by the State Legislature.

Shri Ashok Sen has given contradictory statements about this question.

A few days ago there was the Governor's Conference and it was stated there that the Governor can dismiss a minority government if on the basis of any material information available to him, he finds that the ruling party has lost its majority. He can act in the absence of the verdict of the Legislative Assembly. This interpretation of the constitutional position, of inmense significance in the context of the current West Bengal developments, was given by a spokesman of the Law Ministry today.

The Governor has to act on the advice of the Chief Minister. About the meeting of the Legislature, it is the Chief Minister who has to decide as to when the same was to be convened.

Mr. Speaker, if you follow the provisions of the Constitution in an impartial manner there would be no difficulty.

Article 164 of the Constitution says that the Chief Minister shall be appointed by the Governor and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor. Does it mean that the Governor can remove the Chief Minister or the President can remove the Prime Minister ? Side by side there is a mention in the Constitution that the Council of Ministers shall be responsible to the Legislative Assembly. Hence the Central Government cannot decide about it. It will have to be decided by the State Legislature. Sir, during the months of July and August an effort was made to remove the non-Congress Governments. Constitution also provides that there cannot be a gap of six months between the two sessions. Have six months elapsed since the West Bengal Legislative Assembly was in session ?

In Article 160 of the Constitution it is mentioned that the President may make such provisions as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter. Now 17 years have passed since the Constitution came into force but no provision has so far been made nor these have been placed on the table of the House. Deliberately they are not making use of Article 160 of the Constitution.

Situation in Haryana has changed many times but they have not taken any action against the Haryana Government. I read a statement of Rao Birendra Singh saying that he wants a non-Congress government in Haryana but at the Centre he would like Smt. Indira Gandhi and Shri Y. B. Chavan in power. Is it due to this that you have different yardsticks for Haryana and W. Bengal ?

I remember that in Rajasthan the Governor, Shri Sampurnanand, asked the legislators for the meeting of the Assembly. But here the situation is quite different. It is because the Congress was in difficulty there. About Madhya Pradesh too the Chief Minister Shri D. P. Mishra had to go because Parliament was in session then and the Home Minister had to make a statement in the Lok Sabha on Monday then. Sir, I am of the opinion that we definitely want the Congress to go and a change should come but we do not want the Government to be power-hungry, we want it to be work-oriented. About the West Bengal Government I welcome their step for nationalising the Tramway Company. If the Government has to remove the West Bengal Government, it should be done in a democratic manner. I want to warn the Home Minister that he should not make use of the army for this work, otherwise he would be taking the country the way in which it was done in Pakistan by General Ayub Khan. If the people there want to remove the Government, let them do so but you should not take any step whereby democracy is strangled in this country.

Shri Prakash Vir Shsatri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, I would have no objection to vote for this motion if it had condemned the Central Government for using the Governors as agents of the Central Government. But I an not in favour of the next lines in the motion.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं

(Shrimati Lakshmikanthamma in the Chair)

Sir there is a convention that the views of the Chief Minister of a State are also ascertained before somebody is appointed as the Governor of that State. If that is the case,

why it is not being so done in the case of Bihar ? The present Governor of Bihar is a person who has presided over this House for a long period of 8 years and is a very well-versed person but now you are retiring him whereas you are appointing there a person as Governor who is not acceptable to the people of Bihar. Is it a fact that Shri Kanungo had expressed a desire to be sent nearer his home ? To impose such a Governor on the people of Bihar will be a very unhealthy convention. A member of this House, Shri Humayun Kabir has stated that the present Government of West Bengal cannot remain in power there for long Shri Ajoy Mukherjee on the one hand has promulgated Section 144 in Calcutta but he himself is violating the same when he takes part in an agitation in front of the Legislative Assembly there. I am not concerned much about the date for convening the session of the Assembly but if Shri Ajoy Mukerjee feels that he has got clear majority in his favour. he should convene the session of the Assembly at an early date. After the vote of the Assembly whatever action is desirable may be taken.

I want to invite your attention to the condition prevalent in Jammu and Kashmir. In the guise of Congressmen the Communists are very active there. If you take a similar action in Jammu and Kashmir as you propose to take in West Bengal, then only the action of the Central Government will be considered to be impartial. I want Congress to go but while going it should create good conventions.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (राथगंज) : मैं श्री नाथपाई से सहमत हूँ कि संविधान का पालन होना चाहिये। परन्तु आपने देख लिया है कि जब कोई सदस्य इस ओर से बोलने को खड़ा होता है तो विरोधी दल का एक पक्ष उन्हें बोलने नहीं देता। हम तो उनको बड़ी शान्ति से सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का पालन किया जाये।

मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें पता है कि आज पश्चिमी बंगाल में क्या स्थिति है ? वहाँ स्थिति एक भयंकर रूप धारण करती जा रही है।

यहाँ दिल्ली में ही श्री अजय मुखर्जी से समाचार पत्र वालों ने पूछा था कि वहाँ क्या स्थिति है तो उन्होंने स्वयं कहा था कि "संभवतः मेरा बहुमत नहीं रहा है"। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर वह शक्ति में क्यों हैं ? अभी दो तीन दिन पूर्व उसके दल के हज़ारों कार्यकर्त्ताओं ने राज भवन का घेरा डाल दिया। वहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी। यदि मंत्री ही स्वयं ऐसा करेंगे तो फिर जनता क्या करेगी ? वहाँ के एक मंत्री ने कहा कि यदि सभा में हमें हटाने का एक प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आप सब सभा का घेरा डाल दो। गृह कार्य मंत्री इस बात की पुष्टि कलकत्ता के समाचार पत्रों से कर सकते हैं। वहाँ के एक अन्य मंत्री ने कहा कि जो हमारे विरुद्ध हैं उन्हें अपनी जान का खतरा है। ये शब्द श्री हरी कृष्ण कोनार ने कहे जो वहाँ के एक मंत्री हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे।

जिस दिन डा० घोष ने त्यागपत्र दिया उसी दिन उनके घर का घेरा डाल दिया। वैसे उनका मकान वहाँ है जहाँ धारा 144 लागू होती है। डा० घोष को उनके सहयोगियों ने ही निकालना चाहा था परन्तु श्री अजय मुकर्जी के कहने पर वे रुके रहे। श्री सुन्दरैय्या ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिड़ला के विरुद्ध बहुत कहा परन्तु वह बिड़ला जी के वे वक्तव्य नहीं सुनाते जिसमें उन्होंने केरल के मुख्य मंत्री की प्रशंसा की थी।

मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि वहाँ मंत्रिमंडल जारी रहता है अथवा नहीं परन्तु एक कलकत्ता में रहने वाले नागरिक के रूप में मुझे वहाँ की स्थिति पर चिन्ता है।

नक्सलबाड़ी के जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी किये गये हैं उनके चित्र वहाँ जनता की सभा में लगाये गये और उन्हें नेता बना दिया गया। यह स्थिति तो उन व्यक्तियों की है जिनके विरुद्ध वहाँ की ही सरकार ने वारंट जारी किये हुए हैं।

यदि भारत सरकार ने समय पर कार्यवाही न की तो वहाँ कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। वहाँ आज यह स्थिति है जिसे न तो केन्द्रीय सरकार सहन कर सकती है और न ही हम सहन कर सकते हैं।

उसके पश्चात् लोक सभा 16 नवम्बर 1967/25 कार्तिक, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adiourned till Eleven of the Clok on 16*th. November* 1967/ *Kartika* 25, 1889 (*Saka*).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.